



शिविर पत्रिका

मासिक

वर्ष : 53

मई-जून, 2013

अंक : 11-12

प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2013



मूल्य : 10 रुपये



माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवन का शिलान्यास समारोह : 29 मार्च 2013



भूमि पूजन करवाते माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग डॉ. बी.डी. कल्ला एवं निदेशक द्रय डॉ. विना प्रधान एवं डॉ. रवि कुमार सुरपुर।



भूमि पूजन के उपरान्त शिलान्यास पट्ट का लोकार्पण करते माननीय शिक्षामंत्री महोदय। पास में खड़े हैं अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं अन्य गणमान्य महानुभाव।



निदेशालय में माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं अधिकारी, कर्मचारी। यों ही सतत बढ़ते रहें हमारे कदम।



शिलान्यास समारोह में उपस्थितजन को सम्बोधित करते माननीय शिक्षामंत्री। मंच पर विराजमान हैं बाएं से श्री रविकुमार सुरपुर, डॉ. बी.डी. कल्ला, डॉ. विना प्रधान, श्री प्रेमसुख विष्णोई एवं श्री राजीव भाकल।



निदेशालय के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास समारोह के साक्षी बने माननीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक तथा निदेशालय के अधिकारी-कर्मचारी।



शिविर पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का
समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 53 अंक : 11-12

मई-जून, 2013

प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2013

प्रधान सम्पादक

डॉ. वीना प्रधान

•

वरिष्ठ सम्पादक

ओमप्रकाश सारस्वत

•

सहायक

सांग सिंह

मुकेश व्यास

मूल्य : 10 रुपये

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
- संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविर पत्रिका

माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011

दूरभाष : 0151-2528875

E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविर पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।—व.सं.

शिविर पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

जिन खोजा तिन पाइया	5	दिशाकल्प
देश काल की प्रखर प्रस्तुति - भारत भारती	6	भगवती प्रसाद गौतम
शिक्षा मनीषी गुरुदेव टैगोर	9	पी.डी. सिंह
<u>कविता</u> - नमस्कार स्वीकार हो	9	रूपनारायण काबरा
रवीन्द्रनाथ टैगोर दर्शन	10	वृद्धिचन्द गोठवाल
पर्यावरण संरक्षित तो जीवन सुरक्षित	11	सम्पतलाल शर्मा 'सागर'
<u>कविता</u> - ये राजस्थान है !	12	वेद व्यास
शिक्षण में कार्टून का उपयोग	13	रामबाबू माथुर
शिक्षा एवं समाज में अन्तर्सम्बन्ध	15	रामलाल रेगर
स्कूल का पुनर्निर्माण	17	करणीदान कच्छवाह
शिक्षा से संस्कृति का विकास	18	डॉ. प्रतिमा मोहन कौशिक
सुनागरिकता का प्रशिक्षण	20	अंजुम फातिमा
होड़ की दौड़ में सिसकते मासूम	22	शिवकुमार मिश्र 'सज्जन'
ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना	32	ओमप्रकाश सारस्वत
हिन्दी व्याकरण की निर्बलता	35	द्वारकेश भारद्वाज
राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के चित्तरे	36	सुरेन्द्र अंचल
शिक्षा का स्काउटिंग की भूमिका	37	ओम भारती गोस्वामी
सुशासन एवं सूचना का अधिकार	38	प्रतापमल देवपुरा
भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति है	40	डॉ. श्याम मनोहर व्यास
कैशोर्य जीवन एवं संयुक्त परिवार	41	बलदेव सिंह बगड़िया
थियेटर इन एजुकेशन - एक नया अहसास	42	ओम जोशी
<u>रपट</u> - नवीन प्रशासनिक भवन	43	सांग सिंह इन्दा
का शिलान्यास		
राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ :	44	दीनदयाल शर्मा
संक्षिप्त परिचय		
शिक्षक की जिम्मेदारी	46	शंभूलाल अग्रवाल
गाँव का कर्ज और इन्सान का फर्ज	50	प्रतिध्वनि

स्टार्ड स्टम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 23-31

पुस्तक चर्चा 47-48/ भाषाशाह - 49

मुख्यावरण

ब्रजेश कुमार मिश्रा



दिशाकल्प 'सहज पके सो मीठा होय' अत्यन्त सारगर्भित लगा। निदेशक महोदय के प्रति अतिशय सम्मान व आभार के साथ जोड़ना चाहूँगा कि सहज पके सो मीठा होय; खुद करे सो पक्का होय। वरिष्ठ सम्पादक जी का आलेख 'धरती मेरी माता - पिता आसमान' बहुत रोचक व ज्ञानवर्द्धक लगा। शिविरा राजस्थान की ही नहीं अपितु पूरे देश की लोकप्रिय पत्रिका बने। यही प्रबल कामना है।

—रुक्मीनारायण सेन, छोटीसादड़ी

अप्रैल अंक ठीक समय पर मिला। 'पृथ्वी हमें बचाए, भाई हम भी तो इसे बचाएँ। ताप, प्रदूषण, खनन मुक्त कर इसको हरी बनाएँ' काव्यकार की भाव संरचना की सार्थकता दर्शाता मुखावरण प्रशंसनीय है। ऐसा लगा कि जागरूक हाथ पृथ्वी की सुरक्षा में उठ खड़े हुए हैं। शिविरा में प्रकाशित सभी सामग्री की ओर ध्यान बरबस जाता ही जाता है।

—रामगोपाल राही, लाखेरी, बूंदी

शिविरा पत्रिका की प्रमुख विशेषता है इसका माह के प्रथम सप्ताह में नियमित रूप से मिलना। मैंने निजी तौर पर प्रवास कर पिछले एक वर्ष में 150 ग्राहक बनाए हैं किन्तु आज तक किसी ने यह नहीं शिकायत की कि अमुक शिविरा नहीं मिली। अप्रैल अंक में दिशाकल्प एवं पृथ्वी के बारे में जानकारीपरक आलेख बहुत अच्छे लगे। आवरण पृष्ठ का तो क्या कहना! शिविरा के अन्दर क्या है, का बयां मूक भाषा में मुखपृष्ठ बखूबी कर देता है।

—महेश कुमार चतुर्वेदी, चित्तौड़गढ़

'शिविरा पत्रिका' शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति की त्रिवेणी बनकर शिक्षकों एवं शब्दप्रेमियों का मार्गदर्शन कर रही है। सामयिक विषयों पर ठोस उपयोगी सामग्री के प्रकाशन के कारण उत्तरोत्तर अंकों को पढ़ने की उत्कण्ठा बनी रहती है। बस यही चाह है कि शिविरा सदा सुहागन रहे।

—सांबलाराम नामा, धीनमाल (जालौर)

कविवर माखन लाल चतुर्वेदी जी की कविता "फूल की अभिलाषा" के समानान्तर एक विद्यार्थी की अभिलाषा बहुत भायी। ध्वनि की ही प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि होती है। शिविरा पाठों के मनो की भी ध्वनि यही है जिसको

श्री सारस्वत जी ने प्रतिध्वनित किया है। अंक में सामयिक पर्वों, त्यौहारों पर आलेख अच्छा कदम है। श्रीराम, महावीर और पृथ्वी आदि भी इसमें समाहित हैं।

हिन्दी शिक्षण, शिक्षक का व्यक्तित्व संक्षिप्त व सारगर्भित है। प्रथम पृष्ठ पर चिन्तन में सन्त तिरूवल्लुर का संदेश जो प्रतिध्वनि में भी प्रतिध्वनित है, सीखने के लिए पर्याप्त है। अच्छी पाठ्यसामग्री चयन, संयोजन के लिए साधुवाद।

—टैकचन्द्र शर्मा, झुंझुनं

शिविरा पत्रिका अप्रैल 2013 अंक में दिशाकल्प में निदेशक डा. विना प्रधान द्वारा 'सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव निरन्तर प्रयत्न से व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास भी आवश्यक है' इस पर अधिक बल दिया गया है।

श्री तरुण कुमार दाधीच का 'श्रीराम के आदर्शों की प्रासंगिकता' लेख में श्रीराम के चरित्र में ऐसा आकर्षण है जो आज भी हर जन-मन के अन्तःकरण में अनवरत रूप में व्याप्त है। श्री अभय श्रीमाल के लेख 'तीर्थंकर श्री महावीर' में मनुष्य कर्मों का निर्माता है वह स्वयं ही उन्हें भोगता है और स्वयं ही सद्कर्मों द्वारा उनसे मुक्ति पा सकता है। दोनों लेख आदर्श गुणों से ओतप्रोत हैं। 'सच्चा मित्र' एवं 'स्वस्थ रहने के लिए उपवास' भी अच्छे लगे। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का रंगीन अंतिम पृष्ठ बहुत अच्छा है। इसके लिए सम्पादक महोदय को हार्दिक धन्यवाद।

—मानसिंह कस्वा, दोबड़ा (झुंझुनं)

माह मार्च 2013 की शिविरा पढ़ी। निदेशक जी का दिशाकल्प 'शाबास! 40 जी.बी.' तथा लेख प्रतिध्वनि 'देश की शान राजस्थान' मन को छू गए, मन में ललक और उत्साह, लगन, परिश्रम से यह सम्भव है। आज भी 40 जी.बी. ने यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह है। गुप्ताजी का लेख 'सतत मूल्यांकन' एक स्तरीय और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी लेख है। स्नेहलता जी का लेख 'कन्या भ्रूण' अच्छा व प्रेरणास्पद लेख है। शिविरा पत्रिका में शैक्षिक विचारों के साथ-साथ साहित्य की सौरभ देने के लिए सम्पादक मण्डल को बधाई।

—शिवचरण मंत्री, श्रीनगर (अजमेर)

चिन्तन

माता समं नास्ति शरीरपोषणम्,
विद्या समं नास्ति शरीरभूषणम्।
पूजा समं नास्ति शरीरतोषणम्,
चिन्ता समं नास्ति शरीरशोषणम् ॥

माँ के समान कोई शरीर का पोषण करने वाला नहीं है, विद्या के समान शरीर का कोई आभूषण नहीं है, पूजा के समान शरीर को कोई संतोष देने वाला नहीं है तथा चिन्ता के समान शरीर को कोई सुखाने वाला नहीं है।



सत्यमेव जयते



डॉ. वीना प्रधान
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

“याद रखिए, ‘कल’ का भारत ‘आज’ स्कूलों में रचा जा रहा है जिसके रचयिता शिक्षक हैं..... शिक्षक के लिए अवकाश स्वाध्याय का समय है। इस अवधि में वे खूब पढ़ें और खूब मनन करें। जितनी गहराई में वे जाएँगे, उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कहा भी है—
जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी पैठ।”

दिशाकल्प

जिन खोजा तिन पाइया

नूतन शैक्षणिक सत्र 2013-14, पहली मई से प्रारम्भ हो चुका है। ऊर्जा और उमंग के साथ शिक्षक और शिक्षार्थी अध्ययन-अध्यापन के पावन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर उन्हें मेरी शुभकामनाएँ एवं साधुवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नया शैक्षणिक सत्र शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के नये आयाम रचते हुए शिक्षित व संस्कारित बच्चों के रूप में सुदृढ़ राष्ट्र का ताना बाना रचेगा। याद रखिए, ‘कल’ का भारत ‘आज’ स्कूलों में रचा जा रहा है जिसके रचयिता शिक्षक हैं।

मई का उत्तरार्द्ध व जून माह ग्रीष्मावकाश के हैं। ग्रीष्मावकाश को लेकर बालक-बालिकाएँ ही नहीं, शिक्षक और अभिभावक भी उत्साहित हैं। उत्साह होना स्वाभाविक ही है, आखिर वर्षपर्यन्त अध्ययन-अध्यापन की सतत संलग्नता एवं परिश्रम के बाद आराम के दिन उन्हें मिलने जा रहे हैं। औपचारिक काम-काज से मुक्त ऐसा समय, जिसमें हम आराम के साथ-साथ अपने मन मुताबिक काम कर सकें, अवकाश कहलाता है। मैं शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए सुखद व यादगार ग्रीष्मावकाश, 2013 की कामना करते हुए उनसे अपेक्षा करूँगी कि—

- शिक्षक बीते हुए शिक्षा सत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की तटस्थ समीक्षा करें। उनसे जो अपेक्षाएँ थीं, उन्हें पूरा करने में वे कहाँ तक सफल रहे। यदि कहीं कोई कमी रही तो उसके कारण चिह्नित करें तथा भविष्य में उनके निराकरण की कार्ययोजना अभी से बनाएँ। अवकाश के दौरान कला, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े स्थलों का भ्रमण करते हुए उनके शैक्षिक सरोकार तलाशें। इससे निश्चय ही उनकी शिक्षण की धार पैनी होगी। शिक्षक के लिए अवकाश स्वाध्याय का समय है। इस अवधि में वे खूब पढ़ें और खूब मनन करें। जितनी गहराई में वे जाएँगे, उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कहा भी है— जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ।
- विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मावकाश का समय ऊर्जा संचरण व संचयन का समय है। वे अपने अभिभावकों के साथ विभिन्न स्थानों की सैर करें। संगीत, चित्रकला, खेलकूद, कम्प्यूटर सहित विभिन्न कौशल प्राप्त करें। वे ननिहाल अथवा रिश्तेदारी में यथा मासी-भुआ के यहाँ जाएँ तो अच्छे बच्चे बनकर पेश आएँ। बच्चों के अच्छे व्यवहार से न केवल स्वयं उनकी प्रशंसा होती है, बल्कि स्कूल व शिक्षकों का भी नाम होता है। लोग कहते हैं कि इनके गुरुजन अच्छे हैं, इनका स्कूल अच्छा है। अतः उन्हें अपनी स्कूल एवं गुरुजन की ख्याति को सदैव ध्यान में रखना है।
- अभिभावक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सेतु हैं। एक तरफ शिक्षक और दूसरी तरफ विद्यार्थी तथा उनके बीच सेतु बनते हैं अभिभावक। अतः मैं शिवविश पत्रिका के माध्यम से अभिभावकों से अपील करना चाहूँगी कि बच्चों की अभिरुचि व रुझान को देखकर ही उनके भावी अध्ययन का मार्ग चुनें। हमें उन पर अपनी अपेक्षाएँ लादनी नहीं है। बच्चे के सर्वतोमुखी विकास के लिए उनकी हॉबी, गेम्स व दर्शनीय स्थलों की सैर कराने जैसे काम उन्हें करने हैं। अभिभावकों को शिक्षकों के सम्मान की सुरक्षा करते हुए विद्यालयों के भौतिक विकास में भी हाथ बँटाना है। मुझे यह कहते हुए सन्तोषमिश्रित गर्व है कि राजस्थान में मेरी अपेक्षा के अनुरूप अभिभावकों की कोई कमी नहीं है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ।
- मेरी शैक्षिक प्रशासन यथा मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी तथा संस्था प्रधानों से भी गुजारिश है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान वे सत्र 2013-14 के लिए ऐसी स्पष्ट व विस्तृत शैक्षिक कार्य योजनाएँ बना लें जिनके बल पर अवकाश के बाद विद्यालय खुलने पर सहज गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सके। जो लोग कल की तैयारी आज कर लेते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है।

सुखद व सफल ग्रीष्मावकाश की अशेष शुभकामनाओं के साथ,

(डॉ. वीना प्रधान)

बालपन से लेकर कैशोर्य-पार तक के छात्र-जीवन में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जिन काव्य-रचनाओं ने बरबस ही प्रभावित किया, उनमें से कई-कुछ पंक्तियाँ आज भी मानस-पटल पर अंकित हैं, जैसे— 'माँ, कह एक कहानी...', 'सखि वे मुझसे कहकर जाते', 'नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुंदर है', 'भारतमाता का मंदिर यह समता का संवाद यहाँ', 'यही पशु प्रवृत्ति है कि आप-आप ही चरे...', 'एक नहीं दो-दो मात्राएँ नर से भारी नारी' आदि ...। ऐसे में जिन कवियों-लेखकों के जन्म शताब्दी समारोहों का जो सिलसिला 2010 में आरम्भ हुआ, वह अपने चरम पर पहुँचकर अब उतार पर है। मगर यहीं एक खासियत यह भी रही कि इन्हीं के आस-पास ही कतिपय कालजयी कृतियों की सृजन सदी के संदर्भ में भी आयोजनों की शुरुआत हुई, जिनमें महात्मा गाँधी कृत 'हिन्द स्वराज' (1909) का उल्लेख तो विशेष रूप से किया ही जा सकता है, साथ ही अब एक और अद्वितीय ग्रंथ 'भारत भारती' के पाठ-पुनर्पाठ का जो दौर चला, वह अब भी थमा नहीं है।

प्रतिष्ठा सम्पन्न सेठ रामचरणदास कनकने के चिरगाँव (झाँसी) स्थित घर में तीन अगस्त 1886 को जन्में मैथिलीशरण को बचपन में कभी कोई स्कूल रास नहीं आया। झाँसी के मैकडोनल स्कूल से भी गाँव लौटकर लट्टू-पतंगों की दुनिया में रम गए। किन्तु उन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू और बंगला का अध्ययन किया तथा इसी के चलते बालसखा मुंशी अजमेरी के सहयोग से न केवल ब्रजभाषा में काव्य सृजन प्रारम्भ किया, बल्कि अपने नाम के साथ उपनाम 'रसिकेन्द्र' भी जोड़ लिया।

वह समय था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके द्वारा सम्पादित ख्यातपत्रिका 'सरस्वती' का, जिसमें हिन्दी का प्रत्येक कवि-लेखक छपने को लालायित रहता था। तब गुप्त जी की रचनाएँ कलकत्ता (अब कोलकाता) की पत्रिका 'वैश्योपकारक' में स्थान पाती थीं। मगर उन्होंने पहली बार अपनी रचना 'सरस्वती' में प्रकाशनार्थ प्रेषित की तो द्विवेदी जी ने उसे इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि 'हम बोल-चाल की भाषा में ही लिखी गई कविताएँ छापना पसंद करते हैं।' साथ ही यह भी कि "अब

सृजनशताब्दी : एक और पाठ

देश काल की प्रखर प्रस्तुति - भारत भारती

□ भगवती प्रसाद गौतम

'रसिकेन्द्र' बनने के दिन लद गए।" एक नवोदित रचनाकार इतने कठोर उत्तर पर कैसी बेचैनी अनुभव कर गया होगा, सहज ही समझा जा सकता है।

आखिर गुप्त जी ने द्विवेदी जी को जो उत्तर प्रेषित किया, उसमें विनम्रता पूर्वक सब कुछ कह दिया और दोनों का आपसी सम्पर्क संवाद भी जारी रहा। अंततः द्विवेदी जी ने 'हेमंत' शीर्षक से एक रचना 'सरस्वती' में प्रकाशित की, वह भी वाँछित संशोधन के उपरांत। साहित्यविद् कैलाश वाजपेयी ने एक लेख के आधार पर उजागर किया— "रचना में इतना संशोधन हुआ था कि मैथिलीशरण गुप्त को पहली बार अहसास हुआ कि उनका कवि-कर्म कहाँ अवस्थित है। ... उसी दिन से मैथिलीशरण ने द्विवेदी जी को अपना गुरु मान लिया। ... इस तरह खड़ी बोली के सक्रिय कवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त को अगर किसी ने प्रतिष्ठित किया तो उसका एक मात्र श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद को ही जाता है।"



श्री भगवती प्रसाद गौतम शिक्षा, साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखते हैं। लम्बी सेवा साधना के दौरान आपने विविध विधाओं में प्रचुर लेखन कार्य कर साहित्यागार में वृद्धि की है। आप आकाशवाणी के नियमित वार्ताकार हैं। शैक्षिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार के साथ ही आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मान/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी आठ पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं।

यह भी संयोग ही रहा कि जब बापू की चर्चित किताब 'हिन्द स्वराज' पाठकों के हाथों में पहुँची, उसी कालखंड (1909) में गुप्त जी की पहली काव्यकृति (खंडकाव्य) 'रंग में भंग' भी प्रकाशित हुई। उसी के क्रम में प्रकाशन हुआ 'जयद्रथ वध' का। मगर उन्हें वास्तविक पहचान व लोकप्रियता मिली राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण ग्रंथ 'भारत भारती' से।

देश-काल की प्रखर प्रस्तुति 'भारत भारती' के सृजन की शुरुआत संवत् 1968 की रामनवमी (7 अप्रैल 1911) को हुई और समापन हुआ संवत् 1969 की जन्माष्टमी (4 सितम्बर 1912) को। इसके प्रथम संस्करण की प्रस्तावना में गुप्त जी ने लिखा भी है— "आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। श्रीराम नवमी संवत् 1968 को आरम्भ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सका हूँ। ...मुझे दुःख है कि इस पुस्तक में कहीं-कहीं मुझे कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परन्तु मैंने किसी भी निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी। अपनी सामाजिक दुरावस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है।" (तृतीय साकेत संस्करण, 1989)।

जग जाहिर है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश को भौतिक स्तर पर ही नहीं; सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर भी विनाश की ओर धकेल दिया था। ऐसे में 'हिन्द स्वराज', कुछ बड़े नामों की बेरुखी के बावजूद, अधिकांश भारतीयों की आत्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। ...और फिर उसी माहोल में 'भारत-भारती' की उपस्थिति ने भी अपनी भाव-भाषा की गूँज-अनुगूँज के जरिए देश-प्रदेश के जन-मानस को जागृत भी किया और आंदोलित भी। गुप्त जी ने इसी भावना को ग्रंथ की शुरुआती कड़ियों (मंगलाचरण) में प्रतिष्ठा प्रदान की— 'मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें

आरती।/भगवान ! भारत वर्ष में गूँजे हमारी भारती॥’

हरीगीतिका छंद के निर्वाह के साथ रचित कृति ‘भारत-भारती’ तीन प्रमुख खंडों में विभक्त है— अतीत, वर्तमान और भविष्यत् खंड। ये भी यथास्थिति छोटे-बड़े उपखंडों/शीर्षकों में संयोजित हैं। ‘उपक्रमणिका’ के चौदहवें छंद की प्रारम्भिक पंक्तियों में ही मंतव्य-रूप में गुप्त जी ने वह सब कुछ जता दिया है जो उन्होंने घर-बाहर के जीवन-जगत में अनुभव किया— “हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।/आओ, विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।”

उल्लेखनीय है कि ‘भारत भारती’ का सृजनकाल ही अज्ञेय जी (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन) का जन्मकाल भी है। उनके प्रति एक विशेष प्रशंसा-बोध अज्ञेय जी के मन में विद्यमान रहा। वे कहते भी थे— “दददा (गुप्त जी) मेरे गुरु स्थानीय थे।” सच यह भी है कि गुप्त जी स्वयं जिन पारिवारिक उलझनों से रू-ब-रू होते रहे, उन्हीं अनुभवों ने उन्हें ‘भारत भारती’ की सर्जना के लिए प्रेरित किया और बाध्य भी। उन्हीं के शब्दों में— “नवीन भाषा के साथ ही पद्य-रचना के लिए ‘भारत वर्ष’ जैसा महान विषय भी मुझे प्रारम्भ से ही प्राप्त हो गया था। वह भी एक संयोग से। ... मेरे बाल हृदय ने जो घर में देखा था, वही बाहर भी था। मेरे घर के वैभव को व्यापार ले बैठा था और बाहर सबकुछ विदेशी व्यापारी लिए बैठे थे। मैं अपना रोना लेकर देश के लिए रोना ले बैठा।”

आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्तजी को यह अहसास हो चला था कि आमजन के दुःख-दर्द को आमजन की भाषा में ही अभिव्यक्त करना कविधर्म के निर्वाह के लिए समीचीन और सार्थक हो सकता है। द्विवेदी जी ने ही उस कालखंड (1911-12) में ‘भारत भारती’ को ‘युगांतकारी कृति’ कहकर ‘सरस्वती’ के नौ अंकों में निरंतर प्रतिष्ठा प्रदान की थी; मगर इसके बाद भी दो वर्ष (1912-14) तक उसमें संशोधन-परिशोधन होते रहे। अंततः 1914 में यह पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो सकी। तब उन्होंने अपने प्रशंसा-भाव को इन शब्दों में जाहिर कर ही दिया— “वह (काव्य ग्रंथ) सोते हुआ को जगाने वाला है, उदासीनों के हृदय में उत्तेजना

उत्पन्न करने वाला है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है, जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य में नहीं हो सकती।”

‘आवारा मसीहा’ (शरदचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी) के प्रणेता विष्णु प्रभाकर के मन में भी मैथिलीशरण जी के प्रति अपारश्रद्धा थी। उन्होंने अलग ही अंदाज में लिखा भी— ‘यह बात भी हम बड़े होकर ही जान पाए कि यह जो हमें अभिभूत करने वाला लेखक है, इसका व्यक्तित्व तो बड़ा विवादास्पद है। समीक्षकों के एक दल का मत है कि वे कवि हैं ही नहीं, मात्र तुक्कड़ हैं। दूसरा दल कहता है कि स्वयं विद्यावादिनी उनकी कलम पर उतरी थी और युग की गीता युग की भाषा में गाने लगी थी। ... जब तत्कालीन बिहार और मध्यप्रदेश की सरकारों ने ‘भारत-भारती’ के अंत में मुद्रित ‘विनय’ (सोहिनी) को जन्त कर लिया था— हमारे किशोर मनों को और भी आतंकित करने वाली श्रद्धा से भर दिया था।” (राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त : पुनर्मूल्यांकन)

इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार भी उसे जन्त करने वाली थी, मगर उससे पूर्व ही सम्पूर्ण स्टाक उन्हें सौंप दिया गया था। संभवतः शासन को निम्न काव्यांश में विद्रोह का धुआँ या भाव अनुभव हो रहा था— “वर मंत्र जिसका मुक्ति था, परतंत्र-पीड़ित है वही, /फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए।/यह पाप-पूर्ण परावलम्बन चूर्ण होकर दूर हो, /फिर स्वावलम्बन का हमें प्रिय-पुण्य पाठ पढ़ाइए।/व्याकुल न हो, कुछ भय नहीं, तुम सब अमृत संतान हो, /यह वेद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए।”

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गुप्तजी को तीन पीढ़ी का कवि मानते थे। कहते भी थे— “मैं, मेरे पुत्र और मेरे पौत्र-तीनों ने गुप्तजी की कविता से हिन्दी भाषा का संस्कार पाया है। भोजपुरी क्षेत्र के बिहारी बंधु खड़ी बोली का शुद्ध रूप गुप्तजी से ही पा सके हैं।” रामधारी सिंह दिनकर उन्हें ‘अतीत में झाँककर वर्तमान को उद्घाटित करने वाला’ सर्जक के रूप में जानते थे, तो महादेवी वर्मा ने सम्पूर्ण सम्मान के साथ उन्हें ‘कविता की ऋजु रेखा और भाषा की आकाश गंगा’ कहा था।

वस्तुतः ‘भारत भारती’ राष्ट्रीय अंतस को

छू लेने वाली और बहुआयामी सरोकारों को रेखांकित करने वाली ऐसी कृति है, जिसमें बीते युग के सांस्कृतिक मूल्यों, सृजन विधाओं, प्रशासनिक स्वरूपों और बाह्य प्रभावों से पल्लवित परिवेश की व्यापक झलक तो मिलती ही है, साथ ही वह पाठकों को समकालीन सभ्यता में व्याप्त सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकृतियों-विसंगतियों से भी रू-ब-रू कराती है। इस दृष्टि से इस मूल्यपरक ग्रंथ के ‘वर्तमान खंड’ के अन्तिम छंद की अन्तिम पंक्तियाँ खोई हुई मनुष्यता की पुनरुपतिष्ठा की जरूरत को उजागर कर जाती हैं— “हा राम ! हा ! हा कृष्ण ! हा ! हा नाथ ! हा ! रक्षा करो !/मनुजत्व दो हमको दयामय ! दुःख-दुर्बलता हरो॥”

दददा सच्चे अर्थों में गाँधीजी, गाँधी दर्शन और गाँधी-युग से एक साथ प्रभावित होने वाले कलमकार थे। ‘राष्ट्रकवि परिषद वाराणसी’ के प्रधानमंत्री रहे गौरीशंकर गुप्त ने दददा की जन्मशती के दौर (1986-87) में लिखा था— “... कहा जा सकता है कि ‘बापू’ का कर्म हिन्दी साहित्य में यदि किसी कलाकार में आ पाया है तो वे निश्चयपूर्वक मैथिलीशरण जी ही हैं।”

बापू और गुप्तजी के पारस्परिक सम्बन्ध दीर्घकालिक भी रहे और प्रगाढ़ भी। एक बार बापू जब यरवदा जेल में थे, गुप्तजी ने अपनी कुछ पुस्तकें पहुँचाईं। उन्हीं में काव्यकृति ‘साकेत’ भी थी। पुस्तकों से गुजरने के बाद महात्मा जी ने एक पत्र (5.4.1932) के जरिए उन्हें अवगत कराया कि पुस्तकें अच्छी हैं, मगर ‘साकेत’ में उर्मिला को यथोचित स्थान नहीं मिला। साथ ही यह भी कि आज की किसी कृति में किसी का भी रुदन-विलाप ठीक नहीं लगता, क्योंकि इससे शक्ति व भक्ति दोनों की क्षति होती है। पत्र का उत्तर गुप्त जी ने भी जिस विस्तार से दिया, उसकी वजह से दोनों में कुछ ‘वैचारिक मतभेद’ भी रहा हो, फिर भी गाँधी जी ने ही गुप्त जी को ‘राष्ट्रकवि’ की उपाधि से विभूषित किया और सम्मान समारोह वाराणसी (1936) में अभिनंदन स्वरूप उन्हें अपने ही हाथों से ‘मैथिली काव्य-मान ग्रंथ’ भी भेंट किया।

खैर, ‘भारत भारती’ की एक खासियत है उसका ‘भविष्यत् खंड’, जिसमें शिक्षा,

राष्ट्रभाषा, आशा, विश्वास आदि के द्वारा पुनः खोए हुए अतीत को अर्जित करने की चाहना एवं सम्भावना प्रतीत होती है। साहित्यविद् राजमल बोरा (महाराष्ट्र) कहते हैं— “भारत भारती का आदर्श गुप्त जी का अनुभूत आदर्श है और उसमें जो स्वदेशी वृत्ति है, उसी वृत्ति ने गुप्त जी को काव्य-साधना का स्वप्न दिया।” जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षा का भले ही अभाव रहा हो, किन्तु उनके पास अनुभव-सिद्ध ज्ञान एवं रचनात्मकता का एक ऐसा समृद्ध खजाना था, जिसने उन्हें सादगी भरी सुंदरता और विशिष्ट वैचारिकता के शिखर पर आरूढ़ करा दिया था। फलतः उनका अपना सहज-सरल स्वदेशी स्वर ही राष्ट्रीय स्वर में परिणत हो गया। वे सार्थक शिक्षा के प्रबल पक्षधर रहे। ‘उद्बोधन’ में वे स्वीकार करते भी हैं— “शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है।/शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है॥”

इसी प्रकार राष्ट्रभाषा के समसामयिक प्रश्न पर भी वे अपनी बात अपने ही अंदाज में कह देने का कौशल संजो लेते हैं— “इस योग्य हिन्दी है तदपि अब तक न निजपद पा सकी।/भाषा बिना भावैकता अब तक न हममें आ सकी॥”

हकीकत यह भी है कि ‘भारत भारती’ में कतिपय स्थलों पर ब्रिटिश राज के प्रति प्रशंसा का भाव भी विद्यमान रहा है। “सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया।/विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया।”

उसका कारण था बाह्य दबाव और वह भी राजा रामपाल सिंह (के.सी.आई.ई.) जैसे चाटुकार व्यक्तित्व का; जबकि आचार्य द्विवेदी, पदमसिंह शर्मा, ठाकुर तिलक सिंह, रायकृष्ण दास आदि विद्वानों में से कोई भी उक्त प्रशंसा-भाव से सहमत नहीं थे। गुप्त जी स्वयं इस दौर में एक अजीब-सी आत्मपीड़ा से गुजरे। इसीलिए ग्रंथ के प्रकाशन में लगभग दो वर्ष का विलंब भी हुआ। रायकृष्ण जी को प्रेषित पत्र में उन्होंने लिखा भी— “अंग्रेजों की प्रशंसा में मैंने जो कुछ लिखा है या मुझे लिखना पड़ा है, उससे मालूम होता है कि राजा साहब (रामपाल सिंह) संतुष्ट नहीं हैं...।”

वैसे ‘भारत भारती’ में विविध विषयों-संदर्भों को उद्घाटित करने में गुप्त जी ने कोई

कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इस दृष्टि से उनकी ‘पद्य प्रबंध’ की ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं— “है कविता का ही काम लोक हित करना।/सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना॥”

काव्य विधा की गरिमा का निर्वाह करते हुए उन्होंने ‘भारत भारती’ में भी स्पष्ट शब्दों में आगाह किया है— “केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।/उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए॥”

समग्रतः राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के कथ्य में इधर जिस सशक्त अनुभूति से साक्षात् होता है, उतना ही अद्भुत प्रभाव उसके शिल्प में भी व्याप्त है। जाने-माने शब्द-शिल्पी कृष्णदत्त पालीवाल ‘भारत भारती’ को ‘सामाजिक दुरावस्था का महागान’ मानते हैं और कहते हैं— “मैथिलीशरण की वाचिक परंपरा से प्राप्त ठेठ देशी प्रतिभा ने हिन्दी के साथ भारतीय साहित्य के एक विशाल लोकचित्त को प्रेरित और प्रभावित किया। देशी उसक आल्हखंडी सर्जनात्मकता से फूट-फट पड़ी। इस कवि की प्रतिभा ने हिन्दी के सहृदय समाज को झकझोर कर जगा दिया। दरअसल ‘भारतेंदु’ की तरह ही मैथिलीशरण के कविकर्म का स्थायी भाव ‘भारत-दुर्दशा’ ही है।”

गुप्त जी के आकस्मिक देवलोक गमन (12 दिसम्बर 1964) के उपरांत उनके सुपुत्र उर्मिलाचरण गुप्त ने चिर परिचित कृति ‘साकेत’ के नाम पर ‘साकेत प्रकाशन’ का श्रीगणेश ‘भारत-भारती’ से ही किया। उसी संस्करण से गुजरते हुए दृष्टि वहाँ बरबस ही ठहर जाती है, जहाँ गुप्त जी ‘है यह अनंत कथा...’ कहते हुए अपनी लेखनी से बस थम जाने और विश्राम करने का आग्रह करते हैं और राष्ट्रीय-मानवीय हित में सर्वकालीन सौहार्द्र की कामना करते हुए ‘भारत भारती’ जैसे कालजयी ग्रंथ को अपना अंतिम स्पर्श प्रदान करते हैं— “सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो।/गुण, शील, साहस, बल तथा सबमें भरा उत्साह हो॥/सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो।/हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो॥”

-1-त-8, ‘अंजलि’ दादाबाड़ी,
कोटा (राज.)-324009

पाठक लिखते हैं ...

चिन्तनपरक शक्तिपुंज शिविरा

शिविरा फरवरी अंक का दिशाकल्प अत्यन्त ही प्रभावी है, प्रेरक एवं मननीय है। ‘शिक्षक उपासना’ गुहों के पुजारी एवं बालक देव हैं। ‘पंक्तियों से प्रारम्भ’ इस अंक के अंतिम पृष्ठ पर ‘प्रतिध्वनि’ स्तम्भ पर अवतरित ‘तुमुकि चलत रामचन्द्र...’ आलेख में राम-कृष्ण कालीन मधुर बचपन और अभिभावकों स्नेहसिक्त पालन-पोषण और आज के अति व्यस्त और महत्वाकांक्षी माता-पिता का व्यवहार, बालकों के बचपन की अवहेलना एवं उपेक्षा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया है। इसी पृष्ठ के हाशिये में छपी पंक्तियाँ, “बच्चे बड़ो धरती पर है”, एक पठनीय, प्रेरणीय, करणीय शिलालेख है। अति सुन्दर आलेख है। श्री लक्ष्मीनारायण रंगा का लेख, एक प्रकाशपुंज है जिसकी रोशनी में पाठक को, ‘शिक्षा, शिक्षक एवं अभिभावक’ के अभिप्राय, उद्देश्य, सम्बन्ध और उनसे अभीष्ट स्पष्ट हो जाता है। यह जागृति की मशाल है। पढ़ेगा सो जागेगा।

‘मंत्र अच्छे अंक पाने के’ पढ़कर पुराने साथी अनुपम कहानीकार अरुनी रॉबर्ट्स से मुलाकात हो गई है। उनके मंत्र अनुभव सिद्ध एवं असरदार हैं। शिविरा विचार मंच में प्रकाशित ‘दैनिक जीवन में गणित’ श्री शिवचरण मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि गणित की सोच सफलता के लिए आवश्यक है। डॉ. जगदीश शर्मा जी ने गणित सीखने-सिखाने का इतिहास एवं गणित का महत्त्व संक्षिप्त शोधपत्र है और डॉ. व्यास का ‘अपनी बारी का इन्तजार’ रोचक है। वस्तुतः पूरा अंक ही पठनीय और प्रशंसनीय है। शिविरा अपने नव जागरण में रूपवती, गुणवती, शीलवती होकर विशिष्ट आकर्षक एवं चिन्तनपरक शक्तिपुंज हो गई है। इसकी बहुआयामी रचना चयन प्रभावी है। मार्च अंक की विशेषता इस पत्र में नहीं समेटी जा सकती है। हाँ, इतना तो अवश्य कह ही देता हूँ कि डॉ. एल.के. पंवार का अति विशिष्ट आलेख, पर्यटन एवं विद्यार्थी, श्री सारस्वत का ‘देश की शान, राजस्थान’, ‘परीक्षा का आतंक’, ‘नारी शिक्षा के दिव्यदूत : महर्षि कर्वे, बालक में भाषा का विकास और ‘प्रतिध्वनि’ में प्रस्तुत ‘पानी में मीन पिघाली ना’ चुनौती भरा आग्रह लिए है हम सबके लिए। संकल्प लीजिए ‘मछली प्यासी नहीं रहेगी।’ सम्पादकीय टीम की प्रस्तुति हर अंक में नित-नूतन एवं प्रेरणा पुंज होती है शिविरा शिक्षकों का चेतना केन्द्र है, प्रेरणा और ज्ञान केन्द्र है।

—रूपनारायण काबरा

ए-438, किशोर कुटीर, वैशाली नगर,
जयपुर-302021

जन्म दिवस : 7 मई, 2013

शिक्षा मनीषी गुरुदेव टैगोर

□ पी.डी. सिंह

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा सम्बन्धी विचार बड़े ही उदार दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उन्होंने 'शिक्षा के हेरफेर' शीर्षक शोधपत्र पढ़ते हुए सशक्त शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि "तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति के सीमित एवं संकुचित क्षेत्र में मानसिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास होना कभी संभव नहीं है। आनन्द, स्वतंत्रता, प्यार एवं उत्साह के वातावरण से वंचित शिक्षा से बालकों का सम्यक मानसिक विकास ही नहीं रुक जाता है बल्कि बालक अकर्मण्य हो जाता है और बालक की सहज बाल-प्रवृत्ति भूखी ही रह जाती है।" आज से 150 वर्ष पूर्व की उनकी चिन्तन धारा क्या उनकी दूरदर्शिता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है? उनके शिक्षादर्शन की पृष्ठभूमि में संवेदनशील विराट हृदय था, जिसके द्वारा उन्होंने बालक, प्रकृति तथा मानव को पहचानने का प्रयास किया था।

भारतीय जीवन में पाश्चात्य शिक्षा के दुष्परिणामों से व्यथित होकर वे कहते थे, "सभी देशों की शिक्षा के साथ देश की सर्वांगीण जीवनधारा का गहरा सम्बन्ध रहता है। हमारे देश की आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल डाक्टरी, वकालत, क्लर्की, पटवारी और मास्टरी आदि रह गए लगते हैं। जहाँ हल चलते हैं, कोल्हू चल रहे हैं वहाँ तक यह शिक्षा नहीं पहुँच पाती। भारत के लिए सार्थक विद्यालय वे ही होंगे जहाँ सिखाया गया अर्थशास्त्र, कृषि, स्वास्थ्य एवं विज्ञान का वास्तविक और व्यावहारिक उपयोग विद्यालय के चारों ओर स्थित गाँवों में हो सके। इन विद्यालयों का संगठन सहकारिता पर आधारित होना चाहिए। ऐसे विद्यालय सामाजिक जीवन के केन्द्र होंगे तभी ऐसे विद्यालय, शिक्षक और छात्र समाज के जीवन से संयुक्त हो सकेंगे।"

गुरुदेव कहा करते थे, "देश के जीवन रूपी वृक्ष की जड़ जहाँ पर है, शिक्षा की वर्षा उससे सौ हाथ दूर गिर रही है। यह दूरी पार करके यदि थोड़ा सा भी रस जड़ तक पहुँच पाता है, वह जीवन की शुष्कता को ही दूर करने के लिए यथेष्ट नहीं होता। सजीव मातृभाषा के रस में घुलकर ही शिक्षा चिरस्थायी बन सकती है। यदि ऐसा न हो तो वह शिक्षा समाज के उच्च स्तरों के लिए सामयिक शोभा का कारण भले ही बन जाए, किन्तु सनातन जीवन की धारा नहीं बन

सकती।" गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर जोर दिया था कि 'शिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार संगठित हो कि बालक को अपनी रुचि

नमस्कार स्वीकार हो

विश्व-भारती के संस्थापक

नमस्कार स्वीकार हो

शान्ति निकेतन के निर्माता

नमस्कार स्वीकार हो।

उच्च कोटि के कवि गायक तुम

विश्वशान्ति के दूत हो

पाया नोबल पुरस्कार

वह प्रथम भारती पूत हो

हे तपसी, हे देवदूत तुम

नमस्कार स्वीकार हो।

चित्रकार तुम, लेखक भी तुम

नाटक रचनाकार हो,

बालक को तुमने समझा है

माता के अवतार हो

गीतांजलि के गायक हो यह

नमस्कार स्वीकार हो।

नई दिशा दी गीतांजलि ने

जीवन को जीएँ कैसे

राष्ट्र प्रेम और ईशप्रेम से

जीवन सफल बने कैसे

सिखा दिया चित्रों गीतों से

अमर कहानीकार हो

सबके मार्ग प्रदर्शक हो तुम

नमस्कार स्वीकार हो।

—रूपनारायण काबरा

ए-438, किशोर कुटीर, वैशाली नगर,

जयपुर-302021

और प्रवृत्ति के अनुसार आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुविधा मिल सके तथा उसे प्रकृति का स्निग्ध स्पर्श और मानव का स्वाभाविक स्नेह मिले। शिक्षण संस्थानों में पारिवारिक चैतन्यता

और शिक्षक छात्रों में स्नेहिल सद्भाव ही अन्य अभावों की पूर्ति कर सकता है।' कवигुरु की इस अन्तर्दृष्टि के पीछे उनके बाल जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था। अपने संक्षिप्त विद्यालयी जीवन में उनको शिक्षकों में पारिवारिक आत्मीयता एवं स्नेह का अभाव अत्यन्त पीड़ादायक रहा।

सन् 1901 में शान्तिनिकेतन की स्थापना के कारण की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था— "हमने अपने विद्यालय में छात्रों में प्रकृति देवी की भाँति मानवीय परिवेश के साथ सतेज मनोभाव, उन्मुखता और प्रियत्व बोध जाग्रत करने की यथासाध्य चेष्टा की है। इसके लिए हमने साहित्य, प्रचलित पर्व एवं उत्सव तथा साधारण धर्म-शिक्षा से सहायता ली है, जिससे आत्मा का बाह्य जगत से घनिष्ठ सम्बन्ध हो सके।" धर्म शिक्षा से यह न समझा जाए कि शान्ति-निकेतन में किसी विशेष सम्प्रदाय के धर्म का अनुसरण किया जाता था। वहाँ उपासनाओं, प्रार्थनाओं और चर्चाओं में सभी धर्मों के मूलतत्वों का समावेश रहता था। प्राचीन भारतीय ऋषियों के उपदेशों के साथ-साथ ईसा, हजरत मुहम्मद, बुद्ध, नानक, चैतन्य, कबीर आदि सभी के विचारों को स्थान दिया जाता था।

गुरुदेव की दृष्टि में स्वयं वातावरण ही पाठ्यपुस्तकों, विद्यालय भवन, संगठन तथा समस्त क्रियाकलापों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि शिक्षापूर्ण वातावरण में ही बालक के सृजनमूलक जीवन का निर्माण सम्भव है। समुचित और प्रेरक, प्रोत्साहक वातावरण में ही नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बुद्धि के उपयोग का सम्यक अवसर मिलता है।

वे कहते थे, 'बच्चों को कठोर दण्ड देते हुए देखकर मैं अध्यापकों को ही दोषी मानता हूँ। जब मैं शान्ति-निकेतन में कार्य करता था तब शिक्षकों के कठोर विचार से छात्र की रक्षा करना मेरे लिए एक गम्भीर समस्या थी। मुझे

अध्यापकों को समझाना पड़ता था कि अध्यापक शिक्षा को एक यंत्र मात्र बनाने के लिए नहीं है। ऐसा करने पर मुझे अप्रिय पात्र भी बनना पड़ता था। अध्यापकों के उग्र और कठोर दण्ड से छात्रों की रक्षा करनी पड़ती थी पर इसके लिए मुझे बाद में कभी भी पछताना नहीं पड़ा। चाहे राष्ट्रतन्त्र हो, चाहे शिक्षातन्त्र, कठोर शासन की नीति शासक वर्ग की अकर्मण्यता का प्रमाण है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब प्रगतिशील देशों तक में छात्रों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता न देकर कठोर नियंत्रण में रखा जाता था, कविगुरु टैगोर ही सर्व प्रथम छात्र-स्वराज्य के प्रवर्तक के रूप में अवतरित हुए। अध्यापकों ने उनके मत का विरोध किया परन्तु उन्होंने शान्तिनिकेतन में 'आश्रम-समिति' की स्थापना की। छात्रों की यह समिति छात्रों के लिए नियम और विधान

बनाती थी। इसकी एक कार्यवाहक समिति यह देखती थी कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। छात्र स्वयं वाद-विवाद करते थे तथा मतदान द्वारा आपस में निर्णय लेते थे। आश्रम समिति एक विचार समिति भी थी जो अपराधियों का भी विचार करती थी। धीरे-धीरे यह व्यवस्था अनुशासन, संयम और नीति की व्यावहारिक शिक्षा देने का एक उत्तम एवं परीक्षित साधन बन गई।

गुरुदेव टैगोर का विश्वास था कि केवल बौद्धिक विकास पर बल देने से ही मानव की कोमल वृत्तियाँ प्रस्फुटित नहीं हो पातीं। शिल्प एवं ललितकला की चर्चा आवश्यक है। हाथ, कान और आँखों का प्रशिक्षण तथा उनमें सामंजस्य उत्पन्न करना शिक्षा का एक सर्वमान्य ध्येय है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में

शान्तिनिकेतन में ही गुरुदेव ने सर्वप्रथम शिक्षा की परिधि में शिल्प, कला और संगीत को मान्यता दी।

उनकी नई-नई गतिविधियाँ और नवीन प्रयोग प्रमाणित करते हैं कि वे एक युग-प्रवर्तक, शिक्षा मनीषी और दूरदर्शी शिक्षा-मर्मज्ञ थे। वस्तुतः हमने तो उन्हें उस समय पहचाना जब विदेशियों ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। आज भी विश्वकवि के विचारों और प्रयोगों पर गम्भीरता से विचार करने उनसे दिशाबोध लेने और अपनाने की आवश्यकता है यद्यपि सामान्यतः आज की शिक्षा में बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास के सिद्धान्त को स्वीकार तो लिया है।

—निदेशक

टैगोर शिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, जयपुर-302016

भारत के सर्वप्रथम 'नोबल पुरस्कार' विजेता कौन ? विश्व के महाकवि कहलाए, कौन? हमारे राष्ट्रगीत के निर्माता, महान प्रकृति प्रेमी आदि, महान आदर्शों के प्रेरणादायक कौन? इन सबका एक ही उत्तर है— रवीन्द्रनाथ टैगोर। जिनका साहित्य देश और काल की सीमाओं को लाँघकर मानव मात्र तक पहुँचा है। टैगोर अपने पवित्र जीवन और उच्च आदर्शों के कारण ही महर्षि कहलाए।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा आजकल की प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के अनुसार ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने प्रकृति की गोद में बैठकर सुन्दर दृश्यों को निहारा और उसके मूक स्पर्शों एवं विचारों को समझा। उनकी धारणा के अनुसार विद्यालय की चार दीवारें कल-कारखाने के समान हैं। और शिक्षक व्यापारी, क्योंकि शिक्षक 'शिक्षा' बेचता है। शिक्षा को दीवारों से घेरकर, द्वार से रोक कर, दंड आदि देकर, घण्टे-घंटियों के सहारे चलाने की व्यवस्था को टैगोर ने पसन्द नहीं किया। इसका आशय यह है कि आडम्बर और कृत्रिमता में उनका विश्वास नहीं था। उनकी धारणा थी कि हमारे बच्चे खुले आकाश के नीचे विशाल मैदान में प्राकृतिक वृक्षों के मध्य शिक्षा ग्रहण करें।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वेदों, उपनिषदों तथा विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं का अध्ययन किया। साहित्य का कोई अंग टैगोर की लेखनी से बच न सका। वे मौलिक विचारक थे। उपन्यास, निबन्ध, गीत, भजन, नाटक आदि लिखने में

रवीन्द्रनाथ टैगोर दर्शन

□ वृद्धिचन्द गोठवाल

असाधारण सफलता प्राप्त की। गीतांजलि, साधना, मून, दी पोस्ट ऑफिस, गोरा, दी गार्डनर, चित्रांगदा, मानसी, प्रभात संगीत, संन्यासी, नैवेद्य, बलिदान आदि कई पुस्तकें जनप्रिय हैं। सन् 1913 में रवीन्द्रनाथ को 'गीतांजलि' पर साहित्य की उत्कृष्ट सेवा के लिए विश्वप्रसिद्ध नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की उपाधि से विभूषित किया। इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा, फिर तो यूरोप और अमेरिका की विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए।

टैगोर मानवता के असीम पुजारी थे। उन्होंने मनुष्य को विधाता की अनुपम कृति कहा। उनकी दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार मानव ईश्वर से पृथक् नहीं है। उन्होंने कहा— मानवता से प्रेम करना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। सचमुच वे परम देशभक्त थे। उन्होंने देशभक्ति पर अनेक कविताएँ लिखी हैं। उनकी कविताएँ प्यार, उत्साह और मानवता का सन्देश देती हैं। उनके दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म, आत्मा और जीव, सत्य और ज्ञान, जगत और प्रकृति, प्रेम—

साधना, धर्म और नैतिकता मुख्य है। टैगोर ने बताया है कि— हमें ईश्वर को उसी प्रकार अनुभव करना चाहिए जिस प्रकार हम प्रकाश का अनुभव करते हैं। प्रेम और आनन्द के भाव से ही मनुष्य ईश्वर से जुड़कर शान्ति, सुख एवं प्रगति देख सकता है।

रवीन्द्रनाथ सन् 1915 में महात्मा गाँधी के सम्पर्क में आए तब टैगोर को गुरुदेव के नाम से सम्बोधित किया और टैगोर ने भी गाँधी जी को महात्मा के नाम से, जो आज भी ये दोनों शब्द दोनों के नाम के साथ जुड़े हैं। दरअसल रवीन्द्रनाथ टैगोर और गाँधीजी दोनों विश्व को भारतीय संस्कृति की दो महान देन हैं। रवीन्द्रनाथ का मूल कार्य क्षेत्र साहित्य, कला और अध्यात्म था। वे विश्वबन्धुत्व और मानवता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सन् 1901 में अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए बोलपुर में 'शान्ति निकेतन' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पद्धति पर युवकों को कला और संस्कृति की शिक्षा देना था।

मानवता के इस पुजारी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। विश्व को बहुत कुछ देकर अस्सी वर्ष की आयु में 8 अगस्त 1941 को अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन भारत का राष्ट्रगीत 'जन-गण-मन' गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की अमर देन है, जिसे गाकर हमें गौरव होता है।

—गौतम आश्रम के पास,

कपासन (चित्तौड़गढ़)–312 202

विश्व पर्यावरण दिवस : 5 जून 2013

पर्यावरण संरक्षित तो जीवन सुरक्षित

□ सम्पतलाल शर्मा 'सागर'

पर्यावरण एक व्यापक सम्प्रत्यय है, मनुष्य जिस प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में रहता है वह सब उसका पर्यावरण होता है। पर्यावरण व मानव में अटूट सम्बन्ध है तथा पर्यावरण के प्रति सजगता की भावना विश्व के सभी धर्मों में बहुलता से मिलती है। अपने पर्यावरण से संतुलन बनाए बिना मनुष्य का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के इस धूल, धुएँ और प्रदूषण भरे युग में जिस वस्तु को संरक्षित किए जाने की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है हमारा पर्यावरण।

वास्तव में पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है और हमारे जीवन की गुणात्मकता को प्रभावित करता है। इस दृष्टि से पर्यावरण में दोनों ही भाग सम्मिलित हैं—प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण। आज तो प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों ही भयंकर रूप से प्रदूषित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण ने इस पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट पैदा कर दिया है तो सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदूषण ने मानवीय चरित्र का संकट पैदा कर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम आज के समाज को क्या कहे? मानव समाज या नर-पशुओं या पिशाचों का समाज?

कहा जाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है पर वह पर्यावरण के हाथ में निष्क्रिय खिलौना नहीं है कि जैसे चाहे पर्यावरण उससे खेल सके। वह सचेतन और क्रियाशील प्राणी है जो अपने पर्यावरण को संभालता भी है और कभी-कभी बिगाड़ता भी है। जाने-अनजाने में मनुष्य ने अपने पर्यावरण के साथ ऐसा खेल खेल दिया है जो उसके अस्तित्व के लिए ही घातक बन गया है। भौतिक सुखों की असीम लालसा और विकास की अंधी दौड़ ने इस पर्यावरण संकट को जन्म दिया है। अब विश्व के शिक्षाविदों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों और जनसाधारण के सामने इसके संरक्षण की चुनौती है।

आज नुकड़ के स्कूल की छोटी कक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक सभी बिगड़ते

पर्यावरण को लेकर चिंतित है। यह चिन्ता समाधान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित तो कर सकती है किन्तु समाधान नहीं है। स्कूल के पाठ्यक्रम में भी पर्यावरण को पिछले काफी वर्षों से महत्व दिया जा रहा है और रिपोर्ट कार्ड पर भी परिणाम अच्छे आ रहे हैं लेकिन एक विषय के रूप में न कि यथार्थ के धरातल पर।

पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव—

(1) आज हमारे देश की 90% आबादी शुद्ध पेयजल संकट का सामना कर रही है। नदियों पर बड़े-बड़े बाँधों का निर्माण, नहरों में बढ़ते प्रदूषण ने साफ पानी की उपलब्धता को घटाया है। नदियों में कचरा बहाये जाने से भी शुद्ध पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है।

(2) आजकल ठोस वस्तुओं में मानव पॉलिथिन, प्लास्टिक से बनी वस्तुएँ आदि का निर्माण कर रहा है। वास्तव में पॉलिथिन दो प्रकार की गैसों का मिश्रण करके तैयार किया जाता है, एक पॉलि, दूसरी इथेन। दोनों ही पर्यावरण के साथ स्थापित चीजों को नुकसान पहुँचा रही हैं।

(3) परमाणु परीक्षण, आणविक विस्फोट तथा अणु संचालित संयंत्रों से निकले रेडियोधर्मी पदार्थ न केवल कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। बल्कि जीवों की आनुवांशिक संरचना को भी प्रभावित कर रहे हैं।

(4) वनों के कटने तथा उद्योग-धंधों के बढ़ने से विषैली गैसों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में हो रहा है। फलस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव केवल जीवों पर ही नहीं अपितु ऐतिहासिक इमारतों पर भी पड़ रहा है। जिसका ज्वलन्त उदाहरण है—ताजमहल, जो मथुरा तेल-शोधक कारखाने से निकले धुएँ से प्रभावित हुआ है।

(5) ध्वनि-प्रदूषण नियंत्रण कानून का समुचित पालन नहीं होने से भी पर्यावरण प्रदूषित

हो रहा है। दिल्ली, जयपुर, कानपुर, हैदराबाद, बँगलोर, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता के क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता क्रमशः 70, 89, 89, 83, 83, 89, 83 तथा 94 डेसीबल तथा आवासीय क्षेत्रों में क्रमशः 60, 72, 67, 72, 72, 72, 78 तथा 89 डेसीबल पाई गई जो पर्यावरण संरक्षण के मानकों की दृष्टि से संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

(6) सेंटर फोर साइंस एण्ड एन्वायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1993 से 2005 के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते यमुना नदी के प्रदूषण में 250% इजाफा हुआ है। आज पीना तो दूर की बात दिल्ली में यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं रहा है। यमुना में अकेले राजधानी दिल्ली में 20 हजार क्यूसेक सीवेज, एक हजार टन गोबर व 300 टन ठोस कचरा प्रतिदिन गिरता है। यहाँ नदी की लम्बाई 22 कि.मी. है, जिसमें 25 नाले और 200 अवैध कॉलोनिनों का कचरा बहाया जाता है।

(7) हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों से प्रति हजार में से 275 पुरुष और 202 वयस्क महिलाओं की मौत हो जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे यहाँ प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या आतंकवाद के शिकार हुए लोगों से ज्यादा है।

(8) देश के 14 राज्य भूमिगत जल प्रदूषण के कारण फ्लूरोसिस की चपेट में है और 50 लाख से भी अधिक लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस रोग की वजह से हड्डियाँ कमजोर होकर टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। गंभीर स्थितियों में मरीज की उम्र तक घट जाती है।

(9) एक अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह मोबाइल फोन के अंदर भी कई खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं। यदि पुराने हैंडसेट और इनके पुर्जों को ठीक

तरीके से निपटाया न गया, तो ये पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं।

(10) ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे बड़ी समस्या है। विश्वविख्यात पर्यावरणविद् जेफ गुडेल ने चेतावनी दी है कि जलवायु में भारी बदलाव के परिणामस्वरूप इस सदी में छः अरब व्यक्ति मारे जाएँगे। यह गंभीर भविष्यवाणी मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले कारणों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है।

स्पष्ट है कि प्रकृति को समझने की क्षमता के अभाव में और व्यापक स्तर पर तकनीकी के दुरुपयोग ने कई विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। मानव ने प्रकृति का इस कदर दोहन किया है कि प्रकृति अपने आपको संतुलित रखने में असमर्थ हो रही है। पर्यावरण के असन्तुलन को देखते हुए वर्तमान एवं भावी पीढ़ी में पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के प्रति चेतना जाग्रत करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में आज के युग में पर्यावरण शिक्षा बहुत ही प्रासंगिक है। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर औपचारिक शिक्षा तथा जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण के प्रति उपयोगिता विकसित करने और किसी भी बच्चे को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए विद्यालयों में निम्नांकित गतिविधियों का संचालन अपेक्षित है—

(1) विद्यालयी परिसर को हरा-भरा रखने व वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में बच्चों का सक्रिय सहयोग लिया जाए ताकि पर्यावरणीय संरक्षण व स्वच्छता के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। (2) पर्यावरणीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में समय-समय पर पाठ्यसहगामी क्रियाओं के रूप में पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर, स्लोगन, निबन्ध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। (3) लघुनाटकों द्वारा पर्यावरण से सम्बन्धित विषय सामग्री का मंचन किया जाए तथा अध्यापकों व छात्रों के लिए ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।

(4) बच्चों व शिक्षकों के लिए पर्यावरण क्रियाओं, संरक्षण व पुनःउत्पत्ति से सम्बन्धित ज्ञानपरक साहित्य उपलब्ध कराया जाए जो पर्यावरणीय शिक्षा पर आधारित हो।

(5) पर्यावरण सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित आधारित ज्ञानपरक साहित्य बच्चों के माता-पिता को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी चेतना जागृत हो सके। (6) बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि अपने जन्मदिन, परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन, पर्व विशेष पर कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लें ताकि उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सके।

5 जून 1972 को 'स्टॉक होम' में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 'मानव

पर्यावरण' के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम नाकामयाब हैं। प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस पर सेमिनार व संगोष्ठियों का आयोजन करके सिर्फ वागविलास करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान सदी जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति की सदी है, वहीं दूसरी तरफ यह पर्यावरण को बढ़ते प्रदूषणों से बचाने व पर्यावरणीय सन्तुलन को कायम रखने की भी सदी है, अतः—

*'आओ हम सब मिलकर,
करें पर्यावरण को संरक्षित।
ताकि धरती के हर प्राणी का,
जीवन हो जाए सुरक्षित।'*

—रा.उ.प्रा.वि. सोनियाणा,

पो. गिल्लूड, जि. राजसमन्द-313207

ये राजस्थान है !

ये राजस्थान है,
अमन और चैन की धरती,
विजय-बलिदान की धरती,
ये राजस्थान है।

यहाँ हर द्वार पर श्रम का सवेरा मुस्कराता है
नये निर्माण का सपना सृजन के गीत गाता है
यहाँ हर जिन्दगी में जागरण का भोर आया है
नये विश्वास ने सहकार से जीना सिखाया है
ये राजस्थान है।

यहाँ हर खेत और खलिहान नवयुग की कहानी है
चढ़ाने के लिए निज रक्त आतुर हर जवानी है
यहाँ कल कारखानों में अतुल फौलाद ढलता है
नये मरुदेश में विश्वास का सूरज निकलता है
ये राजस्थान है।

यहाँ गाँधी-जवाहर ने नई मंजिल बताई है
हमारी चेतना सद्भाव के पुष्कर नहाई है
यहाँ इंसान में इन्सानियत का दीप जलता है
नये अभियान का जयगीत कंठों में मचलता है
ये राजस्थान है।

समय सम्मान की धरती,
नई पहचान की धरती
ये राजस्थान है।

—वेद व्यास

अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

शिक्षण में कार्टून का उपयोग

□ रामबाबू माथुर

‘कार्टून’ शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जैसे ही सुबह अखबार आता है— हमारी नजर सबसे पहले मुखपृष्ठ पर प्रकाशित कार्टून पर पड़ती है। वस्तुतः कार्टून समाचार-पत्र का ‘सम्पादकीय’ है। एक कार्टून पिछले दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना को व्यक्त कर देता है।

एक प्राचीन चीनी कहावत है— ‘एक बार देखना, सौ बार बताने से अच्छा है।’ सम्भवतः यह कहावत पूर्णतः सत्य न हो, किन्तु इसमें सत्य की बड़ी मात्रा पाई जाती है।

JOSEPH J. WEBER (वेबर) महोदय का कहना है कि ‘विभिन्न वस्तुओं के बारे में हमारी 40 प्रतिशत अवधारणा दृश्य अनुभवों पर, 25 प्रतिशत श्रव्य अनुभवों पर, 17 प्रतिशत स्पर्श अनुभवों पर, 15 प्रतिशत अन्य शारीरिक अनुभवों पर तथा 3 प्रतिशत स्वाद सुगंध सम्बन्धी अनुभवों पर आधारित होती है। इस मत के अनुसार यदि प्रभावशाली ढंग से अध्ययन कराना है तो हमें विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री का उपयोग करना होगा, जिससे विद्यार्थी देख-सुन, सूँघ-चख सके क्योंकि इन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति के प्रवेश द्वार मानी जाती हैं।

आज छात्र/छात्राओं में पाठ्यक्रम बोझिल होने तथा परम्परागत शिक्षण विधियाँ अपनाने के कारण शिक्षा के प्रति नीरसता व्याप्त है, जिसके कारण अनुशासनहीनता एवं पलायनता जैसी समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यह बात छोटी एवं बड़ी सभी कक्षाओं के छात्र/छात्राओं में देखी जा रही है। अतः वर्तमान में शिक्षण को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षित बनाने के लिए विभिन्न नवीन शिक्षण विधियाँ यथा— नाटक, कहानियाँ, कठपुतलियों द्वारा, फिल्म, टेपरिकार्ड, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर इत्यादि का प्रयोग भी किया जा रहा है।

आइए ! मैं आपको एक नई रोचक शिक्षण विधि को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, यह है— ‘शिक्षण में कार्टून (व्यंग्य चित्रों) का उपयोग।’

जी हाँ, हम कार्टून के माध्यम से अथवा इन्हें सहायक सामग्री के रूप में अपनाकर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। कार्टून

वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा दिया गया ज्ञान न केवल प्रभावशाली व रुचिकर होगा, अपितु अधिक स्थायी भी होगा। क्योंकि कार्टून पाठकों को गुदगुदाता है, हँसाता है और अपने अन्दर तक चोट भी करता है। जिस बात को समझने में कई घण्टे लगते हैं या लिखने में कई पृष्ठ खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें कार्टून के माध्यम से कुछ ही समय में अधिक अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्टून ‘गागर में सागर’ की उक्ति



शिविरा पत्रिका के पाठक रामबाबू माथुर के नाम से खूब परिचित हैं। वे मूलतः शिक्षक हैं। हाल ही में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पिछले लगभग 28-30 वर्षों से विभिन्न शैक्षिक विषयों पर बनाए इनके कार्टून शिविरा में प्रकाशित हो रहे हैं जो चर्चित एवं पसन्द किए जा रहे हैं।

श्री माथुर के देश की सभी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में अब तक लगभग 10 हजार कार्टून छप चुके हैं। मा.शि. बोर्ड राजस्थान हेतु कक्षा 11 एवं 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के सहलेखक रह चुके श्री माथुर का बनाया कार्टून वर्तमान में श्री एनसीईआरटी एवं राज. बोर्ड की कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया गया है।

आपकी ‘हँसिए जनाब एवं कार्टूनिस्ट बनिए’ नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है एवं अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। शिविरा को यथा समय सामयिक विषयों पर कार्टून भिजवाने के लिए उनके प्रति आभारी हैं।
—व.सं.

को चरितार्थ करते हैं।

कार्टून का प्रभाव एवं लोकप्रियता को आज सभी स्वीकार करते हैं। एक टीवी कार्यक्रम पर किए गए सर्वे के अनुसार— सबसे लोकप्रिय चैनल जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक पसन्द करते हैं वह ‘कार्टून चैनल’ है। कार्टून के दमखम के कारण आज अनेक विज्ञापनों में इसका उपयोग किया जा रहा है।

ऐसी सशक्त विद्या को क्यों न हम अपने शिक्षण में भी अपनाएँ। यह सहायक सामग्री स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, अपितु साधन मात्र है— जो सीखने/समझने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके अलावा जिस लाभ/उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई प्रकरण पढ़ाया जा रहा है— उस तक पहुँचाने में उक्त सहायक सामग्री का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए न किया जाए अपितु पाठ की किसी विशेष बात को अधिक स्पष्ट व सरल करने के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है।

शिक्षण में कार्टून के उपयोग के उद्देश्य— (1) शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना। (2) शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाना। (3) छात्र/छात्राओं में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। (4) पलायनता, नीरसता, अनुशासनहीनता आदि समस्याओं को समाप्त करना। (5) छात्र/छात्राओं को भयमुक्त एवं तनाव-रहित, स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। (6) छात्र/छात्राओं में कल्पना, निरीक्षण, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। (7) सुदृढ़ एवं स्थायी ज्ञान प्रदान करना। (8) शिक्षकों में एक नवीन ‘कौशल’ विकसित करना।

कार्टून का व्यावहारिक प्रयोग— कार्टून बनाने में रुचि रखने एवं शिक्षक होने के कारण मैंने स्वयं ने लगभग 20-22 वर्षों पूर्व अपने कुछ अध्यापन कार्य में इस नवीन विधि का सृजन

कर प्रयोग किया। अजमेर जिले की कुछ शिक्षण संस्थाओं में इस सम्बन्ध में सफल वार्ता एवं प्रदर्शन किया, जिसे छात्रों एवं शिक्षाविदों ने पसन्द किया व सराहना की। राजकीय उच्च अध्ययन एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (टी.टी. कॉलेज) में 'अध्यापन कौशल' पर एक कार्टून स्क्रिप्ट तैयार की, जिसकी उस समय वीडियो फिल्म भी उक्त संस्थान द्वारा तैयार कराई गई। इसी प्रकार उक्त संस्थान द्वारा प्रयोगशाला में छात्रों को कैसा व्यवहार करना चाहिए (प्रयोगशाला में सावधानियाँ) विषय पर भी एक कार्टून स्क्रिप्ट तैयार की।

इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक कार्य हुआ, लोगों ने इसके महत्त्व को पहचाना, स्वीकार किया। भारत के कई शिक्षा बोर्ड ने अपनी पाठ्यपुस्तकों में कार्टून को विषयवस्तु के साथ उपयोग किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (NCERT) ने (2007 से) अपनी पाठ्यपुस्तकों (छोटी कक्षाओं की पुस्तकों में तथा कक्षा 9 एवं 10 की सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 11 एवं 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों) में शंकर, आर.के. लक्ष्मण, अबु, कुट्टी, सुधीर तैलंग, रविशंकर आदि ख्यातिप्राप्त कार्टूनिस्टों के बनाए हुए कार्टून को सम्मिलित किया। जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने भी वर्ष 2011 से प्रारम्भ अपनी कक्षा 9 एवं 10 सामाजिक विज्ञान व कक्षा 11 एवं 12 की राजनीति-विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेकों कार्टून सम्मिलित किए हैं। मुझे खुशी है कि एनसीईआरटी एवं मा.शि. बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 राजनीति-विज्ञान की उक्त पाठ्यपुस्तक में मेरा बनाया हुआ कार्टून भी शामिल किया।

दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार— 'नेशनल कौंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी' व 'राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी' के संयुक्त तत्वावधान में हुए एक सेमिनार में कार्टून

से अध्ययन व अध्यापन पर चर्चा की।

विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर ने वर्ष 2002 में बी.एड. में फिजिक्स के पाठ्यक्रम में 'साइंस टूंस' को वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा। शिक्षाविदों का मत है कि 'कार्टून से पढ़ाई ने साइंस को एकदम सहज और दिलचस्प सब्जेक्ट बना दिया है।'

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने भी अपने सत्र 2003 से बी.एड. कैरुकुलम में इस मॉडल को अपनाया। प्रो. एम.पी. शर्मा के अनुसार 'बी.एड. प्रशिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में कार्टून का उपयोग होता है, अध्यापक दक्ष है तो शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।'

बाजार में उपलब्ध सामग्री— राजस्थान पत्रिका प्रकाशन 'बालहंस' (बच्चों की पाक्षिक पत्रिका) के सम्पादक रहे स्व. अनन्त कुशवाहा ने कार्टून (व्यंग्य चित्र) के माध्यम से हिन्दी के शब्द-परिचय की एक लम्बी शृंखला प्रकाशित की। जिसे देखकर एक बच्चा हिन्दी के शब्द, उसका अर्थ, संज्ञा, विशेषण, लिंग एवं वाक्यों में प्रयोग को आसानी से समझ जाता है। उक्त शब्द परिचय को पत्रिका प्रकाशन ने एक संकलन के रूप में भी प्रकाशित किया है।

आर.के. लक्ष्मण ने अपने कार्टून संकलन 'साइंस स्माइल' में विज्ञान विषय से सम्बन्धित कार्टून बनाए हैं।

अनन्त पै ने भारतीय संस्कृति, पुराणों, ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों-वीरों की जीवनी आदि को 'अमर चित्रकथा' के रूप में सुन्दर एवं सरल तरीके से प्रस्तुत किया है।

'सर्वोत्तम पत्रिका' में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अंग्रेजी, हिन्दी और 11 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में इन अमर चित्रकथाओं के 400 शीर्षकों की 7 करोड़ से भी अधिक प्रतियाँ बिक चुकी हैं। इन चित्रकथाओं के महत्त्व को स्कूलों में भी मान्यता दी है। 1978 में अनन्त पै ने एक प्रयोग किया, जिसमें दिल्ली के 30 स्कूलों के 961 छात्रों को आधा दर्जन अमर चित्रकथाएँ पढ़ने के बाद इतिहास की परीक्षा ली

गई। छात्रों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कि देशभर के केन्द्रीय विद्यालयों ने अपने पुस्तकालयों के लिए अमर चित्रकथाओं को लेना शुरू कर दिया।

विदेशों में कार्टून का शिक्षण में एक अन्य तरीके से भी उपयोग किया जाता है। वहाँ कक्षाओं एवं पुस्तकालयों में कार्टून पत्रिकाएँ रखी रहती हैं। जब छात्र अध्ययन करते या गणित के सवाल करते थकान महसूस करता है तो थोड़ी देर के लिए कार्टून पत्रिका पढ़ने लगता है। कार्टून पढ़कर वो अपने को तरोताजा महसूस करता है एवं पुनः अपने अध्ययन कार्य में लग जाता है।

शिक्षक क्या करें— जिन शिक्षकों को चित्र बनाने में रुचि है वे अपने विषय की पाठ्यपुस्तक में से कुछ पाठों। बिन्दुओं को चुनकर उनपर कार्टून चित्र बनाकर उपयोग करें। किन्तु जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि उनके पाठ्यपुस्तक से सम्बन्धित यदि कोई कार्टून छपा है तो उसे काटकर एक कार्डशीट पर चिपका लें या एक फाइल तैयार कर लें व आवश्यकता अनुसार यथा समय कक्षा में उनका प्रदर्शन करें। यह भी आवश्यक नहीं कि आप बहुत अच्छा ही चित्र बनाएँ— आप संकेत चित्र भी बना सकते हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर ने भी यह सुविधा बना दी है कि हम किसी कार्टून में थोड़ा हेर-फेर कर अपनी आवश्यकतानुसार नया चित्र बना सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बाजार में अनेकों कार्टूनिस्टों के यथा— लक्ष्मण, सुधीर दर, सुधीर तैलंग, काक, कुट्टी, अबु आदि के कार्टून संकलन उपलब्ध हैं। इनमें से भी हम अपने काम की सामग्री ले सकते हैं।

जिन लोगों को कार्टून कला में रुचि है उनके लिए मैंने एक पुस्तक 'कार्टूनिस्ट बनिए' (पुस्तक महल प्रकाशन) तैयार की है। जिसमें कार्टून से सम्बन्धित एवं बनाने की विधि पर सचित्र सरल तरीके से समझाया गया है।

—पूर्व प्रधानाचार्य

आर.पी.एस.सी. कॉलोनी, रातीडांग, अजमेर-4

शिक्षा एवं समाज में अन्तर्सम्बन्ध

□ रामलाल रेगर

व्यावहारिक रूप से समाज शब्द का प्रयोग मानव समूह के लिए किया जाता है। किन्तु वास्तविक रूप से समाज मानव समूह के अन्तर्गत व्यक्तियों के सम्बन्धों की व्यवस्था का नाम है। समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का योग है।

समाज के प्रमुख स्तम्भ स्त्री और पुरुष है। स्त्री और पुरुष का प्रथम सम्बन्ध पति और पत्नी का है, इनके आपसी संसर्ग में सन्तानोत्पत्ति होती है और परिवार बनता है। परिवार में सदस्यों की वृद्धि होती जाती है और आपसी सम्बन्धों का एक लम्बा सिलसिला जारी रहता है। मानव बुद्धिजीवी है इसलिए इसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। मानवेतर प्राणियों में इन सम्बन्धों के मर्यादा के निर्वाह की वैसी बुद्धि नहीं है जैसी मानव में होती है। परिवार सामाजिक जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है।

प्राचीन ऐतिहासिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक युग का जीवन संयुक्त पारिवारिक प्रणाली पर आधारित था। गाँव या शहर में कई पैतृक कुटुम्ब बसे रहते थे और उन पैतृक कुटुम्बों के स्वामी ही गाँव के बड़े एवं मुखिया होते थे। कुटुम्ब का संगठन अनुशासन एवं मर्यादायुक्त होता था। परिवार का मुखिया उसका वयोवृद्ध व्यक्ति हुआ करता था। वही धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में परिवार का नेतृत्व करता था। मध्यकाल तक लगभग परिवार की यही व्यवस्था चलती रही। किन्तु यूरोपीय सभ्यता ने जब हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला तो संयुक्त परिवार प्रणाली में बिखराव आने लगा। जहाँ परिवार में कई-कई पीढ़ियों तक संयुक्त रहने का एक नियम सा बन गया था, वहाँ पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से परिवार पति-पत्नी तथा अविवाहित बच्चों तक ही सीमित रह गया। वर्तमान युग आते-आते संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती गई तथा अब यह प्रणाली समाप्त प्रायः ही दृष्टिगत होती है। इस विघटन

का मुख्य कारण व्यक्तिवादी विचारधारा का बाहुल्य है। आज का पारिवारिक जीवन भौतिक जीवन की सुख-समृद्धि जुटाने तक ही सीमित रह गया है। जिन आध्यात्मिक मूल्यों पर यह व्यवस्था आधारित थी उन मूल्यों को हम भूलते जा रहे हैं। आदिकाल से ही हमारा समाज पितृ प्रधान रहा है। यही कारण है कि पैतृक सम्पत्ति के संरक्षण, वंश विस्तार तथा पिता के मरणोपरान्त उसे ऋण से उद्धार होने हेतु पुत्र का होना आवश्यक समझा जाने लगा तथा सन्तान का होना भी अत्यावश्यक समझा जाने लगा। यह सामाजिक व्यवस्था एवं मनोवृत्ति आज भी भारतीय जनमानस में विद्यमान है। हाँ वर्तमान में यह अवश्य हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकारी कानूनों एवं प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप नियोजित परिवार की धारणा बनी है, किन्तु पुत्रहीन होना आज भी किसी को पसंद नहीं है।

भारतीय संस्कृति में नारी का परम्परागत आदर्श है— “यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता”। भारतीय संस्कृति इसके जननी, भगिनी, पत्नी तथा पुत्री के पवित्र रूपों को अंगीकार करती है। जिसमें ममता, करुणा, क्षमा, दया, कुलमर्यादा का आचरण तथा परिवार एवं स्वजनों के निमित्त बलिदान की भावना हो, वह भारतीय नारी का आदर्श रूप है। नारी का मातृरूप महत्वपूर्ण आदर्श है— जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी किन्तु भारतीय संस्कृति की विचारधारा में नारी पतिव्रत-धर्म मातृ रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकृति ने नर और नारी में भिन्नता प्रदान की है और यही कारण है कि उनके कर्म भी अलग-अलग हैं। किन्तु ये दोनों एक दूसरों के पूरक हैं। मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति अधिकार करके एक शासन चाहता है, जो उसके जीवन का परम लक्ष्य है और कठोर परिश्रम के पश्चात विश्राम की आवश्यकता होती

है तो शीतल विश्राम है, स्नेह, सेवा और करुणा की मूर्ति रूपी नारी। नारी के अनेक रूपों में पर का पत्नी रूप से अति निकट का सम्बन्ध है। नर-नारी सम्बन्धों का सुन्दर रूप दाम्पत्य जीवन है क्योंकि पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने पर ही प्रजा का सृजन कर सकते हैं और परिवार को सुचारु रूप से चला सकते हैं। आधुनिक युग में भी शिक्षित, जागरूक, चरित्रवान आदर्श सुपत्नी ही आदर्श भारतीय नारी है।

ऊपर यह स्पष्ट किया गया है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु आज भी हमारा समाज पितृ प्रधान ही है। देश के विभिन्न समुदायों तथा वर्गों में स्त्री की सामाजिक स्थिति पुरुष की अपेक्षा निम्न मानी जाती है। यहाँ अभी भी ऐसे रीति-रिवाज, अंधविश्वास और धर्म विधियाँ या कर्मकाण्ड हैं जो स्त्री को नीचा दिखाते हैं और पुरुष को स्त्री से उच्च व बहुत अधिक वाँछित साबित करते हैं— जैसे पिता के मरणोपरान्त अन्तिम धार्मिक कृत्य बेटा ही करेगा और बेटे के ही करने से पिता स्वर्ग का भागी होगा। हमारे समाज में ऐसे रीति-रिवाज तथा प्रवृत्तियाँ प्रचलित हैं, जिसके कारण आज भी स्त्रियों को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। जैसे— देहेज-प्रथा या लड़की का पराया धन समझना और शादी के बाद माता-पिता का कोई हक न समझना तथा शादी-शुदा स्त्री को जब तक पुत्र न पैदा हो तब तक उसे परिवार में महत्वपूर्ण स्थान न देना आदि। इन्हीं सामाजिक प्रवृत्तियों और देहेज जैसे रिवाजों के परिणामस्वरूप बेटियाँ चेतन व अचेतन रूप में एक बोझ सी मानी जाती हैं, जबकि बेटे एक पूँजी के समान समझे जाते हैं। यद्यपि आजादी के बाद हुए आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति

में काफी परिवर्तन आया है।

यद्यपि वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव, परिवार नियोजन की धारणा तथा व्यक्तिवादी सोच के कारण नारी स्वभाव में कुछ विकृति आई है। पूर्वकाल में जहाँ नारियाँ अपने दूध से दूसरों के बच्चों का पालन-पोषण करना अपना कर्तव्य समझती थी वहाँ कभी यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि ममता, करुणा, स्नेह और दया की देवी कही जाने वाली नारी अपने ही बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाएगी। किन्तु वर्तमान में यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है। स्त्रियों द्वारा बच्चों को अपना दूध न पिलाना एक समस्या बन गई है और इसी प्रकार यह कहना कि नारी सर्पिणी बन जाएगी अपने ही बच्चे की हत्यारिण होगी असंभव था, किन्तु आज बढ़ती हुई भ्रूण हत्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि इसके लिए पुरुष व चिकित्सक भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। भारत सरकार ने कानून बनाकर भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध करार दिया है।

व्यक्तिवादी सोच एवं फिल्म संसार ने तो वर्तमान में सामाजिक मूल्यों को ताक में रख दिया है। स्मरणीय है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी फिल्म निर्माता पर मुकदमा चलाया गया। किन्तु आज फिल्मों में ही नहीं बल्कि चौराहों पर लगे पोस्टर में नारी को किस रूप में दिखाया जाता है, यह सोचनीय विषय है। यदि समाज के इस परिवर्तन पर ध्यान न दिया गया, इसे नियंत्रित करने का प्रयास न किया गया तो भविष्य में नारी का आदर्श क्या होगा, कहना कठिन है।

दाम्पत्य जीवन का फल संतान उत्पत्ति है। पहले भी लिखा जा चुका है कि नियोजित परिवार की धारणा के बावजूद भी कोई व्यक्ति पुत्रहीन होना पसंद नहीं करता। आज के बच्चे ही कल के स्त्री और पुरुष हैं। बाल्यावस्था में जो संस्कार बनते हैं वही बड़े होने पर प्रकट होते हैं। माँ की गोद को बच्चे की पहली पाठशाला कहा गया है। प्राचीन ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि माँ अपने बच्चों को लोरियों और कहानियों के माध्यम से वीर गाथाएँ और सत्पुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी, जिससे उनके

अन्दर वीरता एवं सच्चाई के भाव पैदा होते थे और बड़े होकर वीर और सच्चे बालक के रूप में धरा को सुशोभित करते थे। कक्षा-3 की पुस्तक में सच्चा बालक नामक शीर्षक में यह पढ़ा था कि हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहे को उनकी माँ ने सच्चाई का पाठ पढ़ाया था और यात्रा पर जाते समय यह समझाया था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। माँ की इस नसीहत का बच्चे अब्दुल कादिर पर इतना गहरा असर था कि रास्ते में डाकुओं द्वारा काफिले का सारा माल लूटे जाने के पश्चात् जब उनसे उनके माल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सदरी में माँ द्वारा छिपाकर रखी गई चालीस अशर्फियों को निकाल कर दिखा दिया, जबकि डाकू उन अशर्फियों को ढूँढ़ने में असमर्थ थे। यह देखकर डाकुओं के सरदार ने आश्चर्य से पूछा ऐ लड़के। तुमने अपने छिपे हुए माल का पता हमें क्यों बता दिया, जबकि तुमको यह पता है कि हम डाकू हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि चलते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बच्चे की इस सच्चाई का डाकुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने काफिले का लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया तथा हमेशा के लिए डकैती का परित्याग कर दिया।

भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन के सम्यक संचालन के लिए मनोवैज्ञानिक आधार पर चार सूत्रीय व्यवस्था की योजना की थी। जिसके अनुसार मानव 100 वर्ष का मानकर चार स्वाभाविक अवस्थाओं में विभक्त किया गया था, जिसके प्रथम 25 वर्ष (ब्रह्मचर्य आश्रम) विद्या अध्ययन हेतु रखा गया था। बालक परिवार की पाठशाला छोड़कर गुरु की पाठशाला में प्रवेश करता था। गुरु गाँव अथवा शहर के वातावरण से पृथक जंगल के शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में छात्र को विद्या अध्ययन कराते थे और अध्ययनोपरान्त छात्र चरित्रवान, सुशील, सहनशील, धैर्यवान एवं आज्ञापालक बनकर अपने घर वापस लौटते थे यद्यपि शिक्षा का यह रूप बहुत सीमित था।

वर्तमान में परिवार के बाद दूसरी महत्वपूर्ण

संस्था विद्यालय है। अधिकांश देशों में प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चूँकि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय बालक को देश-विदेश के इतिहास, भाषा, विज्ञान, गणित, कला तथा भूगोल की जानकारी प्रदान करते हैं। कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान व्यक्ति को किन्हीं खास विषयों का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपनी जीविका उपार्जित कर सकें और समाज का एक उपयोगी अंग बन सकें। वर्तमान में शिक्षा संस्थाओं की बहुतायत है और इन संस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं की भीड़ है। बालक-बालिकाएँ समान रूप से तकनीकी एवं गैर तकनीकी हर क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किन्तु आज की सह-शिक्षा ने पाश्चात्य देशों की तरह हमारे देश में निरंकुश समाज को जन्म दिया है। जिसके परिणामस्वरूप युवक और युवतियों के आचार-विचार में काफी परिवर्तन आया है। आचरणहीनता, अशिष्टता तथा मर्यादा का निर्वाह न करना आम बात बन गई है। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षकों की बहुतायत होने के बावजूद भी समाज नैतिक पतन की ओर जा रहा है। इसके पीछे जो कारण प्रतीत होता है वह यह है कि शिक्षा का उद्देश्य लिखने-पढ़ने के योग्य बन जाना और शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त कर लेना है। हमारी आज की शिक्षा में कहीं भी इस बात पर बल नहीं दिया गया है कि शिक्षा के माध्यम से चरित्र का निर्माण हो और मर्यादा का पालन किया जायेगा। आज का एक डॉक्टर समाज का शिक्षित और संभ्रांत व्यक्ति है। क्या यह डॉक्टर अपने भौतिक सुख के लिए अथवा भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कई पत्नियों, एक के बाद दूसरी को जहर के इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार सकता है। क्या उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च अधिकारी पति-पत्नियों की आपसी आचरणहीनता एक दूसरे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है। इस प्रकार की अनेक खबरें

समाचार पत्रों के माध्यम से आज के शिक्षित समाज की प्राप्त होती रहती हैं जो आज के शिक्षित समाज के लिए एक अभिशाप है।

परिवार और शिक्षण संस्थाओं के बाद व्यक्ति के लिए उसका पड़ोस और आस-पास का इलाका सबसे अधिक महत्त्व रखता है। पड़ोसी अलग-अलग जातीय समुदाय से सम्बन्धित हो सकते हैं। उनके व्यवसाय धार्मिक विश्वास और रहन-सहन का ढंग भी अलग-अलग हो सकता है, किन्तु पड़ोसी होने के कारण कुछ सम्मिलित जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण इस बात में है कि गली-मुहल्ला साफ-सुथरा रहें, सभी लोग यह चाहेंगे कि पड़ोस में शान्तिपूर्ण वातावरण रहे, सभी यह चाहेंगे कि उनके बच्चे बुरी आदतों का शिकार न बने और पड़ोस में आमोद-प्रमोद का स्वस्थ वातावरण बना रहे। अच्छे पड़ोसी के लिए यह आवश्यक है कि वह पास-पड़ोस को साथ-सुथरा रखें, पड़ोसियों के दुःख-दर्द में शामिल हो, उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें, चोरों और अजनबी लोगों पर नजर रखें, बच्चों को कुसंगति से बचायें आदि।

हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से परिपूर्ण है। सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है और सबके ही सुख और कल्याण की कामना की गई है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भागभवेत्॥

—भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर-305001



स्कूल का पुनर्निर्माण

□ करनीदान कच्छवाह

महान रूसी साहित्यकार लेव टॉलस्टॉय (1828-1910) एक संवेदनशील शिक्षाविद् भी थे। उनके लिखे शिक्षा सम्बन्धी आलेख शिक्षा जगत में बड़े चाव से पढ़े और गुने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्कूल का पुनर्निर्माण' में प्रकाशित आलेखों में से एक महत्त्वपूर्ण आलेख, जो वस्तुतः उनके द्वारा अपनी बहन को लिखा गया पत्र है, यहाँ दिया जा रहा है। यह विद्यालयों के ऊँचले पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। यह आलेख भिजवाने के लिए हम श्री करनीदान कच्छवाह, व्याख्याता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। —व.सं.

प्रिय अ.अ. तोलस्ताया,

मेरा भी एक काव्यमय, मनभावन काम है, जिसे मैं किसी भी तरह नहीं छोड़ सकता—यह स्कूल है। दफ्तर के काम और घर की सभी इयोदियों से अपना पीछा कर रहे देहातियों से फुर्सत पाकर मैं स्कूल जाता हूँ। मगर चूँकि उसका पुनर्निर्माण चल रहा है, तो कक्षाएँ पास ही बाग में सेब के पेड़ों के नीचे लगती हैं। घास और झाड़ियाँ इतनी ज्यादा उग आई हैं कि वहाँ तक सिर्फ झुककर ही पहुँचा जा सकता है। वहाँ अध्यापक और उसके गिर्द घेरा बाँधकर घास के तिनके कुतरते या लिंडन और मैपल की पत्तियाँ चटकाते बच्चे बैठे होते हैं। अध्यापक मेरी सिफारिशों के अनुसार पढ़ाता है। पर फिर भी बहुत अच्छी तरह से नहीं और बच्चे भी महसूस करते हैं। वे मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। हम तीन-तीन, चार-चार घंटे बैठे बातें करते रहते हैं और कोई भी नहीं ऊबता। मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कैसे बच्चे हैं। यह जानने के लिए उन्हें अपनी आँखों से देखना होगा। हमारे प्यारे तबके में तो मुझे ऐसे बच्चे देखने को मिले नहीं हैं। जरा सोचो तो कि दो साल के दौरान और जबकि ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन बिल्कुल भी नहीं था। एक भी लड़के या लड़की को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ी। सुस्ती, बदतमीजी,

फूहड़ मजाक या गाली-गलौज की एक भी घटना नहीं हुई। स्कूल की इमारत अब बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। तीन बड़े कमरे— एक गुलाबी और दो नीले कक्षाओं के लिए हैं। एक कमरे में इसके अलावा एक संग्रहालय भी बनाया गया है। दीवारों से लगे तख्तों पर पत्थरों, तितलियों, घासों और फूलों के नमूने, भौतिक के उपकरण, आदि सजाये गये हैं। रविवार के दिन संग्रहालय सबके लिए खुला रहता है। सप्ताह के एक बार वनस्पतिशास्त्र की कक्षा होती है और हम सब फूल, घास तथा कुकुरमुते इकट्ठे करने जंगल में जाते हैं। गायन की सप्ताह में चार कक्षाएँ होती हैं और चित्रकला की छह। बहुत अच्छी बात है। भूमि की पैमाइश सिखाने का काम तो इतना अच्छा चल रहा है कि किसान अभी से हमारे विद्यार्थियों को बुलाने लग गये हैं। अध्यापकों की संख्या मेरे अलावा तीन है। सप्ताह में दो बार पादरी भी आता है और फिर भी आप सोचते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। बेशक मैं अभी पादरी को ही पढ़ा रहा हूँ कि कैसे सिखाना-पढ़ाना चाहिए।

कक्षाओं का समय आठ से बारह और तीन से छह बजे तक होता है और पूर्वाह्न की कक्षाएँ हमेशा दो बजे तक खिंच जाती हैं, क्योंकि बच्चे कक्षा छोड़ना ही नहीं चाहते। संध्या को भी प्रायः आधे से ज्यादा बच्चे बाग में छप्पर के नीचे रात काटने को रह जाते हैं। दिन और शाम के भोजन के वक्त और शाम के खाने के बाद हम अध्यापक लोग आपस में सलाह-मशविरा करते हैं। शनिवारों को हम एक-दूसरे को अपनी प्रेक्षण टिप्पणियाँ पढ़कर सुनाते हैं और अगले सप्ताह के लिए तैयारी करते हैं।

पत्रिका मैं सितम्बर से शुरू करने की सोच रहा हूँ। मध्यस्थता दिलचस्प और मजेदार काम है, पर यह अच्छा नहीं लगता है और हर प्रकार से मेरे des batons dans les roves (कामों में अड़ेंगे डालता है)।

अलविदा, प्रिय मित्र। पत्र सम्पर्क बनाए रखना।

सस्नेह आपका,
लेव टॉलस्टॉय

—व्याख्याता, भौतिकी रा.उ.मा.वि., दियातरा

शिक्षा से संस्कृति का विकास

□ डॉ. प्रतिमा मोहन कौशिक

प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है तथा वर्तमान में विभिन्न संवर्गों में शिक्षा का गुणात्मक तथा संख्यात्मक प्रसार भी हो रहा है। संसार की अनेक प्राचीनतम संस्कृतियाँ आक्रमणों एवं अवरोधों का शिकार होती रही हैं, भारतीय संस्कृति भी इनसे अछूती नहीं रही, परन्तु यह अपनी कुछ मौलिक विशेषताओं तथा उनमें समयानुकूल परिष्कार के उदारभाव के कारण विश्व में बेजोड़ रही है। यवन, शक, हूण, कुषाण, तुर्क, अफगान, मुगल तथा अंग्रेजी जाति-साम्राज्यों ने अपने शासन से हमारी संस्कृति को प्रभावित किया, लेकिन जिस प्रकार अनेक छोटी-छोटी नदियाँ व नाले गंगा में मिलकर उसे समृद्ध कर स्वयं गंगा के ही अंग बन जाते हैं वैसे ही तमाम संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति में एकाकार होती चली गईं।

किसी भी देश की संस्कृति के मूल तत्व धर्म, दर्शन, चिन्तन, साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला, भाषा, रहन-सहन, खान-पान, उत्सव-त्यौहार, स्वागत-सत्कार एवं शिक्षा आदि हैं। हमारी संस्कृति ने प्राचीनकाल से ही शिक्षा के मौलिक संस्थानों की स्थापना के साथ मानवीय गुणों का विकास कर अपने को विकासमान बनाया है। हमारी संस्कृति ठहरे पानी की तरह जड़ नहीं बल्कि बहते स्वच्छ पानी की तरह गतिशील है। यह बहुत सी छोटी-छोटी संस्कृतियों का संकुल है। शिक्षा के प्रसार से ही हम सांस्कृतिक रूप में बहुलतावादी बने रहे हैं।

शिक्षा शब्द का उद्भव लैटिन शब्द 'एज्यूकेटम' से हुआ है जिसका तात्पर्य है 'दू-ड्रा आउट' अर्थात् बाहर निकालना। हमारे अन्तर्निहित गुण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं, प्राचीनकाल में जब शिक्षा का प्रचार-

प्रसार बहुत नहीं था तो मनुष्य का जीवन पशुवत था, ज्यों-ज्यों शिक्षा का विकास हुआ उससे व्यक्ति के अन्तर्निहित गुणों के प्रसार का भी पर्याप्त स्थान मिला।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और सामूहिक रूप से ही अपनी समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए समूह में रहते हुए अपने साथ तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करे, इसके लिए हमारे समाज में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, इतिहास जैसे समाज विज्ञानों का विकास किया। यह शिक्षा की ही देन है कि हमने अपने संस्कारों एवं मूल्यों की रक्षा भी की तथा इन्हें समृद्ध भी बनाया है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं नैतिक शक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास को मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना गया है, यही हमारी शिक्षा की सर्वांगीण विकास की अवधारणा है जिसे शिक्षा नीति में, शिक्षा प्रणाली में शामिल रखने की बात होती रही है। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों की बात करें तो हम जानेंगे कि स्पार्टा में शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। एथेन्स की संस्कृति में केवल मानसिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। रोम, मिश्र, काबुल आदि की प्राचीन संस्कृतियों में भी अधूरापन दीखता है, यूरोप की आधुनिक संस्कृति भी आत्मिक विकास के अभाव में अधूरी सी लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति के विकास में आरम्भ से ही विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों, नालन्दा एवं तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं भारतीय संस्कृति के उपासकों ने शिक्षा पद्धति के गुण-दोषों पर समय-समय पर चिन्तन कर इसके गुणात्मक विकास पर भी बल दिया है।

लेकिन आज जब हम देखते हैं कि चारों

तरफ वैश्वीकरण का प्रभाव है, बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने हमारी संस्कृति की चूलों को हिला दिया है, हमारा सर्व धर्म सद्भाव वाला समाजवादी ढाँचा चरमराने लगा है। जाति-धर्म पर आधारित राजनीति का विकृत चेहरा हमारी सांस्कृतिक विकास धारा को अवरुद्ध कर रहा है। जनबल और धनबल से ही नीतियाँ तय की जा रही हैं। तब यह प्रासंगिक है कि आज शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, शिक्षानीति में तथा शिक्षा-नियोजन में हमारी संस्कृति के उन तमाम मूल्यों को समाविष्ट किया जाना चाहिए जो हमारे समाज को तथा हमारे देश को पुनः संस्कारित करें और यह कार्य शिक्षा के गुणात्मक सुधार से ही संभव है क्योंकि भारतीय मनीषियों, चिन्तकों और शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा को मनुष्य के जीवन के परिष्कार एवं विकास की प्रणाली तथा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास का उपक्रम माना है। शिक्षा को ऐसी संस्कार-प्रक्रिया माना गया है जो जीवन पर्यन्त चलती है और मनुष्य को सच्चे अर्थों में जीवन का महत्व बताती है तथा उसे मानवीय बनाती है। इस नाते शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को संस्कारवान बनाना और उसका चहुँमुखी विकास करना होता है। इसलिए माना जाता है कि जिस देश में शिक्षा का ढाँचा जितना मजबूत होगा वहाँ संस्कृति भी उतनी ही सुदृढ़ एवं समुन्नत होगी। तप, त्याग, अहिंसा, अतिथि देवो भवः, वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे उदात्त मूल्यों पर ही हमारी शिक्षा तथा संस्कृति दोनों टिके हैं। हमारी संस्कृति में रामकथा भी है जिसे वाल्मीकि तथा तुलसीदास ने भारतीय जनमानस में साँसों की तरह बैठाया है। राम के लोकनायकत्व और आदर्श से हम सदैव प्रेरणा पाते हैं और रावणत्व का पूरी तरह से प्रतिकार करते रहे हैं। तो दूसरी ओर श्रवणकुमार की कथा भी हमारी सांस्कृतिक जमीन से ही उपजी है, जिसमें माता-पिता के प्रति संतान का प्रतिबद्ध

होना एक बड़ा सामाजिक मूल्य है।

भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है—‘सा विद्या या विमुक्तये’। अर्थात् विद्या वह जो व्यक्ति को मुक्ति दिलाती हो। रूढ़ियों से मुक्ति, अन्धविश्वासों से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति और साथ ही अकर्मण्यता से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, ऊँच-नीच से मुक्ति। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा से देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान बनता है और अपने स्वयं के प्रति, समाज के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनता है। शिक्षा ही सबको समानता का अधिकार दिलाती है। अगर आज हम शिक्षा के इन मौलिक उद्देश्यों के प्रति कुछ गिरावट देख रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा कर रहे हैं। हम आज अपनी संस्कृति की उस प्रमुख विशेषता में कुछ कमी पा रहे हैं जिसे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ‘मानव के उद्बोधन का मार्ग प्रशस्त करने वाली मानते थे। मनुष्य के ‘उद्बोधन’ अर्थात् उसके अभिव्यक्त होने, उसके विकसित होने का मार्ग हमारी संस्कृति और शिक्षा दोनों समान रूप से प्रशस्त करती हैं। संस्कृति जिन बुरे विचारों और कुसंस्कारों पर मानव को विजय प्राप्त कराती है वही सच्ची और अच्छी शिक्षा का भी उद्देश्य होता है। शिक्षा से भी नागरिकों को सभ्य और सुसंस्कृत ही बनाया जाता है, अर्थात् किसी देश और उसके नागरिकों के विकास में शिक्षा और संस्कृति का अन्योन्याश्रित योगदान होता है।

दुनिया के बेतहाशा भौतिक और वैज्ञानिक विकास में यद्यपि शिक्षा की ही भूमिका है किन्तु वह सारा भौतिक और वैज्ञानिक विकास मनुष्य के कल्याण के लिए है या उसके विनाश के लिए इसका बोध सांस्कृतिक शिक्षा के बिना नहीं आ सकता, इसीलिए साहित्य, कलाएँ तथा जीवन की अन्य ललित भावनाएँ संस्कृति का ही हिस्सा होती हैं जो हमें अमानवीय, असहिष्णु और अराजक होने से बचाती हैं। ज्ञान के अन्य विषयों के बीच साहित्य के शिक्षण का महत्व ही संस्कृति के शिक्षण के रूप में है। हम साहित्य की शिक्षा दे रहे हैं अर्थात् हम संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि “साहित्य से मनुष्य भाव की रक्षा होती है” अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि डी.एच. लॉरेन्स ने भी शिक्षा और संस्कृति की बुनियाद के रूप में साहित्य को रखते हुए शिक्षा और संस्कृति के विकास में इसका योगदान प्रतिपादित किया है।

भारतीय समाज पर रामचरितमानस का इतना व्यापक प्रभाव इसीलिए है क्योंकि वह अकेली रचना भारतीय सांस्कृतिक वातावरण और तत्कालीन व्यवस्था को जनमानस के सामने रख पाती है। कबीर, सूर, मीरा के पदों की भी हमारे लिए वही उपयोगिता है। शिक्षा की एक बहुत बड़ी सार्थकता इस बात से है कि वह इसी जातीय मस्तिष्क की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल सुरक्षित रख सके बल्कि नये संदर्भों में उसकी प्राणवत्ता को अक्षुण्ण और सुलभ बनाए रखने का यत्न भी करे।

यहाँ मैं एक बात का विशेषतौर पर उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ कमजोर पक्ष भी रहे हैं जिन पर हम केवल और केवल शिक्षा से, वैज्ञानिक सोच से ही मुक्ति पा सकते हैं जैसे ‘अवतारवाद’। हमारी भारतीय धारणा में ऐसी अनेक बातें हैं जिनसे हमारी सांस्कृतिक मनोभूमि की निर्मिति हुई है और उस निर्मिति में यह प्रवृत्ति रही कि—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्।”

अर्थात् जब-जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आयेगी तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे और हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। यह स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने घोषणा की है। इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन यह हमारी सांस्कृतिक मनोभूमि का एक अभिन्न हिस्सा रही है और इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और मन्दिर के वैभव को लूटा तो वहाँ परिसर में इतने लोग उपस्थित थे कि अगर वे गजनवी की सेना पर गिर पड़ते तो सोमनाथ को ध्वंस से बचा सकते थे। किन्तु वे लोग तो आश्वस्त थे कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग

अग्निरूप में प्रकट होकर गजनवी की सेना का संहार कर देगा। लेकिन परिणाम हमारे सामने है। यह अवतारवाद हमारी धमनियों में इस कदर समा गया है कि इसने गीता के विशुद्ध कर्मयोग को भी अन्धभक्ति और अन्धविश्वास में बदल दिया है इसलिए हमें आस्था-विश्वास और अन्ध श्रद्धा में फर्क करना शिक्षा ही सिखाती है। शिक्षा ही जीवन की सच्चाइयों से हमें रूबरू भी कराती है और उनका सामना करने के लिए सक्षम भी बनाती है इसलिए सांस्कृतिक विकास के रथ का पहिया शिक्षा ही है।

आज दुनिया वैश्वीकरण के दौर में है और जहाँ संस्कृतियों का परस्पर महामिलन या सम्मिलन हमारे सामने है। यह सांस्कृतिक मिश्रण अच्छा है या बुरा यह तो समय तय करेगा किन्तु यह अवश्य है कि शिक्षा के प्रसार से कोई संस्कृति परम्परा होने से बचती है। परम्परा रूढ़ हो सकती है जबकि संस्कृति परिवर्तनशील और विकासमान होती है। हम अपनी राजनीतिक स्वाधीनता, आर्थिक विकास के मॉडल और सामाजिक समता के सिद्धान्तों की मन्जिल भी अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता पर खड़ा करते हैं। आज समसामायिक समाज में दो विपरीत प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं। एक ओर वैश्वीकरण के कारण सूर्य की दूरियाँ सिकुड़ रही हैं मानव जाति एकजुट एक मानवता के आदर्श की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। वेशभूषा, खान-पान, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में परम्परागत सीमाएँ टूट रही हैं और एक नया रुचि-वैविध्य लोकप्रिय होता जा रहा है जो ‘अपने’ और ‘पराये’ के बारे में अधिक चिन्तित नहीं है। कलाओं पर दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है। दूसरी ओर ‘जड़ों’ की तलाश या ‘बुनियाद की खोज’ का उपक्रम भी बड़े शक्तिशाली ढंग से उभरा है। आज हम इस उभरती बौद्धिक विश्व संस्कृति का हिस्सा भर बनकर रह जाते हैं या हमारी लोकप्रिय जन संस्कृति का मजबूत आधार तैयार कर पाते हैं? यह सब हमारी शिक्षा नीति और सांस्कृतिक नीति पर ही निर्भर करेगा। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। साधनों के सीमित होने और शिक्षा के

परम्परागत माध्यमों के कारण पहले भी जन संस्कृतियाँ एक दूसरे में संचरित होकर प्रभावित होती रही हैं।

आज शिक्षा के बारे में हमारी कमोबेश यही राय बन गई है कि वह रोजगार दिलाने का जरिया मात्र है। सच्चाई तो यह है कि आज हम शिक्षा के इस एकमात्र उद्देश्य को पाने में भी असफल रहे हैं लेकिन एक सच यह भी है कि शिक्षा ही सदियों से सामाजिक परिवर्तन का एक मात्र हथियार रही है, यही व्यक्तित्व निर्माण का कारगर साधन है, और सांस्कृतिक विकास की धुरी है। हाँ यह अवश्य है कि देश में बढ़ती अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का फैलता जाल हमारी भारतीय संस्कृति के विकास में न केवल बाधक बन रहा है बल्कि उसे अवरुद्ध भी कर रहा है क्योंकि किसी भी देश की अपनी भाषा दक्षता ही उसकी सांस्कृतिक पहचान को बचाये रख सकती है। हम कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, प्रेमचन्द आदि को हिन्दी जाने बगैर कैसे समझ सकते हैं क्योंकि हमारी अपनी भाषा से हमारी सांस्कृतिक विरासत का गहरा सम्बन्ध होता है।

नवजागरण काल और आधुनिक काल में भी हम पाते हैं कि मध्यकाल की तमाम रूढ़ियों पर हमने जो काबू पाया था उसके पीछे हमारी नवीन और आधुनिक शिक्षा का ही योगदान रहा है या यों कहें कि किसी भी समाज के अंधकार युग को खत्म करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यद्यपि पहले हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा प्राचीनतम भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी लेकिन वैज्ञानिक विकास के साथ ही आज हम गणित, भूगोल, विज्ञान, भौतिक शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, अन्तरिक्ष विज्ञान, सूचना एवं तकनीक जैसे अधुनातन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं जो बहुसंख्यक समाज के लिए उपयोगी हैं तथा जिसके द्वारा हम निरर्थक को पीछे छोड़ पाएँगे। हमारे यहाँ अभी शिक्षा के मूल लक्ष्यों में जीवन मूल्यों की रक्षा एवं युगानुरूप नए जीवन मूल्यों की स्थापना की अवधारणा प्रवाहमान है और इन उद्देश्यों की पूर्ति में, शिक्षा सम्बन्धी सोच के क्रियान्वयन का

काफी कुछ दायित्व शिक्षक पर है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में समुचित और सही दिशा का विकास होगा तो समूचे समाज का विकास होगा इसलिए हमारे शिक्षा के सारे कार्यक्रम वायवीय न होकर ठोस आत्मसंघर्ष और आत्मचिन्तन वाले होने चाहिए। परिवर्तन की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया में शिक्षा की सक्रिय गतिशीलता रहनी आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान में बालकों में नैतिकता

एवं मानवीयता का विकास करना ही प्रमुखता से होना चाहिए क्योंकि—

वक्त मुश्किल है जरा सरल बनिये
प्यास पथरा गई है जरा तरल बनिये
जिसको पीने से श्याम मिलता हो
आप मीरा का वो गरल बनिये।

—राजा रा.पो. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
गाँधी नगर, जयपुर

सुनागरिकता का प्रशिक्षण

□ अंजुम फातिमा

वर्तमान समय में स्कूलों में सामाजिक अध्ययन विषय की भूमिका एवं महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है परन्तु देखने में आता है कि सामाजिक अध्ययन विषय को न तो विद्यालय इतना महत्व देते हैं, न ही शिक्षक महत्व देते हैं तथा छात्र भी सामाजिक अध्ययन विषय के अधिगम में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति का परिचायक है। सामाजिक अध्ययन विषय की विषयवस्तु मुख्यतया समाज है। अतः शिक्षा को समाजोपयोगी बनाने एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनाने हेतु नागरिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्रों को एक सफल नागरिक बनने एवं समाज तथा राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों का समुचित ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षित किया जा सकता है। छात्रों में सामाजिक कौशल, रुचियों एवं शासन के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने हेतु सामाजिक अध्ययन शिक्षण आवश्यक एवं अनिवार्य है।

नागरिकता कोई विषयवस्तु नहीं है वरन् यह जीवनयापन की एक पद्धति है, एक ढंग है जिसका उचित प्रशिक्षण सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिक व्यावहारिक तरीके से प्रदान किया जा सकता है। वस्तुतः आधुनिक युग में नागरिकता की धारणा को नागरिक एवं व्यक्तिगत गुणों का सम्मिश्रण माना जाता है। आज नागरिकता का क्षेत्र किसी देश, क्षेत्र या जाति तक सीमित नहीं है वरन् देशकाल की सीमाओं से परे

समस्त मानव जाति एवं विश्व तक विस्तृत है।

एक कुशल नागरिक स्वयं के तथा आश्रितों के जीवनयापन सम्बन्धी भार को वहन करने में सक्षम होता है। साथ ही वह जनतांत्रिक प्रणाली में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता है। वह प्रत्येक कार्य में जनतंत्रात्मक दृष्टिकोण एवं पद्धति अपनाता है। वह अपनी व्यक्तिगत रुचियों एवं इच्छाओं का उत्सर्ग करने हेतु तत्पर रहता है यदि वे सामाजिक एवं राष्ट्रगत रुचियों के सापेक्ष होती हैं। वह संकीर्णतायुक्त राष्ट्रभावना से ऊपर उठकर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भ्रातृत्व की भावना के प्रचार-प्रसार में आस्था रखता है। अपने देश के इतिहास एवं संस्कृति के प्रति गौरव का अनुभव करना तथा अन्य धर्मों, संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता, उदारता एवं सम्मान का भाव प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझता है। उपर्युक्त गुणों का परिमार्जन एवं विकास करने हेतु सामाजिक अध्ययन शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है एवं समुचित नागरिक शिक्षा प्रदान करता है।

सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने के सन्दर्भ में छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इस हेतु सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को जनतंत्रात्मक नागरिक शिक्षा के विभिन्न अंगों का समुचित ज्ञान अत्यावश्यक है। नागरिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न अंगों को समावेशित किया जा सकता है—

1. सामाजिक प्रशिक्षण— एक कुशल

एवं उत्तम नागरिक निर्मित करने हेतु छात्रों को सामाजिकता का प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण से छात्रों में सामाजिक गुणों यथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण, सहिष्णुता, सामाजिक संवेदना, अनुशासन, सामाजिक सक्रियता एवं गतिशीलता एवं समाजसेवा की भावना का विकास किया जा सकता है। शिक्षक अपने कथनों एवं कृत्यों द्वारा छात्रों को इन गुणों के अधिगम में अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

2. आर्थिक प्रशिक्षण— निर्धनता मानव को कर्तव्य से विमुख कर देती है अतः नागरिक शिक्षा द्वारा छात्रों को प्रारम्भ से ही एक सफल नागरिक बनाने हेतु आर्थिक प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है ताकि वह भविष्य में आर्थिक रूप से स्वाभिमानपरक एवं स्वावलम्बी जीवन जी सकने में समर्थ हो। इस हेतु विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में तकनीकी एवं व्यावसायिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा छात्रों की उत्पादन शक्ति का विकास किया जाए।

3. सांस्कृतिक प्रशिक्षण— एक योग्य नागरिक का कर्तव्य है कि उसे अपने देश, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति, परम्पराओं एवं अध्यात्म का ज्ञान हो। इस सन्दर्भ में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से छात्रों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों की सतत व्यवस्था की जावे। इस प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में सहायता मिलेगी।

4. राजनैतिक प्रशिक्षण— नागरिकता की शिक्षा देने हेतु छात्रों को राजनैतिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। हक्सले का कथन है कि यदि लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है तो हमको स्वशासन की कला लोगों को सिखानी होगी। देश में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु देश के भावी नागरिकों को राजनैतिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस दिशा में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की महती भूमिका है।

शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया के समान ही नागरिकता की शिक्षा में भी ज्ञान, कौशल एवं भावना के अर्जन, अभ्यास एवं विकास की आवश्यकता होती है। विकास की स्वाभाविक

प्रक्रिया के अनुकूल ही नागरिकता की व्यवस्था आवश्यक है। ये तीनों सोपान एक दूसरे से गठन रूप से संबद्ध हैं, अतः एक का विकास होने पर अन्य दोनों के विकास एवं संवर्द्धन में सहायता मिलती है, ज्ञानार्जन हेतु प्रत्यक्ष अध्ययन-अभ्यास, कौशल प्राप्ति हेतु समुचित अभ्यास तथा भावनाओं एवं संवेगों के परिमार्जन हेतु तदनुकूल परिस्थितियों में से निकालने की प्रक्रिया अधिक सहायक सिद्ध होती है।

सुनागरिकता की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की संबद्ध विषयवस्तु का ज्ञान आवश्यक है। नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, देश की शासन प्रणाली एवं उसका स्वरूप, संविधान प्रदत्त विशेष संरक्षण आदि समस्त बिन्दु ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में देश के इतिहास, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीयता का ज्ञान आवश्यक है। पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में समाहित विषयवस्तु को अधिक सुसंगत एवं फलदायी बनाने हेतु सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अर्जित ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग, अभ्यास एवं संवर्द्धन हेतु कई प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए। इन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ पूर्व प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए।

शिक्षार्थी दायित्व के समावेश एवं वृद्धि हेतु आयोजनीय प्रवृत्तियों में सामूहिक सफाई कार्य, सामुदायिक जीवन पद्धति को प्रकट करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन, पीने के पानी की व्यवस्था, छात्रावास, पुस्तकालय एवं वाचनालय व्यवस्था आदि सम्मिलित की जा सकती हैं। जनतांत्रिक प्रक्रिया के अभ्यास हेतु आयोजनीय प्रवृत्तियों में मक्ष में अधिकारियों का चुनाव, छात्र संसद के चुनाव, छात्र संसद एवं बालसभा की कार्यवाही का संचालन, छात्र संसद का बजट निर्माण, स्वीकृति एवं उपयोग, विद्यालय समितियों का निर्माण एवं संचालन, अल्प बचत बैंक की व्यवस्था, उत्सव व्यवस्था आदि कार्यक्रम आ सकते हैं। जनतंत्र के पूरक कौशल एवं दक्षताओं की दृष्टि से आयोजनीय प्रवृत्तियों में भाषण एवं वादानुवाद में भाग लेने का अभ्यास, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, रुचि कार्यों की शिक्षण व्यवस्था, स्काउटिंग, एन.सी.सी. व्यवस्था, राष्ट्रीयता का अभ्यास, ध्वज को फहराने, सलामी देने का अभ्यास, प्रार्थनापत्र, विरोध पत्र, प्रतिवेदन आदि लेखन का अभ्यास

तथा समाजसेवा सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय भाग लेने का अभ्यास आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यदि अध्ययन-अभ्यास में उचित विधाएँ प्रयोग में ली जाएँ तो नागरिक शिक्षा सम्बन्धित कई बातें विद्यार्थी परोक्ष रूप में ही सीख जाते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से छात्रों को नागरिक शिक्षा समुचित एवं प्रभावी ढंग से प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने लिखा है कि नागरिक शास्त्र का लक्ष्य मात्र ज्ञानवृद्धि नहीं होना चाहिए वरन् नागरिकता की समुचित शिक्षा एवं नागरिक जीवन का प्रशिक्षण देना होना चाहिए। सामाजिक कुशलता एवं नागरिकता लोकतंत्रात्मक भारत के लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में सामाजिक अध्ययन ही ऐसा अनिवार्य विषय है जो छात्रों में नागरिकता एवं सामाजिक कौशल का विकास कर सकता है। अतः वर्तमान सामाजिक समस्याओं का निराकरण एवं उपयोगी नागरिकता शिक्षा सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा ही संभव है।

—C/o राशिद जमाल

नाना साहब का बाड़ा, धौलपुर - 328001



होड़ की दौड़ में सिसकते मासूम

□ शिवकुमार मिश्र 'सज्जन'

तुहिना और तुषार सरीखे सरल-कोमल नाम व बड़े स्नेह व ममता के स्पर्श से सँवरे-सुडौल बच्चे एक-एक कीमती बड़े से बैग में पुस्तकें-कॉपियाँ व शिक्षण-सामग्री लादे खड़े देखे मैंने सड़क किनारे। शायद स्कूल बस का इन्तजार कर रहे थे। मैं पास की फलों की दुकान से सेब खरीद ही रहा था, कि उनकी माँ आई रेशमी साड़ी में सजी-सँवरी। उन दोनों को उन्होंने एक-एक बढ़िया सेब फल भी खरीद कर दिया, उनके बैग-बॉटल स्वयं ने उठा लिए। थोड़ी देर और बस के आने तक समझाने लगीं—'देखो आज का होमवर्क तो जैसे-तैसे मैंने पूरा करा दिया न, सब टीचर को दिखाकर और कल के लिए ले लेना। तुम्हें अपने पढ़ाईसी शैलजा व मयूर से अधिक मार्क्स लाना है टेस्ट में। उनके अभी साइन्स, इंग्लिश व मैथ्स में भी दो-दो अंक ज्यादा हैं, समझे न। उन बच्चों ने दिए गए सेब फल का मजा लेना भी बन्द कर दिया, आधा कटा सेब फल हाथ का हाथ में रह गया और अपनी मम्मी की तरह उदास सी आँखों से देखते रहे। जब उन्होंने आखिरी शब्द 'समझे न...' बहुत जोर देकर डॉटने के से स्वर में कहे, तब तो वे जैसे हँसासे ही हो गए थे। तभी बस का हॉर्न चीखा, तो बच्चों ने अधकटा सेबफल सड़क पर ही फेंक दिया, अपना-अपना बैग-बॉटल समहाला और बस में चुपचाप चले गए अपनी सीट पर। मैंने देखा कि बस में बैठे कैसे 10 साल के मासूम बच्चों के चेहरों पर फूल सी खिलखिलाती हँसी तो नहीं थी उल्टे बड़ों की सी ओढ़ी हुई गम्भीरता झलक रही थी।

तुषार-तुहिना तो बस दो नाम हैं, पर शहरों के मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग के अधिकांश हँसी पीअर-गुप के बच्चों को माँ-बाप होड़ की दौड़ में झोंक रहे हैं और छीन रहे हैं उनका बचपन। वे स्कूल से जब छूटते हैं शाम को तो कक्षाओं से ऐसे दौड़ते-भागते निकलते हैं जैसे जेल से

आजाद हुए हों चार पाँच घंटे के समय कारावास के बाद। वे कक्षा के बोझिल व दमघोटू वातावरण से खुली हवा में आते हैं। थोड़ी देर तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन पर किसी का जरा सा भी बंधन है। लौटते समय भी स्कूल बस में एक-दूसरे से बड़े सहज भाव से हँसते-मुस्कराते और बतियाते रहते हैं, पर जैसे ही उनका घर पास में आ जाता है और उतरते हैं अपना बस्ता-बॉटल लेकर कि फिर से उनकी मासूमियत छीजने लगती है उसी होड़ की दौड़ में पड़ने की कल्पना के विचार से। ज्ञान के कथित विस्फोट को ढेर सारी किताबों में समेट कर, स्कूलों की कोशिश यही है कि उसमें के हर पाठ की घुट्टी अलग-अलग प्रकार के चम्मचों व पैमानों में भरकर प्रतिदिन पिला दी जाए बच्चों को तो वे 10-12 साल के स्कूलिंग में विद्यासागर बनकर परिपूर्ण हो जाएँ। उनके ये पैमाने हैं—अनियोजित होमवर्क का डोज, प्रोजेक्ट का इन्जेक्शन या वीकली टेस्ट का सिरप। अधिकांश स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षक जो बाल-मनोविज्ञान से एकदम अछूते हैं वे उक्त तीनों तरीके से उड़ेल रहे ज्ञानामृत बच्चों के विभागों में अर्थात् बौद्धिक दौड़ में झोंक रहे हैं डोपिंग की ताकत देकर। उनका भावनात्मक विकास एकदम उपेक्षित एवं अछूता है। परिणामतः वे सभी पुजों वाली मशीनें तो परफेक्ट लगती हैं पर उचित मानवीय संस्कारों वाले संवेदनशील इन्सान नहीं बन पाते।

भले ही सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सुझावों पर विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में ग्रेड-सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे प्राप्तांकों की होड़ कम हो सके, पर कम ही बालक इससे संतुष्ट हैं। वे बार-बार शिक्षकों से मिलकर यह जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कितने बच्चे व कौन-कौन से बच्चे उनकी लाइली संतान से ऊपर चल रहे हैं। बस इसका थोड़ा बहुत भी अनुमान लगते ही वे कौंचते रहते हैं

अपने लाइलों को कि दिन रात होमवर्क में जुटे रहो, घर लगाए द्यूटर से पढ़ो और अपने पापा या बड़े भाई-बहिन से भी। बेचारा लाइला स्कूल में तो टीचर से होमवर्क की अपूर्णता पर डाँट खाकर लौटता ही है, फिर उसे अपने घर के सभी सदस्यों में टीचर का ही मुखौटा दिन रात दिखता रहता है। शायद रात के सपनों में वह उन बच्चों के डरावने से चेहरे भी देखता होगा जो उससे दो-चार अंक ऊपर होते हैं। उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या-द्वेष ही नहीं, थोड़े-बहुत आक्रोश का भाव भी पनपता रहता होगा।

इस सबके चलते क्यारियों के खिलखिलाते फूलों सा उनका आनंदपूर्ण बचपन निःसंदेह मुरझाता रहता है। वे पतंगों की तरह आकाश में नहीं उड़ पाते या तितलियों की तरह और फूलों से दोस्ती नहीं कर पाते। उनके बैट-बाल, रैकेट या खिलौने सब छीन रहे हैं। उनके अपने माँ-बाप ही, तभी तो मैं देखता हूँ इन दिनों कि स्कूलों के मैदान शाम को सूने पड़े रहते हैं, जबकि मेरे छात्र-जीवन में वे इतने भरे रहते थे कि किसी एक खेल में प्रवेश के लिए हम कैप्टन की खुशामद करते रहते थे।

—निबन्धि-निकेतन,

नई आबादी-2, मंदसौर (म.प्र.) 458001



1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर वर्ष 2013-14 से संशोधन। □
2. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि में वृद्धि। □ 3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में गार्गी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में। □ 4. सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश। □ 5. सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व भर्वाएँ पेंशन कुलक। □ 6. राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव आमंत्रित : अन्तिम तिथि 20 मई 2013 □ 7. मा. मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 172 की क्रियान्विति अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में। □ 8. ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने की वैकल्पिक व्यवस्था।

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर वर्ष 2013-14 से संशोधन

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-8) विभाग • क्रमांक : पं.19(1)शिक्षा-6/2012 जयपुर, दिनांक : 28 मार्च, 2013 • आदेश • माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के बिन्दु संख्या-177 की पालना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर वर्ष 2013-14 से निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं-

क्र. सं.	कक्षा	वर्तमान मासिक दर	संशोधित मासिक दर
1.	कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक छात्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति)	50/- रुपये	75/- रुपये
2.	कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक की (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति)	100/- रुपये	125/- रुपये
3.	कक्षा 9 एवं 10वीं तक के छात्र (अनुसूचित जनजाति)	60/- रुपये	80/- रुपये
4.	कक्षा 9 एवं 10वीं तक की छात्राएँ (अनुसूचित जनजाति)	120/- रुपये	140/- रुपये

अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु नवीन केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

चूँकि छात्रवृत्ति के बजट मदों में प्रावधान उपलब्ध है, अतः उपलब्ध प्रावधान से व्यय किया जाए तथा संशोधित मासिक दरों से छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने पर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर तदनुसार बी.एफ.सी. के समय अथवा इससे पूर्व भी आवश्यकता होने पर अतिरिक्त प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएँ।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से उनकी आई.डी. संख्या-151300461/वित्त/व्यय-1/2013 दिनांक 25.03.2013 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते हैं। • महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ह., एम.पी. स्वामी, शासन उप सचिव। • कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/एस.टी./पू.मै/2011-12 दिनांक : 01.04.2013।

2. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि में वृद्धि

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग • क्रमांक : प 17(13) शिक्षा-1/2008 जयपुर, दिनांक : 28.03.2013 • विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 417,0 के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में देय राशि क्रमशः 40,000/- एवं 50,000/- रुपये को बढ़ाकर क्रमशः 75,000/- और 1,00,000/- रुपये किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना में अब विशेष पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को भी शामिल किया जाएगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह स्वीकृति सत्र 2013-14 से प्रभावी होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. 15130091 दिनांक 28.3.2013 के अनुसरण में जारी की जा रही है। • ह., एम.पी. स्वामी, शासन उप सचिव-प्रथम। • कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स-1/60126/इं.प्रि.पु./2013-14 दिनांक : 1.4.2013

3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में गार्गी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग • क्रमांक : प 22(3) शिक्षा-1/2008 जयपुर, दिनांक : 28.03.2013 • विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में गार्गी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 418,0 के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार के अन्तर्गत देय 4000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह स्वीकृति सत्र 2013-14 से प्रभावी होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. 151300489 दिनांक : 28.3.2013 के अनुसरण में जारी की जा रही है। • ह., एम.पी. स्वामी, शासन उप सचिव-प्रथम। • कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स-1/60125/गार्गी/2013-14 दिनांक : 1.4.2013

4. सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • परिपत्र •
विषय : सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश। • इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-7/1285/09 दिनांक : 11.4.2000 एवं परिपत्र क्रमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक : 12.05.2008 के क्रम में प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक : 11.4.2000 के बिन्दु सं. 15 में परीक्षा अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी के प्रदत्त अधिकारों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अधिकारियों को स्वीकृति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत किया जाता है—

क्र. सं.	कार्य विवरण	प्राधिकृत अधिकारी
1.	समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) की सार्वजनिक परीक्षा/लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु।	द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित उपनिदेशक प्रारम्भिक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक अधिकृत होंगे।
2.	समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण/शोध कार्य के प्रकरण नियमित अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु।	उपर्युक्तानुसार

सम्बन्धित अधिकारी इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-7/1285/99 दिनांक : 11.4.2000, शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक : प.5(42) प्राशि/2005 दिनांक : 29.09.2005 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या : पं.9(5)(30) कार्मिक/क-3/जाँच/04 दिनांक : 18.11.2006 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या : प.9(5)(30)कार्मिक/क-3/जाँच/04 दिनांक : 18.11.2006 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति जारी करेंगे। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-6/प.अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक : 18.03.2013

5. सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व भरवाएँ पेंशन कुलक

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • परिपत्र •
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के संदर्भित बकाया पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को निर्धारित पेंशन कुलक/मूल सेवा पुस्तिका व आवश्यक जारी आदेशों (सेवानिवृत्ति आदेश, विभागीय जाँच सम्बन्धी प्रमाण पत्र व अदेय प्रमाण पत्र) सहित सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व पेंशन विभाग को स्वीकृति हेतु नहीं भिजवाए जा रहे हैं। जो कि स्पष्टतः राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1996 के नियम 78-94 के प्रतिकूल है। परिशिष्ट 8 में निर्धारित अनुदेशों की प्रक्रिया दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर आवश्यक पूर्तियाँ पूर्ण कर प्रत्येक अधिकारी/

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति दिनांक से आठ माह पूर्व पेंशन नियमों के नियम, 81 के अधीन यथाअपेक्षित पेंशन कुलक कार्यालय द्वारा कर्मचारी को देकर/जारी कर कर्मचारी से कुलक की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त की जावे एवं कुलक विधिवत् भरवाकर प्राप्त किये जावें तथा पेंशन प्रकरण वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व अनिवार्य रूप से पेंशन विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। राज्य सरकार एवं मानवाधिकार आयोग स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणों की स्थिति को अति गम्भीरता से लिया जा रहा है अतः सेवानिवृत्ति तिथि को ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पेंशन विभाग से जारी पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. आदेश भी दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विलम्ब/लापरवाही/कर्तव्यहीनता यदि कार्यालयाध्यक्ष/संस्थापन प्रभारी/लेखाकर्मियों व सम्बन्धित लिपिक के स्तर पर पाई जाती है तो सम्बन्धित व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। विभाग को न्यायालय सम्बन्धी निर्णय से किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा तो सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/पेंशन/13134/2013 दिनांक : 08.4.2013

6. राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव आमंत्रित : अन्तिम तिथि 20 मई 2013

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-प्रारं/साप्र/सी/भामा/2773/2013/19 दिनांक : 19.3.13 •
विषय : राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2013 • शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भामाशाह दिवस (दिनांक 28.06.2013) पर एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है। इस सम्मान समारोह से सम्बन्धित समस्त कार्य निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाना है।

इस वर्ष आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में 01.04.12 से 31.03.13 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं 01.4.11 से 31.3.12 तक की अवधि के लिए निर्धारित राशि का सहयोग करने वाले दानदाता जो गत वर्ष सम्मानित होने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी शामिल कर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होंगे। प्रेरकों के लिए 01.04.11 से 31.03.12 अथवा 01.04.12 से 31.03.13 तक की अवधि में 30 लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का एक मुश्त सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता इस वर्ष 2013 में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही चयन का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। 30 लाख रुपये का सहयोग एक मुश्त होना एवं उक्त वर्णित अवधि का ही होना आवश्यक होगा। उक्त वर्णित अवधि से पहले का सहयोग मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आने वाले दानदाताओं एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा सहित निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 20.05.13 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः समस्त सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं दानदाताओं को प्रेरित करने वाले प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भामाशाह सम्मान समारोह 2013 हेतु भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्ताव निदेशालय को चयन हेतु भिजवाने बाबत निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं—

1. न्यूनतम दस लाख रुपये की धनराशि तक का निर्धारित अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं का ही प्रस्ताव अभिशोषित कर भिजवावें। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा निर्मित भवन का विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है।

2. यदि उनके द्वारा भूमि दान में दी गई है, तो भी प्रदत्त भूमि का दानपत्र विभाग के पक्ष में विधिवत लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अभिशोषित कर नहीं भिजवाये जावें।

3. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की सम्बन्धित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित दानदाता द्वारा इस योजना में दिए गए साज-सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् इन्द्राज कर लिया गया है।

4. यदि किसी दानदाता ने भवन में अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/बच्चों की छात्रवृत्ति/पुस्तकालय हेतु सहयोग आदि के रूप में दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि के पूर्ण विवरण लागत सहित संस्था प्रधान प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जावें। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

6. जन सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत दस लाख रुपये अथवा अधिक का विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।

7. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ सम्बन्धित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से सम्बन्धित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

8. विभाग द्वारा निर्धारित अवधि, निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप प्रेरकों के प्रस्ताव होने पर ही प्रस्ताव भेजें। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 30 लाख रुपये होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह आयोजित समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही प्रेरक को सम्मान हेतु चयनित किया जाएगा। प्रेरकों के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अपनी सम्बन्धित उप निदेशक को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित उप निदेशक प्रेरकों के प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस निदेशालय को निर्धारित अवधि में भिजवाएँगे। उप निदेशक की अनुशंसा के अभाव में प्राप्त होने वाले प्रेरकों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

9. यदि एक से अधिक दानदाताओं ने सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किसको सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जाएगा यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जावेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।

10. जहाँ तक संभव हो सके भामाशाहों/प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटाईज्ड/टाईप कराकर ही भिजवावें।

11. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधि को प्रेरक के रूप में सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जावें।

12. भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।

इस परिपत्र के साथ भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसे पूर्ण भरवाकर दो फोटो सहित प्रस्ताव समेकित कर भामाशाहों के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रेरकों के प्रस्ताव सम्बन्धित मंडल अधिकारी निर्धारित तिथि तक निदेशालय को भिजवाएँगे। भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित वाँछनीय दस्तावेज की प्रतियाँ संलग्न करें। सम्बन्धित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो “यू” पिन के साथ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है। “यू” पिन के साथ भेजी जाने वाली फोटो के पीछे सम्बन्धित दानदाता/प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जावे।

निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो

इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित मंडल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबंद किया जाता है। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

(स्थानाभाव के कारण प्रपत्र यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं, जो अधीनस्थ शिक्षा कार्यालयों में उपलब्ध हैं।)

आदेश परिपत्रों की अनुक्रमणिका

(शिविर पत्रिका, जुलाई, 12 से मई-जून, 13 तक के अंकों में प्रकाशित आदेश-परिपत्र)

शिविर पत्रिका में वर्ष भर में प्रकाशित आदेश-परिपत्रों की पूरी अनुक्रमणिका प्रति वर्ष मई-जून के अंक में दी जाती रही है। उसी क्रम में पाठकों की सुविधा के लिए जुलाई, 12 से मई-जून, 13 तक के आदेश परिपत्रों की अलग-अलग विषयवार अनुक्रमणिका प्रस्तुत है। (कोष्ठक में अंक की पृष्ठ संख्या है) प्रस्तोता- आसुराम तेजी

संस्थापन

नियुक्ति : निःशक्त जनों का सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण अगस्त, 12 (24) • संस्कृत संस्थाओं के वरिष्ठ अध्यापकों प्रथम श्रेणी (सामान्य विषय) की न्यूनतम योग्यताओं का अंकन मार्च, 13 (23)

राजस्थान गैर-सरकारी संस्था नियम, 2011 : राजस्थान गैर-सरकारी संस्था नियम, 2011 (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि संशोधन) की पालना कराने बाबत, जुलाई, 12 (19-24)

पदोन्नति, वरिष्ठता, पदों का समायोजन एवं पदस्थापन : वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-II) पुरुष/महिला के राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के नामांकन इत्यादि से शोधन प्रकरण तय समय सीमा में निपटावें, नवम्बर, 12 (32)

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम : राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन, फरवरी, 13 (24)

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन : वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने व भिजवाने सम्बन्धी निर्देश फरवरी, 13(24)

शिक्षक प्रशिक्षण : आई.सी.टी. (प्रथम चरण) विद्यालयों के शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण बाबत निर्देश फरवरी, 13(26) • सेवानिवृत्ति तिथि से छः माह पूर्व भर्वाएँ पेंशन कुलक, मई-जून, 13(24)

लेखा

वेतन, वेतनवृद्धि एवं उप वेतन : नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन व्यवस्था के सम्बन्ध में, जुलाई, 12(25) • 2008-09 एवं 2009-10 में मा. स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आहरण हेतु अधिकृति के सम्बन्ध में जुलाई, 12(36) • लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु जुलाई, 12(36)

ए.सी.पी. एवं चयनित वेतनमान : अध्यापक ग्रेड तृतीय (अब अध्यापक) पद पर नियुक्त एवं 1.7.98 से पूर्व व.अ. पद पर पदोन्नत अध्यापकों को तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत करने के सम्बन्ध में, दिसम्बर, 2012(28)

पेंशन एवं ग्रेजुटी : विभाग में पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश मार्च, 13(26) • अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मार्च, 13(29)

शिक्षण शुल्क एवं छात्रकोष : विद्यालय शुल्क (रा.मा.वि./उ.मा.वि.) विवरण, जुलाई, 12(46) • राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका का अंशदान 'छात्रनिधि' से भुगतान की स्वीकृति सितम्बर, 12(29)

छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन : विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत, जुलाई, 12(30) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में संशोधन, जुलाई, 12 (37) • इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजनान्तर्गत इसी वर्ष से सामान्य वर्ग की बालिकाओं को भी सम्मिलित किए जाने बाबत जुलाई, 12(37) • इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वर्ष 2012 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जुलाई, 12(37) • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत, जुलाई, 12(39) • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक के पात्र छात्र/छात्राओं के देय छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में जुलाई, 12 (42-43) • ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में अगस्त, 12(25) • अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-दिशा निर्देश, सितम्बर, 12(23-28) • अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि में संशोधन सितम्बर 12 (29) • आपकी बेटी योजना दिशानिर्देश सितम्बर, 12 (29) • रा.उ.प्रा.वि. के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को लर्निंग लेपटाप सितम्बर, 12(30) • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर वर्ष 2013-14 से संशोधन, मई-जून, 13(23)। • इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि में वृद्धि, मई-जून, 13(23)। • माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में गार्गी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में, मई-जून, 13(23)। • माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 172 की क्रियान्विति अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में, मई-जून, 13(31)।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष एवं हितकारी निधि : हितकारी निधि का वर्ष 2012-13 का वार्षिक अंशदान राज्य कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से वसूल कर भिजवाने बाबत जन.13(25)

बजट-नियंत्रण तथा मितव्ययता : बजट कंट्रोल रजिस्टर संधारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत, जुलाई, 12(26) • आय एवं व्यय लेखों का अंक मिलान

सितम्बर, 12(29)

लेखा सम्बन्धी अन्य नियम : कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा की प्रीमियम राशि के सम्बन्ध में सितम्बर, 12(30)

शैक्षिक प्रवेश : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जुलाई, 12(24-25) • प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत नामांकन सूचना प्रेषण हेतु, जुलाई, 12(27-29) • गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति-दिशानिर्देश जुलाई, 12(44) • विद्यालयों में प्रवेश-मूल निवास प्रमाण पत्र की माँग के सम्बन्ध में निर्देश- अगस्त, 12(23) • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन-दिशा निर्देश दिसम्बर, 12(29) • शिक्षक दिवस प्रकाशन-2013 के लिए रचनाओं का आमंत्रण फरवरी, 13(33) • आर.टी.ई. के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए अंतिम तिथि के सम्बन्ध में मार्च, 13(23) • गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय सत्र 13-14 की प्रतिपूर्ति- दिशा निर्देश मार्च, 13(23-25) • सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश, मई-जून, 13(24) • ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने की वैकल्पिक व्यवस्था, मई-जून, 13(31)। **परीक्षा, स्वयंपाठी छात्र/छात्राओं की परीक्षा, कक्षा 6 व 7 के लिए नई विषयवार कालांश व्यवस्था जारी करने बाबत**, जुलाई, 12(30) • माध्यमिक कक्षाओं में कालांश व्यवस्था सत्र 2012-13 जुलाई, 12 (46) • कल्प कार्यक्रम- रा.उ.प्रा.वि. में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कालांश व्यवस्था, अगस्त, 12(26) • भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 10 अक्टूबर 12 को सितम्बर 12(43) • कक्षा 6 व 7 के सभी विषय व कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय की परीक्षावार पाठ्यक्रम व अंक विभाजन जारी करने बाबत नवम्बर, 12(21) • कक्षा 6 व 7 के सभी विषय व कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय की परीक्षावार पाठ्यक्रम व अंक विभाजन के सम्बन्ध में, नवम्बर 12 (21-32) • कक्षा 1 से 8 के लिए परीक्षा एवं कक्षा 9-12 के लिए परीक्षा नियम सत्र 2012-2013 से प्रभावी दिसम्बर, 12(23) • सी.सी.ई. विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में दिसम्बर, 12(28) • वार्षिक गृह परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन, फरवरी, 13(26)

स्काउटिंग/एन.एस.एस./एन.सी.सी./योग शिक्षा : स्काउट-गाइड ग्रुप पंजीकरण बाबत, जनवरी, 13 (26)

मान्यता : नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली की माध्यमिक परीक्षा 2003 निर्धारित पाँच विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा गणित सहित प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्य बाबत दिसम्बर 12(28) • निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्राथमिक विद्यालय को मान्यता एवं प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. स्तर हेतु दी जाने वाली मान्यता क्रमोन्नति-निर्देश मार्च, 13(26-28) • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों को मान्यता दिए जाने की तिथियों में संशोधन अप्रैल, 13(25)

विद्यालय पंचांग : विद्यालय पंचांग में आंशिक संशोधन, सितम्बर, 12(30) • निजी विद्यालयों का समय शिविर पंचांग के अनुसार ही रखें- निर्देश जनवरी, 13(25) • शिविर पंचांग 2012-13 में संशोधन, जनवरी, 13(26)

व्यापक मूल्यांकन : राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट अगस्त, 12 (19) • सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना एवं बजट 2012-13 के तहत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगस्त, 12 (20-23) • सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मॉनिटरिंग-दिशा-निर्देश अक्टू. 12(27) • सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री विद्यालयों में प्रेषित करने बाबत, अक्टू. 12(27) • जिले के सी.सी.ई. विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एस.एम.सी. को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अक्टू. 12(28) • सतत एवं व्यापक मूल्यांकन- पायलट प्रोजेक्ट विस्तार के संदर्भ में, अक्टू. 12(28) एवं (28-29) • पायलट प्रोजेक्ट-सुसंचालन के लिए समन्वय समिति का गठन अक्टू. 12(29) • सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी.) नई दिल्ली द्वारा माह फरवरी-मार्च, 13 में आयोज्य प्रशिक्षण फरवरी, 13(27) • सी.सी.ई. विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन-निर्देश अप्रैल, 13(27)

शारीरिक दण्ड पर रोक : छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में निर्देश फरवरी, 13(23)

शैक्षिक योजना एवं कार्य/शैक्षिक सहशैक्षिक कार्यक्रम : शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, 2012 में सहयोग प्रदान करने हेतु, जुलाई, 12 (26) • शिक्षा सत्र 2012-13 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण अक्टू. 12(30)

खेलकूद प्रतियोगिताएँ : सत्र 2012-13 की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता- पंचांग एवं आवश्यक निर्देश अगस्त, 12(26) • 57वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (16, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता-पंचांग एवं दिशा-निर्देश, अगस्त, 12(30)

लोक सेवक को परीक्षा अनुज्ञा : परिवीक्षा अवधि में किसी भी लोक सेवक को पीएच.डी. के लिए अनुज्ञा नहीं देने बाबत अप्रैल, 13(25)

सामान्य भवन/विद्यालय भवन : भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत, जुलाई, 12(38) • विद्यालय में दुर्घटनाएँ न हों, सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश फरवरी, 13(23)

न्यायालय : सिविल अपील संख्या 8513/12 डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाम समुथरिम व अन्य (माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली) अप्रैल, 13(25-27)

पुरस्कार : सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार, 2012 अगस्त, 12(24)

सूचना का अधिकार : अतिरिक्त निदेशक, प्रथम अपील अधिकारी, जुलाई, 12(39) • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-कठोरता से पालन करने बाबत, अगस्त, 12(24) • सूचना के अधिकार के तहत माननीय सूचना आयोग के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने बाबत दिसम्बर, 12 (30) • राज्य सूचना आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के पालनार्थ बाबत दिसम्बर, 12(30)

अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम : अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में जुलाई, 12(41) • अधिकारियों के निरीक्षण/

दौरे एवं रात्रि विश्राम (प्रा.शिक्षा), जुलाई, 12 (42) • अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम अगस्त, 12 (26)

अन्य सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 क्रियान्वयन के संदर्भ में, जुलाई, 12 (25) • कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रति विद्यार्थी एक पेड़ लगाना एवं रख-रखाव करना, जुलाई 12(38) • राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में शिक्षण सत्र 2012-13 में तृतीय भाषा पंजाबी की आदर्श पंजाबी प्रबोध कक्षा 6 की पुस्तक यथावत लागू करने के क्रम में अगस्त, 12(25) • मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करने हेतु कार्य मुक्त किये जाने बाबत दिसम्बर, 12(29) • राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना बाबत जनवरी, 13(25) • राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाश जनवरी, 13 (26) • कलैण्डर वर्ष 2013 में राजस्थान के जिलों में जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश की सूची अप्रैल, 13 (28) • राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव आमंत्रित : अन्तिम तिथि 20 मई 2013, मई-जून, 13 (24)

Annex. I **Centre for Cultural Resources** **and Training** **NEW DELHI**

The details of the proposed training programme are as follows:

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
1.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage.	Middle/Sec./Sr. Sec. school teachers (below 50 years of age)	April 8-18, 2013 Udaipur (Raj.)
2.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/ Drawing/ Painting/ Arts/SUPW/WE	April 8-18, 2013 Hyderabad
3.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. school teachers (below 50 years of age)	April 09-29, 2013 New Delhi
4.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	April 15 to May 04, 2013 Guwahati
5.	Socially Useful Productive Work/Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like craft/Drawing/ Painting/ Arts/ SUPW/WE	May 1-10, 2013 Udaipur

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
6.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	May 6-16, 2013 Hyderabad
7.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	May 7-17, 2013 Guwahati
8.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	May 7-22, 2013 New Delhi
9.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	May 13 to June 01, 2013 Udaipur
10.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	May 20 to June 08, 2013 Hyderabad
11.	Orientation Course (DIET)	For lecturers of DIETs (below 50 years of age)	May 27 to June 07, 2013 New Delhi
12.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/ Arts/ SUPW/WE	June 4-14, 2013 Guwahati
13.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	June 4-19, 2013 Udaipur

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
14.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	June 10-20, 2013 New Delhi
15.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	June 11-21, 2013 Hyderabad
16.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	July 2-17, 2013 Hyderabad
17.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	July 02-22, 2013 New Delhi
18.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)- teaching subjects like Craft/ Drawing/Painting/ Arts/SUPW/WE	July 3-13, 2013 Guwahati
19.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	July 8-18, 2013 Udaipur
20.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	July 18 to Aug. 2, 2013 Guwahati
21.	Orientation Course (DIET)	For lecturers of DIETs (below 50 years of age)	July 22 to August 02, 2013 Hyderabad
22.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	August 6-16, 2013 Hyderabad

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
23.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	August 7-17, 2013 New Delhi
24.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	August 8-18 2013 Guwahati
25.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	August 8-23 2013 Udaipur
26.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	August 19 to Sept. 07, 2013
27.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	August 20 to Sept. 09, 2013
28.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/ Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	September 9-19, 2013 Udaipur
29.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	September 10-25, 2013 Hyderabad
30.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	September 17-27, 2013 New Delhi
31.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	September 30 to October 19, 2013 Hyderabad
32.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	October 3-18, 2013 New Delhi

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
33.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	October 08-18, 2013 Udaipur
34.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	October 21-31, 2013 Hyderabad
35.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	October 21 to November 09, 2013 Udaipur
36.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	November 6-16, 2013 Hyderabad
37.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	November 11-22, 2013 Udaipur
38.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	November 11-30, 2013 Guwahati
39.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	November, 12-28 2013 New Delhi
40.	Orientation Course	Middle/Sec/Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	November 12 to December 02, 2013 New Delhi
41.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	December 3-18 2013 Hyderabad

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
42.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	December 9-19, 2013 New Delhi
43.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	December 10-20, 2013 Udaipur
44.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	December 10-30, 2013 Guwahati
45.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	December 27 to January 07, 2014
46.	Orientation Course (DIET)	For lecturers of DIETs (below 50 years of age)	December 30 to January 10, 2014
47.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	January 7-22 2014 Udaipur
48.	Socially Useful Productive Work/ Work Experience	Primary/Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)- teaching subjects like Craft/Drawing/ Painting/Arts/ SUPW/WE	January 14-24, 2014 New Delhi
49.	Orientation Course	Middle/Sec/Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	January 27 to February 15, 2014 Udaipur
50.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	January 28 to February 17, 2014 New Delhi

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
51.	Socially Useful Productive Work/Work Experience	Primary/Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)-teaching subjects like Craft/Drawing/Painting/Arts/SUPW/WE	February 5-15, 2014 Hyderabad
52.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	February 18 to March 5, 2014 Udaipur
53.	Role of Puppetry in Education	Primary School teachers (below 50 years of age)	February 26 to March 13, 2014 Guwahati

7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 172 की क्रियान्विति अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में

• राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग • क्रमांक : प.1(16)शिक्षा-1/2007 जयपुर, दिनांक : 30.03.2013 • विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 172 की क्रियान्विति अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 172 की क्रियान्विति अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत 5/- प्रति उपस्थिति दिवस की दर को वर्ष 2013-14 से बढ़ाकर 20/- प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने-जाने का वास्तविक किराया जो भी कम हो से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्रावधित राशि से व्यय राशि अधिक होने पर तदनुसार अतिरिक्त राशि की माँग के प्रस्ताव यथा समय भिजवाने का श्रम करावें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 151300500 दिनांक 29.03.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है। ह., शासन उप सचिव, प्रथम।
• क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/स-1/ट्रावा/22474/2012-13 दिनांक : 18.4.2013

S. No.	Training Programme/ Workshops	Eligibility criteria	Date and Venue
54.	Orientation Course	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	February 25 to March 17, 2014 New Delhi
55.	Role of Schools in Conservation of the Natural & Cultural Heritage	Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age)	March 4-14, 2014 Hyderabad
56.	Socially Useful Productive Work/Work Experience	Primary/Middle/Sec./Sr. Sec. School teachers (below 50 years of age) - teaching subjects like Craft/Drawing/Painting/Arts/SUPW/WE	March 11-21 2014 Udaipur

8. ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने की वैकल्पिक व्यवस्था

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/स/22434/2005-06/263 दिनांक : 4.4.13 • विषय : ग्रीष्मावकाश के समय विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करवाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था। • प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र समाप्ति पर समस्त विद्यालयों में शिविरा पंचांग में निर्धारित तिथि पर ग्रीष्मावकाश आरम्भ हो जाता है। विद्यालय में अध्ययनपूर्ण कर अथवा अन्य किसी कारण से ग्रीष्मावकाश के समय विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) की आवश्यकता होती है। जबकि विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश होने के कारण संस्था प्रधान के मुख्यालय पर उपस्थित न होने से विद्यार्थी को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिल पाता है तथा विद्यार्थी को अन्यत्र प्रवेश लेने में कठिनाई होती है।

अतः ऐसी स्थिति में ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रधान निम्न प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे—

“संस्था प्रधान मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अध्यापक को छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करने हेतु लिखित में आदेश जारी कर अधिकृत करें तथा उसके हस्ताक्षर प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को उपलब्ध करावें।”

उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें। ह., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

मन नहीं मानता मगर यह सच है कि श्री अनिल बोर्दिया अब हमारे बीच नहीं हैं। वे वहाँ चले गए हैं, जहाँ गया व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। हमें दुलार करने, हमारा मार्गदर्शन करने, हमारे साथ हँसने-हँसाने और जरूरत होने पर मीठी झिड़की पिलाने वाली यह शख्सियत आज से ठीक आठ माह पूर्व, 2 सितम्बर 2012 के दिन हमें रोता-बिलखता छोड़कर अनन्त में विलीन हो गई; अपने अवदान का वरदान हमें बख्शीष कर। चार सितम्बर को जयपुर में हुए उनके अन्तिम संस्कार के दृश्य स्मृतिपटल से हटने का नाम नहीं ले रहे। वे हमारे प्रिय, आदरणीय और हमारे अपने थे। उनके बारे में उनके साथ वास्ता रहे महानुभावों से संस्मरण लिखवाने और शिविरा में प्रकाशित करने के लिए तत्परता बरतने वाले मुझ अकिंचन ने अपनी ओर से कुछ लिखने के लिए जब भी कलम उठाई, हाथ ने साथ नहीं दिया और एक लम्बी आह के साथ वही एबेन्स वाली स्थिति बनी रही।

शिविरा का यह अंक 53वें वर्ष का अन्तिम अंक है। बोर्दिया जी की याद में मेरा दिल भारी है। उन दिव्यात्मा-पुण्यात्मा की रह-रहकर याद आ रही है। वे महामानव-महात्मा थे। वे प्रशासकों में शिक्षाविद् और शिक्षाविदों में प्रशासक थे। उच्चस्तरीय बैठकों में शिक्षा सम्बन्धी विमर्श में उनकी उपस्थिति से प्रशासनिक अधिकारी आश्वस्त रहते थे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिक्षाशास्त्रियों की बैठक में उनकी उपस्थिति को शिक्षाशास्त्री अपनी बात को महत्त्व दिलाने और यथोचित सम्मान की गारन्टी मानते थे। शिक्षकों के प्रति उनके मन में अथाह सम्मान था। शिक्षा विभाग को कदाचित वे अपना पैरेंट डिपार्टमेंट मानते थे। उनकी स्मरणशक्ति का क्या कहना! एक बार किंचित सम्पर्क में रहा व्यक्ति वर्षों बाद भी मिले, बोर्दिया जी नाम लेकर ही पुकारते थे। बीकानेर में शिक्षा निदेशक कार्यकाल (1964-68) के दौरान निदेशालय के अधिकारियों से ही नहीं अपितु कर्मचारियों तक से वे नाम लेकर ही बात करते थे।

भारत सरकार में शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उन्होंने राजस्थान में

श्री अनिल बोर्दिया : स्मृतियों के वातायन से

ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना

□ ओमप्रकाश सारस्वत

आकर शिक्षा को गति देने के अभियान 'लोक जुम्बिश' को सम्भाला। नई शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 के प्रमुख सूत्रधार श्री बोर्दिया की प्रशासनिक कुशलता एवं उनकी वैश्विक पहिचान से प्रधानमंत्री नरसिंहराव परिचित थे। किसी प्रदेश का राज्यपाल अथवा किसी देश का राजदूत बनना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मगर राजस्थान की माटी और शिक्षा के प्रति मोह उन्हें यहाँ खींच लाया। केन्द्र में शिक्षा सचिव की हैसियत में रहा यह उच्च अधिकारी कार्यकर्ता बन गया। ऐसा कार्यकर्ता जो अपनी दरी खुद बिछाता, आम कार्यकर्ताओं के बीच बैठता, उनके साथ खाना खाता, बोलता-बतियाता, अपना सामान खुद उठाता, कम बोलता, अधिक सुनता और कार्यकर्ताओं को वरदहस्त प्रदान करता।

सन् 1991 की बात है। तब वे केन्द्रीय शिक्षा सचिव थे। बीकानेर जिले में उरमूल ट्रस्ट के तत्त्वावधान में आयोजित नहर यात्रा कार्यक्रम में शरीक होने वे बीकानेर पधारे। शिक्षा निदेशक श्री दामोदर शर्मा ने मुझे उनके साथ भेजा। मेरा पदस्थापन उन दिनों निदेशालय में था तथा बीकानेर के जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी पद का चार्ज भी मेरे पास था। मैंने पहली बार बोर्दिया साहब को उस दिन देखा। यात्रा में उनके साथ

रहने का रोमांच था तो समान्तर एक अपरिभाषित भय भी। दरअसल शिक्षा निदेशक के साथ रहना और उनसे बातचीत करना भी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए झिझकभरा अनुभव होता है। यहाँ तो निदेशकों के निदेशक (Director of the Directors), भारत के शिक्षा सचिव, शिक्षा क्षेत्र में देश के सर्वोच्च अफसर थे। उन्हें खाजूवाला जाना था। निदेशक एवं उरमूल ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई दो गाड़ियों में 8-10 व्यक्तियों का यह काफिला उनके साथ खाजूवाला के लिए रवाना हुआ।

पूगल में सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर यह काफिला रुका। दूटे-फूटे अधबगै माचों पर भारत के शिक्षा सचिव के साथ हम लोग बैठे थे। स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता उनसे बेखौफ बतिया रहे थे लेकिन मैं सहमा-सहमा सा था। चाय का आदेश देने के पश्चात मुझे पास बिठा कंधे पर हाथ रखकर विभाग के बारे में बहुत सी बातें कीं। मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रहा था। पता नहीं क्या पूछ लें। मेरी तैयारी काम आई। अब मेरी झिझक मिट गई। वे उठकर ढाबे वाले के पास गए। काँच के मर्तबानों में रखे बिस्कुटों के बारे में पूछकर दो-दो बिस्कुट हम सबको अपने हाथ से दिए, बोले, 'खाकर देखो, कितने पोले हैं।' चाय पूरी होने पर हममें से एक व्यक्ति खड़ा होकर पैसे चुकाने ढाबे वाले के पास जाने को हुआ। वे हँसते हुए बोले, 'लो देखो, यह आ गया ए.बी. (ए.बी. यानी अनिल बोर्दिया) से बड़ा। अरे रुकजा भाई, अभी तो हम खोखा भुजिया और खाएँगे।' और इसके बाद जोर का ठहाका। कितनी सहजता और कितनी विनम्रता। यात्रा में साथ होने पर चाय नाश्ते पर होने वाला खर्च बोर्दिया जी ही चुकाते थे। कहते कि मैं बड़ा हूँ।

हममें से किसी ने ढाबे वाले को बताया कि बहुत बड़े अफसर हैं, दिल्ली से आए हैं। वे



स्मृति शेष : श्री अनिल बोर्दिया
(5 मई 1934 - 2 सितम्बर 2012)

हँसकर उससे बोले, 'नहीं भाई, कलेक्टर से बड़े थोड़े ही हैं। सबसे बड़ा तो कलेक्टर होता है। क्यों होता है या नहीं।' बिचारे ढाबेवाले ने सहमति में गर्दन हिला दी। अब हमारी तरफ मुखातिब होते बोले, 'हो गया न कन्फर्म। जी.के. की किताब में भी लिखा है कि सबसे बड़ा अफसर कलेक्टर होता है।' ढाबेवाला बिचारा क्या समझे उनकी माया। खाना होते समय ढाबेवाले को धन्यवाद देते हुए रामरमी की।

खाजूवाला में गुरुद्वारे में आयोजित सभा में दरी पर बैठने और लंगर में भोजन करने में पश्चात धोरे पर थाली स्वयं माँजने के दृश्य चलचित्र की तरह मेरी आँखों में तैर रहे हैं। थाली माँजने के लिए किसी के द्वारा पेशकश करने पर वे बोले, 'देखना, मैं कैसी थाली माँजता हूँ। होस्टल में बरतन साफ करने में मैं फर्स्ट आता था।' इतनी सहजता कि सहज में विश्वास नहीं होता।

सन् 1993 में हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आयोजित शिक्षा अधिकारी सम्मेलन में बोर्दिया जी को आना था। तब राज्यपाल शासन था राजस्थान में। मुझे याद है कि तत्कालीन मुख्य सचिव श्री टी.वी. रमणन तथा राज्यपाल के सलाहकार श्री वी.बी.एल. माथुर (पूर्व मुख्य सचिव) सहित आला अधिकारी उनकी अगवानी करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। खाजूवाला में धोरे पर बैठकर अपनी थाली स्वयं माँजने वाले साहब मुझे याद आने लगे। एक तरफ वह सीन और दूसरी तरफ यह सीन। नौकरशाही का सर्वोच्च कमाण्डर जिसकी अगवानी में खड़ा हो, उसके द्वारा अपनी थाली आप माँजना और वह भी हँसते-खिलखिलाते। आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था। *खुद का देखा अहसास सच भी कभी-कभी सच नहीं लगता। कितना ऊँचा कद और कितनी गहरी विनम्रता। किसी शायर ने ऐसे ही विनम्र महापुरुष को देखकर कहा होगा, "किसी को हो नहीं सका उसके कद का गुमाँ/वह आसमाँ था और सिर झुकाए बैठा था।"*

बीकानेर डाइट को लोक-जुम्बिश द्वारा गोद लिए जाने पर वहाँ उप प्रधानाचार्य (कार्यालयाध्यक्ष) के पद पर काम करने का

सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वह लोक जुम्बिश का परवान समय था। बीकानेर में आयोजित समीक्षा एवं नियोजन बैठक (RPM) के दौरान एक सत्र में बोर्दियाजी ने मुझे एक कहावती कहानी सुनाने को कहा। कमाल तो तब हो गया जब उन्होंने मेरी पुस्तक 'कहावतों रो संसार' का उल्लेख करते हुए उसमें सम्मिलित एक कहानी 'निनाणवें रो चक्कर' की आउटलाइंस सिलसिलेवार सुनाई। गजब की स्मरणशक्ति थी उनकी। उन्होंने बैठक में यह टिप्पणी कर मुझे मान दिया कि ओमप्रकाश जी ने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप कालू जाकर नानूराम जी संस्कृता के साथ महीना-बीस दिन उपनिषद् कर राजस्थानी साहित्य पर लिखकर लाओ। बोर्दिया जी स्वयं को राजस्थानी मानते थे। राजस्थानी संस्कृति व राजस्थानी भाषा पर अक्सर टिप्पणी करते। वे मूलतः हिन्दी-अंग्रेजी भाषी थे लेकिन प्रसंगवश राजस्थानी में चन्दलाइनें बोलते तो सुननेवालों को बहुत अच्छा लगता। वे जीवन को भगवान का दिया उपहार मानते थे। इसलिए खूब हँसते और खूब हँसाते थे। लोकजुम्बिश में दो नागपाल सरनेम के व्यक्ति थे। बीकानेर के डॉ. जी.के. नागपाल के बाल सफेद थे। अतः वे उन्हें धोले केशों वाले नागपाल जी कहकर पुकारते और दूसरों के साथ खुद भी हँसते।

एक बार छुट्टी के दिन बोर्दिया साहब प्राचार्य डॉ. दाऊदयाल जी गुप्ता के साथ चर्चा कर रहे थे। बात लोकजुम्बिश के लिए चुने गए कुछ कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति आदेश निदेशालय से जारी करवाने की आई। यह काम मैं देखता था। मेरे से फोन पर बात करने का कहने पर पता चला कि घर पर फोन नहीं लगा है। फिर क्या था ? तत्काल निर्णय और तत्काल क्रियान्विति। पन्द्रह हजार रुपये धरोहर राशि जमा करवाकर मेरे घर पर फोन लगाया। बंगला देश के शिक्षाकर्मियों के साथ डाइट, बीकानेर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वे बहुत उत्साहित थे। लगातार देखाभाल कर मार्गदर्शन व सम्बलन करते रहे। पूरे विश्व में उनके मित्र थे। तू वसुधैव कुटुम्बकम् दर्शन उनके चरित्र में बोलता था। डाइट में पदस्थापन को लेकर अनेक स्मृतियाँ उन महात्मा से जुड़ी

है।

झिझक मिटाकर प्रशिक्षण अथवा बैठक के लिए प्रभावी वातावरण बनाने के लिए वे हर सत्र में कोई गीत सुनाने के लिए हम लोगों को कहा करते। मैं सौभाग्यशाली था जिसने ऐसे कई अवसर प्राप्त किए। प्रतिवर्ष आबू पर्वत पर आयोजित होने वाले वार्षिक समागम में वे बहुत प्रसन्न रहते। हर व्यवस्था पर खुद निगाह रखते। सम्भागियों को उत्तम सुविधाजनक स्थानों पर ठहराते। खाने-पीने का ध्यान रखते। समागम के दौरान वहाँ के पर्यटन स्थलों की विजिट करवाते।

यह 1997 की बात है। गर्मी के कारण आबू पर्वत पर पर्यटकों की भारी भीड़ तथा अन्य कारणों से वहाँ दूषित जल की समस्या पैदा हो गई। आपने बोटल बंद मिनरल वाटर की बड़े स्तर पर व्यवस्था करवाई। हमें आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इतना ध्यान रखते थे अपने साथियों का। ऐसा ही एक संस्मरण और है। जयपुर में मीटिंग अटेंड कर सड़क मार्ग से उदयपुर जाते एक दुर्घटना में डाइट, डूंगरपुर के प्राचार्य श्री सागरमल शाह काल कलवित हो गए। वे बहुत दुःखी हुए। व्यवस्था देते हुए लोक-जुम्बिश परिवार को कहा गया कि रात में छोटे वाहनों से कोई यात्रा नहीं करेगा। शाह साहब की स्मृति में डाइट, बीकानेर में आयोजित शोक सभा में बोर्दिया जी शरीक हुए। वे भावुक हो गए थे। अवरुद्ध कण्ठ से अधिक बोल नहीं पाए। निजता और आत्मीयता में उनकी कथनी और करनी में समानता थी।

वे जीवनभर शिक्षा और सामाजिक चेतना का शंखनाद करते रहे। अनेक कार्यक्रमों के सूत्रधार बने। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं रहती थी कि वे कितने सफल, कितने असफल रहते हैं। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति में आयोजित एक बैठक में डॉ. नन्दकिशोर आचार्य ने अपनी टिप्पणी में उनकी इस विशेषता के लिए धन्यवाद दिया था। डाइट में जब भी आते नन्दकिशोर जी के घर जाना नहीं भूलते और उनके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिलता। कार में बैठे बीकानेर की गलियों और व्यक्तियों को देखते और खुश होते। कहते कितना अलमस्त शहर है बीकानेर।


बीकानेर से मैं और मेरे साथी श्री पल्लव मुखर्जी नीपा में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने दिल्ली गए हुए थे। यह बात 2011 की है। एक दिन लगभग दो बजे हम लंचोपरान्त सत्र में उपस्थित होने हॉस्टल से प्रशिक्षण स्थल की तरफ जा रहे थे। एक कार नीपा के मुख्यद्वार पर आकर रुकी। हम कोई बीस कदम पीछे चल रहे होंगे। कार से श्री अनिल बोर्दिया उतरे। हमने कदम तेज किए। नजदीक पहुँच हाथ जोड़कर अभिवादन किया। “अरे, ओमप्रकाश जी आप यहाँ ! मेरे हाथ अपने दोनों हाथों में सहेज कर बड़ी प्रफुल्लता व प्रेम से बोले। इसी मुद्रा में बात करते स्नेह वृष्टि करते रहे। लम्बे अर्से बाद यों अकस्मात, एक तरह से राह चलते हुई मुलाकात में उन्होंने जो अपनत्व दर्शाया, वह वर्णनातीत है। मेरे से कहा कि मैं आपको पत्र लिखने वाला था। अच्छा हुआ आप मिल गए।

दरअसल कुछ समय पूर्व रमसा द्वारा जयपुर में आयोजित एक कार्यशाला में उन्हें बीज भाषण देने के लिए आना था, मगर अस्वस्थता के चलते वे आ नहीं पाए। मैं मेरी एक पुस्तक ‘सीख’ उन्हें भेंट करने के लिए लेकर गया था। मैंने पुस्तक दूसरा दशक से आए श्री आर.डी. शर्मा के साथ भिजवा दी। नीपा में बातचीत में उसी पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि बहुत अच्छा लिखते हो। मैं पत्र लिखने वाला ही ...। श्री पल्लव मुखर्जी का परिचय करवाया तो बोले भौतिकशास्त्री हो भाई। खूब पढ़ो। अच्छा काम करो।

जनवरी, 2012 का शिविरा का अंक शिक्षा का अधिकार विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिए जाने पर उसमें बोर्दिया जी का आलेख छापने के लिए मेरा मन मचलने लगा। प्रधान सम्पादक की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर औपचारिक निवेदन करने के उपरान्त मैं लग गया प्रबोधन करने। उन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जयपुर दूसरा दशक कार्यालय में गया। वही अस्वस्थता वाला समाचार। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व कुशलक्षेम का पत्र लिखकर श्री आर.डी. शर्मा साहब को सौंप ‘आगे किसी अंक में सही’ कहकर चला आया। मगर वाह रे बोर्दिया साहब। अस्वस्थता के

बावजूद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थानी में कहूँ तो ‘लाखीणा’ आलेख भिजवाने की कृपा की। शिविरा में वर्षों बाद छपा उनका यह बीज आलेख प्रसाद के रूप में अमर रहेगा, अक्षर जो हैं। अक्षर अक्षय होते हैं, अमर रहते हैं। शिविरा उन्हें बहुत प्रिय थी। हो भी क्यों नहीं, जो पौधा हम लगाते हैं, उसे बड़ा होता देखकर प्रसन्नता ही होगी। वे शिविरा के जनक थे और शिविरा जैसे उनकी आत्मजा।

वर्ष 2012 के प्रारम्भ में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जयपुर स्थित कन्ट्रोल शिविर का प्रभारी अधिकारी बनाए जाने पर मेरा कई दिनों जयपुर गुरु नानक संस्थान में रहना हुआ। वहाँ से सचिवालय व विधानसभा जाने पर राह में दूसरा दशक का कार्यालय (सी-113, शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-4) पड़ता था। तब दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन काफी बातचीत के बाद मैंने इजाजत माँगी तो बोले, “मैं लंच में घर जा रहा हूँ। आपको अमुक स्थान तक गाड़ी से छोड़ देता हूँ।” यह थी उनकी मानवीयता और निजता। बोर्दिया साहब गाड़ी ड्राइव करें और हमारे जैसा शिक्षक उनके साथ बैठा हो। खुशी और गर्व का पाठक अन्दाज लगा सकते हैं। बहरहाल ऐसे अद्भुत अनुभवों की लम्बी फेहरिस्त है मगर यह आलेख है न कि पुस्तक।



पत्र जो दस्तावेज बन गया है

अन्त में उस पत्र का जिक्र करना चाहूँगा जो देहावसान से ठीक ग्यारह माह पूर्व पहली अक्टूबर 2011 के दिन उन्होंने शिक्षा निदेशक के नाम लिखा था। यह पत्र शिविरा को ही नहीं निदेशालय के लिए उनका अन्तिम पत्र है। विनम्रता की मिशाल बनकर आभार के साथ शिविरा की प्रति भेंट स्वरूप भिजवाने का अनुरोध करते हैं। पत्र में मेरे बारे में जो लिखा है, वह बड़े से बड़े प्रशस्ति पत्र से भी बड़ा है। पत्र में उनकी अपेक्षा ‘और मुझे विश्वास है कि अब शिविरा का स्तर ऊँचा होगा’ से मुझे अतिरिक्त मेहनत से कार्य करने की कितनी प्रेरणा व ताकत मिल रही होगी, का पाठक महानुभाव अन्दाज लगा सकते हैं। बचपन से ही मेरे पूज्य पिताजी से बोर्दियाजी के बारे में सुना करता था। उनके निदेशक कार्यकाल के दौरान भीनासर स्थित जवाहर सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रामप्रसाद अग्रवाल बोर्दिया जी के शिक्षक रहे हुए थे। अग्रवाल साहब के साथ मेरे पिताजी का बोर्दिया जी के बंगले पर आना-जाना और एक आई.ए.एस. शिष्य द्वारा अपने शिक्षक को दिए जाने वाले सम्मान का साक्षी बनने का जिक्र करते वे आज भी नहीं थकते।

श्री अनिल बोर्दिया अपने पदचिह्न जीवन सफर के समान्तर छोड़कर अनन्त में विलीन हो गए हैं। हम आह भर सकते हैं। उनका लाड़-दुलार याद आता है। उनका वरदहस्त व समय-समय पर प्रदत्त मार्गदर्शन ताकत प्रदान करता है। काश ! वे लौट आएँ। हमारे आँसू पोछें तथा प्यार से झिड़क कर कहें, अरे पगले काहे को रोते हो। चल उठ, काम लगा। उनकी पावन स्मृति को सविनय धोक देते हुए लांगफेलो की कविता के अंश श्रद्धासुमन के रूप में अर्पित है—

*Lives of greatmen all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leaves behind us
Footprint on the sands of time.*

महापुरुषों का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम अपना जीवन महान बना सकते हैं और जाते समय अपने पदचिह्न समय की रेत पर छोड़ सकते हैं।

—चरित्र सम्पादक, शिविरा पत्रिका, बीकानेर

हिन्दी व्याकरण की निर्बलता

□ द्वारकेश भारद्वाज

अणुव्रत जो नैतिक आन्दोलन है प्रवर्तक आचार्य तुलसी एक बार लोक सभा कक्ष में पधारे थे। राज्य सभा के सदस्य राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और कई उच्चकोटि के साहित्यकार व राजनेता वहाँ उपस्थित थे। राष्ट्रभाषा हिन्दी के वर्तमान विकृत स्वरूप के बारे में चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने हिन्दी विकृति के बारे में सोदाहरण एक सटीक टिप्पणी करते हुए कहा कि आचार्य आज की बहुत बड़ी समस्या है कि हम छोटी बातों की भी उपेक्षा कर देते हैं इस कथन की पुष्टि में उन्होंने कविता की दो पंक्तियाँ सुनाई—

एक मात्रा के प्रमाद से सखे,

मेरा क्षीर सिन्धु क्षार सिन्धु हो गया।

दृष्टव्य है मात्र बड़ी ई की मात्रा हट जाने व उसके स्थान पर आ की मात्रा लग जाने से क्षीर सिन्धु क्षार सिन्धु हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया। शिक्षण में छोटी भूलों में हिन्दी चलन की शुद्धता को ही गड़बड़ा दिया। ह्रस्व व दीर्घ का स्पष्ट ज्ञान ध्यान न होने व छात्रों में ही नहीं अध्यापकों व अभिभावकों तक में शब्द कोश अवलोकन का सोच, प्रचलन व उपयोग न होने से राष्ट्र भाषा हिन्दी में भाषायी अशुद्धता आम रास्तों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे सरकारी व गैर सरकारी साइन बोर्ड्स व नाम पट्टों पर दृष्टव्य है।

हिन्दी लेखन व पठन में अनुस्वार का तो लोप ही हो गया है। यथा टूक व टूंक, रजनीगंधा व रजनीगंधा, मैं व मै लिखावट में कोई अन्तर नहीं होता। एक मात्रा अनुस्वार, ह्रस्व व दीर्घ की भूल अर्थ का अनर्थ कर सकती है जैसा ऊपर राष्ट्रकवि द्वारा प्रस्तुत उदाहरण में कहा गया है। गौर कीजिए, जब देश के राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभादेवी सिंह पाटील के नाम का प्रस्ताव आया था तो कई सियासती हल्कों में बहस छिड़ गई कि अगर राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर एक पुरुष का आसीन होने पर राष्ट्रपति कहा जाना तर्क संगत है पर उस पर जब कोई महिला हो तो उसे क्या स्त्री वाचक पदनाम से सम्बोधित किया जायेगा। भाई लोगों ने इस सियासती व्याकरण की चटखारे लेकर खूब खिल्ली उड़ाई थी। इस बहस में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को भी लपेट लिया गया था कि गाँधी जी राष्ट्रपिता थे तो क्या कस्तूरबा गाँधी राष्ट्र माता थी। ऐसी बचकाना

बहस इन्दिरा गाँधी के समय में भी उछाली गई थी। वह एक व्याकरणात्मक राजनीति थी। अगर इस बहस को आधार मान लिया जाय तो जवाहरलाल नेहरू क्योंकि चाचा नेहरू के नाम से मशहूर हो गये थे तो क्या उनकी धर्मपत्नी कमला नेहरू चाची कहलाई गई? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को ताऊ नाम से सम्बोधित करना प्रचलन में था लेकिन उनकी पत्नी को ताई नहीं। उत्तर प्रदेश के एक नेता राजा भैया के नाम से मशहूर हैं लेकिन उनकी पत्नी को रानी बहन या रानी भैया इस सियासती व्याकरण के आधार पर कहना अनुचित होगा। खासकर पदनाम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग न होकर उभयलिंगी होते हैं। यथा राष्ट्रपति, जिलाधीश, अधीक्षक, मंत्री पुरुष व स्त्री के लिए समान ही होते हैं।

अब और गौर कीजिए यद्यपि साली का पुल्लिंग साला हुआ पर गाली का गाला नहीं हुआ, गठरी का गट्टा तो हुआ लेकिन मठरी का मट्टा तो नहीं हो सकता, लंगड़ी का पुल्लिंग लंगड़ा व मालन का माली तो हुआ लेकिन गृहिणी का गृहणा व पत्नी का पत्ना नहीं हो सकता। इसी प्रकार पुत्री का पुल्लिंग पुत्र तो होना सही है लेकिन नेत्री का नेत्रा होना गलत है। कोयल का कोयला व खाली का खाला होना गलत है। इसी प्रकार चाचा का चाची तो होना ठीक है व मामा का मामी भी ठीक है लेकिन बप्पा का बप्पी इसी प्रकार दबंग की तूती बोलती तो सुना होगा लेकिन क्या आपने दबंग का तूता बोलता कभी सुना है?

यह समस्या केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही नहीं है। एक वचन व बहुवचन में भी है। यद्यपि गाड़ी का बहुवचन गाड़ियाँ व साड़ी का साड़ियाँ, लात का लातें, बात का बातें तो होता है लेकिन तात का तातें होना व्याकरण की भूल होगी। जंगल में मोर नाचा का बहुवचन जंगल में मोर नाचे तो होना ठीक है लेकिन मोरे नाचे गलत है।

अंग्रेजी के मामले में हम ज्यादा सतर्क हैं व सामने वाले के गलत उच्चारण व ग्रामर की भूल को फौरन पकड़कर बोलने व लिखने वाले के ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं लेकिन राष्ट्रभाषा हिन्दी की दरिद्रता हेतु कक्षा शिक्षण व उसके बाहर व्यावहारिक तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका अहम् कारण यह है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण में न तो व्याकरण के ज्ञान पर ही ध्यान दिया जाता है न ही हिन्दी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ व्याकरण के शिक्षण व भूल चूक सुधार पर। गृह कार्य देखने पर उसमें अपेक्षित सुधार कर व्याकरण की अशुद्धियों को सुधारा जाता है। डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अच्छी हिन्दी नामक व्याकरण सुधार की पुस्तक में व्याकरण की सहज भूलों को उजागर किया है।

व्याकरण के निर्बल शिक्षण के परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रभाषा हिन्दी को दरिद्रता का शिकार होना पड़ा है। पाठ्यक्रम निर्माताओं को व्याकरण पूर्णक में एक निश्चित प्रतिशत अंक व्याकरण के लिए निर्धारित होने चाहिए ताकि हिन्दी की दरिद्रता दूर हो सके।

—‘हवेली ज्ञानद्वार’, बी-68, सेटी कॉलोनी,
जयपुर-302004

शिक्षक दिवस प्रकाशन-2013 हेतु सृजनशील शिक्षकों एवं विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों की साहित्यिक रचनाओं का आमंत्रण शिविरा के फरवरी 2013 अंक में पृष्ठ 33 पर प्रकाशित हो चुका है।

रचनाएँ भेजने का पता— वरिष्ठ सम्पादक, प्रकाशन अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-334011

अंतिम तिथि— 31 मई, 2013

याद रहे— रचनाकार रचनाओं के साथ :
1. नाम, 2. बैंक खाता संख्या, 3. बैंक का नाम, 4. ब्रांच का नाम, 5. बैंक का IFSC No., 6. बैंक का MICR No. लिखना न भूलें।

—व.सं.

स्काटलैण्ड (इंग्लैण्ड) निवासी 'कर्नल जेम्स टॉड' राजस्थान के इतिहास लेखकों में एक उज्ज्वल नाम है, जिसने पहली बार राजपूताना को 'राजस्थान' नामकरण से विभूषित किया। इस विदेशी युवक ने 'एनाल्स एण्ड एनीक्वीटीस ऑफ राजस्थान (राजस्थान का इतिहास) नाम की कालजयी कृति विश्व को दी है। जन्म मार्च 18, 1782 ई. से 17 नवम्बर 1835 तक मात्र 53 वर्ष की अल्पायु में ही वह स्वर्ग सिधार गया। अपनी भारत प्रवास की अवधि में इस विदेशी युवक ने राजपूताने के साहित्य एवं संस्कृति को विश्वपटल पर उजागर करने का जो महती कार्य किया, वह कोई देशी शासक, सरकार या लेखक, कवि नहीं कर पाया। आज "रायल ऐशियाटिक सोसायटी लंदन" राजस्थानी साहित्य की सैकड़ों पुस्तकों का उल्लेखनीय संग्रहालय बना हुआ है। वह राजपूताने के साहित्य का शोधकर्ता अधिक रहा। यहाँ रहकर उसने ढेर सारे ताम्र पत्र, पट्टे-परवानों, पुरातत्व महत्व के सिक्के, मूर्तियाँ, हस्तलिखित ग्रन्थ आदि सामग्री संग्रहित कर अपने साथ स्कॉटलैण्ड ले गया और वहाँ ले जाकर उनके आधार पर 'एनाल्स एण्ड एनीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' भाग 1 व भाग 2 और ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इण्डिया' नाम से कालजयी कृतियाँ लिख दीं। 'काननूगो' की दृष्टि में कर्नल जेम्स टाड के रूप में राजस्थान को 'हेरोडोटस' मिल गया।

महाराणा भीमसिंह जी द्वारा उसे 'पृथ्वीराजरासो' प्राप्त हुई। उसे उसने जैनाचार्य जती ज्ञानचंद के मुख से सुनी तो उसे स्वयं पढ़ने के लिए 'डिंगल भाषा सीखनी पड़ी और इसके लिए उसने जती ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया। उसने स्वयं लिखा कि पृथ्वीराज-रासो उसने एक-दो नहीं छह-सात बार पढ़ा, समझा और उसे अंग्रेजी में अनुदित कर एक प्रति महाराणा भीमसिंह जी को दी तथा एक प्रति रायल ऐशियाटिक सोसायटी लंदन को भेंट की।

जेम्स टॉड में शोध-खोज की प्रतिभा, सूझबूझ व मौलिकता लिए हुई थी। वह लिखित-अलिखित, मौखिक-अमौखिक, गीत-छंद, कहानी, बात, ख्यात, शिलालेख, प्राचीन स्मारकों को, सिक्कों, मूर्तियों को घंटों देखता और विचारता था। इन बातों अनुशीलन हेतु उसने तत्कालीन डिंगल-फारसी मिश्रित भाषा रूप

कर्नल जेम्स टॉड

राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के चितरे

□ सुरेन्द्र अंचल

सीखा।

सम्भवतः सम्पूर्ण भारत में वह ही एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में राजा महाराजाओं से पत्र व्यवहार करने में विश्वास रखता था। जिससे उसके आदेश प्रभावशाली ढंग से लागू हो सके और उनकी इच्छा को समझा जा सके। जेम्स टॉड को उदयपुर महाराणा भीमसिंह से जोधपुर महाराजा मानसिंह से तथा अन्य सामंतों उमरावों या ग्रामीणों से बात करनी होती तो टूटी-फूटी स्थानीय भाषा (राजस्थानी) में बोलने का प्रयास करता, इससे सामने वाले से शीघ्र ही आत्मीयता की डोर जुड़ जाती।

उस समय उदयपुर महाराजा भीमसिंह के राज्य प्रबंध हेतु राजपुरोहित रामनाथ नियुक्त थे। वे इन दोनों की भाषा को समझकर एक दूसरे को समझाने हेतु मध्यस्थता का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। पुरोहित रामनाथ से ही कर्नल, कई बार प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने में और पत्र लेखन हेतु स्थानीय भाषा के शब्द लिखने हेतु, मदद ले लिया करते थे। उन दिनों जैनसंत जती श्री ज्ञानचंद जी महाराज भी उदयपुर में ही प्रवास कर रहे थे। उनसे प्राकृत, अपभ्रंश डिंगल में लिखित ताम्रपत्रों, शिलालेखों, पट्टों, ख्यातों, सिक्कों को पढ़वाते थे व अपनी भाषा में अनुवादित किया करते थे। उन्होंने स्वयं ने भी कई बार महाराणा भीमसिंह को अपने हाथ से स्थानीय भाषा में पत्र लिखे, उनमें से कुछ पत्र सम्भवतः प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर के पास आज भी होंगे।

जेम्स टॉड के द्वारा लिखे स्थानीय भाषा का एक पत्र यहाँ नमूने के तौर पर प्रस्तुत करना उचित समझता हूँ। यह पत्र उन्होंने पुरोहित रामनाथ को वि.स. 1878 कार्तिक बदी दीपावली ता. 26 अक्टूबर सन् 1821 ई. को लिखा।

‘शीघ्र श्री ऊदैपुर शुभस्थाने सबओपमा

पोहतजी श्री रामनाथ जी जोग्ये मुकाम कालीसिध कनारे गाम राईपुरा सो राजे श्री कपतान जिमस टाड साहब के राम राम बाचसी ईण रा समाचार भला हे, तुमारा भला चाहियै अपरंच ईन दीना में सलीतो श्री दरबार के नामै भेजो सो पुहचेगो उससे सब समाचार जानोगा। तुम ईस बात को बीचारौ साहजी ने और तुमने श्री दरबार का तीन-चार रुका मगाई लीया जब ईस बात का बीच में हम आई कर जुबान दी है ओर अब जो ईस बात में किसी बात की कसर पड़े तो बात बोहत हल्की दीसै है सो अब साहजी भी ऊहा आया हुआ है सो इस बात को वीचार अच्छी तरह से करोगा और नहीं आगा ने हम किसी बात में कदी आऊना का नहीं हम तो फकत जुबान दी ई है। परन्तु बात बोहत बडी ओर हुंडी का भेजना को हमारे पास किया काम है। सो उल्टी भेज दी ई है। कामकाज कागद पत्र लीखावसी, 1878 कातीक सुदी 11, दीपमालका, ता. 25 अक्टूबर सन् 1821 ईस्वी।

हस्ताक्षर - जेम्सटॉड

इस पत्र में कप्तान जेम्स टॉड ने लिखा है कि रियासत सम्बन्धी कार्यों में महाराणा और हमारे मध्य एक विश्वास पात्र संदेशवाहक के रूप में तुमने सेवा की है। इन सेवाओं के बदल महाराणा की ओर से जारी 3-4 रुको में जो तुम्हें जागीर तथा सम्मान प्रदान किया है। उसकी हमने बीच में रहकर जुबान दी है, यदि भविष्य में कभी इस मामले में, कसर पड़े तो यह हमारे अप्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। यद्यपि किसी बात में हमारी मध्यस्तता रहना ठीक नहीं, किन्तु जुबान से कही गई बात का बहुत महत्व होता है। यह हुंडी हमने भिजवा दी है। कामकाज व कागज पत्र लिखावे।

महाराणा भीमसिंह ने इन्हें अनेकों पुस्तकें भेंट में दी उनमें पुराण, महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज-रासो, हमीर रासो, सूर्य व चन्द्रवंशी शासकों की वंशावली राजरूपक आदि ग्रंथ थे।

शिक्षा में स्काउटिंग की भूमिका

□ ओम भारती गोस्वामी

जोधपुर के महाराजा मानसिंह से इन्हें विजयविलास, सूरज-प्रकाश, मारवाड़ री ख्यात वचनिका खींची अचलदासजी (खिड़िया जगा) आदि प्राप्त हुई। इन्होंने ये सभी तथा अन्य ख्यात, वात, वर्णक आदि दुर्लभ सामग्री रायल एशियाटिक सोसायटी लंदन को समर्पित कर दी।

जेम्सटॉड द्वारा रायल एशियाटिक सोसायटी लंदन को समर्पित कुछ राजस्थानी साहित्य का विवरण— 1. हकीकत - (राजस्थान) जयपुर (आमेर) के राजाओं का विवरण। 2. कुमारपाल राजर्षिरास (राजस्थानी पद्य में)। 3. राठोडा री वंशावली (राजस्थानी)। 4. वचनिका खींची अचलदास री (खिड़िया जगा)। 5. राजनिरुपण (दलपति राय)। 6. 'गुटका' इसमें जयसिंह सम्बन्धित 2 पुस्तकें तथा एक राजतरंगिणी (मिश्र रघुनाथ)। 7. गुहिलोतान्वय (राजस्थानी गद्य)। 8. विक्रम विलास (मिश्र गांगा कृत - राजस्थानी गद्य पद्य)। 9. खुमानरासो (दलपति विजय कृत पद्यात्मक कालाग्रन्थ)। 10. विजयविलास। 11. राजरूपक (वीरभाण कृत)। 12. सूरज प्रकाश (कविता करणीदान)। 13. राजारासो। 14. राजा-कहावट वार्ता। 15. गुटका 'मेवाड़ (इनमें 18 सर्गों में जयविलास काव्य)। 16. हप्त गुल्हव (भाग 1) मुहम्मद हादी रचित, भारत का इतिहास, राजस्थानी अनुवाद आदि के अतिरिक्त कई वंशावलिया पट्टे परवाने आदि भी दिए जो आज भी वहाँ हैं। आज रायल एशियाटिक सोसायटी राजस्थानी भाषा के शोधकर्ता और सम्पूर्ण भारत में दुर्लभ पुस्तकों के मिलने की क्षमता रखता है।

श्री जसवंतसिंह सिंघवी ने कर्नल टॉड की प्रशस्ति में लिखा है—

पुरातन ग्रंथ और पुरालेख शोधि शोधि।
नभ इतिहास चन्द्र, कौन चमकावतो॥
चारण सुविज्ञ एवं अन्य सुधी संगति ले।
प्रबल पराक्रम की गाथा कौन गावतो॥
कपटी लुटेरो की अराजकता नष्ट कर।
कौन सुव्यवस्था और शान्ति सरसावतो॥
भारतीय गरिमा कौन करतो विश्वव्यापी।
जे राजस्थान इतिहास टॉड न रचावतो॥

—2/152, साकेत नगर,
ब्यावर (अजमेर) राज.

स्काउट एवम् गाइड का नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने एक नन्हें फौजी की तस्वीर उभर कर आती है, जो टोपी लगाए गले में स्कार्फ पहने सोल्डर युक्त नीली कमीज पहने, उसके नन्हें कन्धों पर तैयार की फीती लगी हुई, बैल्ट लगा हुआ, विशाल मुँह में दबाए नेकर पहने, फीतों वाले काले बूट, काले मौजे पहने एक नन्हा सिपाही मेलों में, त्यौहारों में सार्वजनिक कैम्पों में यह सिपाही निस्वार्थ जनता की सेवा करता हुआ नजर आता है, वो सैनिक हमारे विद्यालय से दीक्षा लिया हुआ कब, बुलबुल, स्काउट गाइड ही होता है।

विद्यालय के इन नन्हें बालकों के स्वर्णिम विकास के लिए एक सेवाभावी परोपकारी सज्जन लॉर्ड बेडेन पावेल ने सन् 1907 में कुछ लक्ष्य, सिद्धान्त तथा पद्धति के अनुरूप इस विशाल संस्था की शुरुआत कर एक नन्हा 'अंकुर' लगाया था जो वर्तमान में विश्व का वृहत वट वृक्ष बनकर सेवा से अपने आपको सार्थक करने वाली संस्था भारत स्काउट व गाइड के नाम से फल-फूल रही है।

विद्यालय में बच्चों को खेल के साथ कुछ नियम व अनुशासन का पाठ इस संस्था में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान व तृतीय सोपान में बताया जाता है। नन्हें बच्चे स्काउट की वर्दी पहनकर देश भक्ति एवम् परोपकारी भावना से विद्यालय में इस संस्था से जुड़ने को आतुर रहते हैं। इस आन्दोलन का उद्देश्य यूथ के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अंतः शक्तियों का विकास हो एवं स्वयं को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थानीय, राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्थापित कर सकें। वस्तुस्थिति की वास्तविकता यह है कि आज की शिक्षा के साथ इस संस्था को हर स्कूल में औपचारिक व अनौपचारिक रूप से लागू कर इस सेवाभावी जन आंदोलन को प्राथमिक स्तर से लागू कर उच्च स्तर तक बढ़ाया जावे। भारत स्काउट व गाइड के द्वारा ही बेडेन पावेल के सपने को साकार कर पाएँगे। भारत के सुनागरिक बनने की स्काउट गाइड प्रथम सीढ़ी है। विद्यालय के बच्चों व स्काउट के बच्चों में आपको अन्तर स्पष्ट हो जाएगा यह स्काउट बनने की विशेषता है। क्योंकि प्रथम दीक्षा सेवा भावना से ही इस

संस्था को ग्रहण करता है और जीवनपर्यन्त उसे समाज व राष्ट्रहित में ही स्काउट सीख को फलीभूत करता है। उसकी सोच हमेशा सकारात्मक व विकासात्मक रहती है। परहित में हमेशा सोचता व करता है किसी ने कहा है—
'तरवर, सरवर, साधुजन चौथा बरसे मेह।
परमार्थ रे कारणे चारों धरिया देह।।'

स्काउट में हमेशा परहित भावना प्रबल रूप से रहती है और हमेशा एक कार्य भलाई का वह करता है उसके गले में बँधे स्कार्फ की गाँठ लगाने से पूर्व में यह बात सोचता है कि मुझे एक भलाई का कार्य करना है। यह भावना विद्यालय में उसके आदर्श स्काउट मास्टर द्वारा बचपन से भरने के कारण ही रहती है। वर्तमान में विद्यालयों में स्काउट अनिवार्य रूप से लागू की जावे ताकि प्रशिक्षित अध्यापक इन नन्हें पौधों को परोपकारी संस्कारों से सिंचित कर भावी पीढ़ी को देशहित में फलीभूत कर सके। स्काउट व गाइड की वर्दी पहनकर बच्चा अपने आप में गर्व महसूस करेगा तब उसके आस-पास के वातावरण में भी देशभक्ति व परोपकारी भावना का उदय सम्भव है। कवि ने कहा है— 'उरते रहो यह जिन्दगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए।' 'इन्सान इस जहान में देखे चतुर सुजान, ओम महान वही है जो दे तुझको सम्मान।' ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने कार्यानुसार कार्य कर भावी पीढ़ी को विकास की राह पर लगाने में पथ प्रेरक होकर कार्य करना चाहिए, यह तभी सम्भव है, जब हम समयानुसार समय का सदुपयोग करेंगे। यह सब स्काउट में सीख सकते हैं। स्काउट की भावना रूप रेखा सब सुनागरिक बनाने में अहम है।

बेडेन पावेल के इस आन्दोलन की सफलता हेतु राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों का उत्तरदायित्व है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस आन्दोलन का उचित स्काउट प्रशिक्षण दिलाकर अपने विद्यालय के नन्हें कब, बुलबुल स्काउट व गाइड को देशहित में स्काउट शिक्षा देकर तैयार करें ताकि हमारा देश स्काउट के रूप में जनसेवा कर सके।
'बच्चे देश की जान हैं।

स्काउट विद्यालय की शान है।'

—शा.शि., सचिव स्थानीय संघ नाचना,
पं.स. जैसलमेर

सुशासन एवं सूचना का अधिकार

□ प्रतापमल देवपुरा

लोकहित को समर्पित और लोगों के साथ अपनत्व का भाव पैदा करने वाली जो भी राज्य व्यवस्था होगी वह सुशासन की श्रेणी में आएगी। सामान्यतः यह अंग्रेजी के 'गुड गवर्नेस' शब्द के हिन्दी रूपान्तरण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतंत्र के साथ सम्बद्ध है। यह आवश्यक नहीं कि सुशासन की जो कल्पना हमारी हो वही दूसरे की भी हो। परन्तु सुशासन के अनेक तत्व परस्पर मिलते-जुलते जरूर होंगे। सूचना का अधिकार सुशासन को मजबूत बनाता है।

सुशासन की अवधारणा : वर्तमान लोकतंत्र आने से पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों और समाज व्यवस्था के अनुरूप विश्व एवं भारत के न जाने कितने चिंतकों, मनीषियों, राजनेताओं ने सुशासन के बारे में गहन विचार किया। यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य, राजा, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु की कुछ पंक्तियों पर नजर दौड़ाएँ तो पाएँगे कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य 'पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति' है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अतः इसका कार्य, बुरे कार्यों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है।

महाभारत के काल में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि 'धर्मानुवर्ती राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना प्रिय परित्याग कर वही करे जिससे लोकहित हो।' हिंसा से राज्य को मुक्त रखने यानी सत्य और शान्ति के आधार पर जो शासन हो वही भारतीय अवधारणा में सुशासन कहा जाएगा। वैदिक काल के राज्य में सुशासन का अर्थ संकुचित भाव से रहित एवं बहुतायत द्वारा राज्य व्यवस्था संचालित करने वाला शासन है, 'वह शासन जो प्रत्येक मनुष्य को सुख देने का प्रयास करता है और संकुचित नहीं है।' यानी अपना, अपने परिवार, रिश्तेदार, जाति समर्थक और यहाँ तक कि अपने समान विचार वाले के

लिए भी पक्षपात नहीं करता है, सभी मनुष्यों से एक तत्व की भावना से जो व्यवहार करता हो, जिसमें असंकुचित, व्यापक भाव हो वही सुशासन है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुशासन के दस निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार 'राजा, राज्य का सेवक है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती।' वे कहते हैं 'राजा का दिल ही प्रजा का दिल है। राजा या राज्य के अधिकारी जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी। इसलिए वे राजा की योग्यता से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक का विस्तृत मापदण्ड पेश करते हैं। इन सबका उद्देश्य राज्य को न्याय पालक एवं सर्वकल्याणकारी बनाना है यही तो सुशासन है।

आधुनिक भारतीय नेताओं और विचारकों में महात्मा गाँधी को सुशासन सम्बन्धी भारतीय परम्परा का वारिस कहा जा सकता है। अलग-अलग समय और प्रसंगों में स्वराज्य के सम्बन्ध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, दरअसल वही सुशासन का दर्शन है। उनके विचारों में 'स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन।' लोक सम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों के मत के जरिए हो, फिर वे चाहे स्त्रियाँ हों या पुरुष, इसी देश के हों या इस देश में आकर बस गए हों। सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से ही नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो तब सभी लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। यदि स्वराज्य मिल जाने पर जनता अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुँह ताकना शुरू कर दे तो वह स्वराज्य किसी काम का नहीं होगा। बल्कि ऐसा स्वराज्य सबके लिए सबके कल्याण के लिए होगा जो सत्य और न्याय पर टिकी ऐसी शासन

व्यवस्था से है जो देश के लिए शांति, सुव्यवस्था और सामूहिक भाईचारे की ओर अग्रसर करने वाले सुशासन को प्रेरित करे। भारत में सुशासन का लक्ष्य केवल देश तक ही सीमित न होकर वैश्विक लक्ष्य भी था। इस प्रकार विभिन्न चिन्तकों के विचारों के विवेचन से सुशासन की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है।

सुशासन के मुख्य तत्व : सुशासन एक सर्वकालिक, आदर्शात्मक एवं नागरिक केन्द्रित अवधारणा है। किसी भी देश, काल व परिस्थितियों में यदि सरकार जनकेन्द्रित, समता-उन्मुखी एवं संवेदनशील है तो उसके शासन को सुशासन कहा जा सकता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'विकास और अभिशासन-1992' में सुशासन के जिन तत्वों का उल्लेख किया है उनमें शासन का अधिक लोकतान्त्रिक स्वरूप, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयुक्त दोहन, विकासोन्मुख व दीर्घकालीन नीति-निर्माण व क्रियान्वयन हेतु क्षमताओं का निर्माण इत्यादि।

सुशासन के प्रमुख तत्वों को विभिन्न विचारक, चिंतक एवं राज्य व्यवस्थाएँ अपने-अपने हिसाब से समाहित करती हैं। सार रूप में प्रशासन के जो मुख्य तत्व माने जा सकते हैं वे—बंधन मुक्त, संवेदनशील, विश्वसनीय, सहभागी, आम सहमति, समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी व सक्षम, अनुक्रियात्मक और विधि का शासन आदि है। इस प्रकार सुशासन के लिए कुछ ऐसे मार्गदर्शक गुणों का विकास किया गया है, जिसके द्वारा प्रशासन को अधिक सजग व संवेदनशील बनाया जा सके।

जनपहरेदार के रूप में आज मीडिया राजनीतिज्ञों व प्रशासकों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को नियंत्रण में रखता है। सरकारी नीतियों को जनहित के दृष्टिकोण से अन्वेषित व विश्लेषित करके पर्याप्त छानबीन द्वारा उनकी सार्थकता को उजागर करने का अहम कार्य

मीडिया द्वारा किया गया है।

सूचना का अधिकार और सुशासन : वास्तव में किसी भी लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। यह सहमति स्वतंत्र एवं स्वाभाविक होने के साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और विचार-विमर्श पर आधारित होनी चाहिए। भारतीय संविधान के भाग तीन में अनेक प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें देश में घूमने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) क में प्रदत्त किया गया है। सूचना के अधिकार को संवैधानिक मान्यता भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। भारतीय न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार को भारतीय विधि व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह अभिमत है कि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, लोकतन्त्र में लोग मालिक हैं, इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए हैं, क्या कर रही हैं। देश का प्रत्येक नागरिक विभिन्न तरह के कर देता है अतः नागरिकों के पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार खर्च हो रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उचित उपयोग विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति पर निर्भर होता है, यदि ऐसी विश्वसनीय सूचनाएँ मिलती रहें तो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के आधार पर चार विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक है, दूसरा, सत्य की खोज में सहायक है। तीसरा, यह व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और चौथे में यह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 भी सूचना के अधिकार के सार्वभौमिकरण पर बल देती है। धारा 4 के अनुसार सभी लोकप्राधिकारी अपने अभिलेखों को इस प्रकार सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध रूप में रखेंगे, जो सूचना के

अधिकार अधिनियम को सुगम बनाता है। ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने योग्य हैं, को उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत करेंगे।

अनेक राज्य सरकारों ने 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' पारित किया है। इस अधिनियम के पारित हो जाने से लोक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। सूचना के अधिकार कानून के रूप में लोगों के हाथ में एक शक्तिशाली साधन मिला है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जहाँ इस अधिकार का उपयोग लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया गया है।

सुशासन में ई-प्रशासन का योगदान : ई-प्रशासन ऐसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का नाम है जिनका उद्देश्य सूचना और सेवा वितरण में सुधार लाना, निर्णय करने की प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और सरकार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाना है। संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिक सशक्तीकरण के लिए किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरकारी नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के आयाम खोलने का अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करना महत्वपूर्ण है जहाँ लोग विभिन्न समेकित विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।

यदि विभिन्न विषयों पर वेबसाइटों का निर्माण ध्यानपूर्वक और मुक्त रूप से किया जाए तो उन्हें पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जाना चाहिए कि वे सरकारी नियमों, नीतियों, कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसीलिए ई-प्रशासन से सम्बन्धित दूरदृष्टि में सभी हित धारकों की दूरदृष्टि सम्मिलित होनी चाहिए। जैसे-जैसे ई-प्रशासन की व्यवस्था फैलती जाएगी सुशासन का दायरा बढ़ता जाएगा।

सुशासन एवं मीडिया की भूमिका : मीडिया में सुशासन के निहितार्थों को

वास्तविकता में बदलने की पर्याप्त क्षमता है। सतत व सफल लोकतंत्र के लिए स्वच्छ व निष्पक्ष चुनावों के साथ-साथ, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएँ तथा आजाद गतिशील व बहुस्वरूपी मीडिया भी नितांत आवश्यक है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ व बहुआयामी मीडिया जनहित में कार्य करते हुए पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करके, सहभागिता व कानून के शासन को बढ़ावा देकर तथा सामाजिक असमानता व बुराईयों के खिलाफ समर्थन जुटाकर सुशासन की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सुशासन का एक अहम तत्व है उत्तरदायित्व, जिसके निर्धारण में मीडिया का मुख्य योगदान रहता है। जनपहरेदार के रूप में कार्य करते हुए मीडिया राजनीतिज्ञों प्रशासकों के शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को नियंत्रण में रखता है। सरकारी नीतियों को जनहित के दृष्टिकोण से अन्वेषित व विश्लेषित करके पर्याप्त छानबीन द्वारा उनकी सार्थकता को उजागर करने का अहम कार्य भी मीडिया द्वारा किया जाता है। मीडिया सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन एवं उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के ढंग का संतोषजनक लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करके गलत और मनमाने कार्यों को रोकता है। विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों का अनुश्रवण करके प्रशासन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने का कार्य भी मीडिया सहजता से करता है।

सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। इसके अनेक पहलू हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा इस आलेख में की गई है। यहाँ यह दोहराना उचित होगा कि प्रशासन केवल सरकार के लिए चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए परन्तु समाज और सरकार के बीच एक निरन्तर और निर्णायक चर्चा आवश्यक है ताकि सुशासन के सिद्धान्तों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रशासन एक महत्वपूर्ण हथियार है तथा मीडिया प्रहरी की भूमिका में है।

—पूर्व प्रधानाचार्य

1/सी, शिवाजी नगर, उदियापोल, उदयपुर-313001

भारतीय संस्कृति का सामान्य अर्थ प्राचीनकाल से चले आ रहे संस्कारों के पालन से है। संस्कृति शब्द का आधुनिक अर्थ प्राचीनकाल के आचार-सदाचार, मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों से भी है।

वेदादि या अन्य धर्मग्रंथों के आचार-विचार ही भारतीय संस्कृति के स्वरूप हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, उपासना आदि समस्त परिवेश आता है।

संस्कृति के किसी एक भाग को सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता काल व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है जैसे रामायणकालीन सभ्यता, महाभारतकालीन सभ्यता, मुगलकालीन सभ्यता आदि। विदेशी प्रभाव भी सभ्यता पर पड़ता है।

संस्कृति अनुभवजन्य ज्ञान के और सभ्यता बुद्धिजन्य ज्ञान के आधार पर निर्भर है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चेतना व पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्नान ध्यान, खान-पान, वाणी संयम, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वाध्याय, सेवा, सत्य संभाषण, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम आदि गुणों पर विशेष जोर दिया गया है।

समतावाद व अपरिग्रहवाद ही आधुनिक साम्यवाद व समाजवाद के आधार हैं। सोवियत रूस का साम्यवाद, नवमतवाद और मानवतावाद ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का परिणतरूप है। रामायणकालीन रामराज्य समाजवाद का ही प्राचीनरूप था। भारतीय संस्कृति उदात्त व्यवहार की प्रतीक है। भारतीय संस्कृति सदैव से अपने उदार गुणों के कारण धर्मनिरपेक्ष रही है। बाहर से बाने वाली जातियाँ, हूण, शक, कुषाण आदि को भारतीय संस्कृति ने अपने उदार विचारों से आत्मसात कर लिया। इन जातियों ने यहाँ के धर्मों को भी अंगीकार कर लिया।

भारतीय संस्कृति प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्मानुसार चलने की स्वतंत्रता देती है।

‘स्वधर्मेनिधनं श्रेयः’ उसका सिद्धान्त रहा है। भारतीय संस्कृति ने एक हजार वर्ष तक लगातार बाहरी आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना किया और अपनी गरिमा व स्वाभिमान की रक्षा की। भारतीयों ने प्राणों की बलि देकर भी अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा की।

भारतीय संस्कृति विश्वसंस्कृति है

□ डॉ. श्याम मनोहर व्यास

स्वामी विवेकानंद ने कहा था— “यदि मनुष्य के पास संसार की प्रत्येक वस्तु है, पर मानवता व धर्म नहीं है तो क्या लाभ? हजारों वर्षों के असंख्य कष्ट और संघर्षों में यह हिन्दू जाति मिट क्यों नहीं गई? यदि हमारे आचार-विचार व मान्यताएँ खराब हैं तो हम लोग पृथ्वी पर से मिट क्यों नहीं गये? विश्व की आदि संस्कृति आर्य संस्कृति अब तक क्यों जीवित है, जबकि अन्य प्राचीन धर्म, सभ्यताएँ व संस्कृतियाँ मिट गई हैं। इसका एक ही कारण है हमारी उदार संस्कृति और राष्ट्र धर्म की भावना। भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता। यह अमर है और उस वक्त तक अमर रहेगा जब तक यह विचारधारा पृष्ठभूमि के रूप में रहेगी। भारतीय संस्कृति आदर्शों का भंडार है। भारतीय संस्कृति अध्यात्मवादी है, देहात्मवादी नहीं।

भारतीय संस्कृति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तप, ब्रह्मचर्य, सेवा, स्वाध्याय, आस्तिकता, पर्यावरण संरक्षण, अपरिग्रह तथा विश्वबंधुत्व की भावना में विश्वास रखती है। विश्व की पाँच प्राचीन संस्कृतियों (चीन, मिश्र, रोम, यूनान व भारत) में भारत की प्राचीन संस्कृति ही प्राचीनतम है। फ्रेंच विद्वान केनों ने कहा है— “विश्वभर में केवल भारत के पास ही उत्कृष्ट परम्पराएँ हैं जो सदियों तक जीवन्त रही हैं।”

पश्चिमी विद्वान डायमंड ने लिखा है— “पश्चिमी पद्धति के डिस्को डॉस करने से जीवन शक्ति का पतन होता है और भारतीय पद्धति से कीर्तन एवं योग करने से जीवनशक्ति का विकास होता है। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ होने के निम्न 7 कारण हैं— (1) भारतीय दर्शन, (2) धर्म, (3) सहिष्णुता एवं समन्वय भावना, (4) गौरवशाली इतिहास, (5) संस्कार, (6) रीति-रिवाज (लोक पर्व) तथा (7) उच्चादर्श।

विवेक और ज्ञान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। “अध्यात्म में आस्था” भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। हमारी संस्कृति मानवतावादी है।

भारतीय संस्कृति मानव धर्म प्रधान रही है। मनुस्मृति में मानवधर्म के दस लक्षण बताये गये हैं। यथा— “धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिह निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दस धर्म के लक्षण हैं।”

धर्म सच्चे अर्थों में सर्वजनहितकारी सत्प्रवृत्तियों का आदर व उनका प्रसार करना सिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने 32 प्रकार के धर्मों का उल्लेख किया है— यथा सखा धर्म, नीतिधर्म, स्वामी धर्म, सेवक धर्म, जीव धर्म, प्राण धर्म, सत्य धर्म, क्षमा धर्म, वीर धर्म, राजधर्म, सेवा धर्म और अतिथि धर्म आदि-आदि।

सच्चा धर्म साम्प्रदायिक भावना नहीं सिखाता। भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति का पर्याय है जो विश्वबंधुत्व का सन्देश देती है। आर्ष ग्रन्थों में कहा गया है—*सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः/सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागभवेत्॥*

इस श्लोक में विश्व के सब प्राणियों में समभाव से स्वस्थ एवं सुखी होने की कामना की गई है। ऋग्वेद का एक मंत्र है—

धृषता विश्वामि अतिभि प्रातः।

(2-120-7)

(अर्थात् हम धैर्य के साथ समस्त संरक्षक शक्तियों में अपना संरक्षण करें।)

विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम्।

(1-114-1)

(इस ग्राम में सब नीरोग और हृष्ट-पुष्ट हों।)

प्रकृति के साहचर्य में ही हमारी संस्कृति फली-फूली। भारतीय संस्कृति अरण्य प्रधान रही। भारतीय संस्कृति के अटूट अंग अपरिग्रहवाद, अणुव्रत, समता, स्वच्छता, अहिंसा, सेवा, क्षमा, आत्म-चिन्तन, अक्रोध सत्य, विवेक एवं स्वाध्याय जैसे गुण विश्व संस्कृति के ही पर्याय हैं।

—पूर्व शिक्षा उपनिदेशक

15, पंचवटी, उदयपुर-334001

कैशोर्य जीवन एवं संयुक्त परिवार

□ बलदेव सिंह बगड़िया

हमारी संस्कृति में बालक की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। वह परिवार में घटित होने वाले क्रिया-कलापों का अनुसरण करके सुसंस्कारित बनता है। प्रायः बालक आत्म, कुटुम्ब तथा पाठशाला के व्यवस्थापन पर अधिक निर्भर रहता है। उसे संयुक्त परिवार का परिवेश मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से 'कैशोर्य' जीवन के प्रथम चरण की सर्वश्रेष्ठ पुनरावृत्ति है। इसमें बालक की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी पारिवारिक परिवेश एवं विद्यालय परिवेश के अन्तराल को मिटाने की पैरवी की है। इसमें बालक की जिज्ञासाओं को आनन्द एवं उदारता के साथ पूरा करवाने में शिक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक एवं सहयोगी के रूप में मानी है। अतः इस संवेदनशील अवस्था में संयुक्त परिवार का सान्निध्य सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होता है—

1. मानसिक एवं बौद्धिक विकास— किशोरावस्था में मानसिक एवं बौद्धिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से एवं प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय बुद्धि विकास चरम बिन्दु पर पहुँचता है। किशोर के अमूर्त चिन्तन एवं तर्क शक्ति की योग्यता का विकास संयुक्त परिवार के माहौल में ही संभव है। कैशोर्य जीवन में अध्ययन को केन्द्रित करने की क्षमता एवं स्मृति विस्तार के लिए भी उचित अवसर की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति संयुक्त परिवार ही करता है।

2. शारीरिक विकास— किशोरावस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में आंगिक परिवर्तन आ जाते हैं। कैशोर्य एवं उसकी विलक्षणताओं को उचित ढंग से समझ कर विकसित करने में किशोर के परिवार एवं शिक्षक की अहम भूमिका होती है। बालक की किशोर कालीन प्रवृत्तियों का समुचित विकास संयुक्त परिवार में खेलने एवं व्यायाम करने की स्वतंत्रता एवं प्रोत्साहन से ही संभव है एकल परिवार में बालक के लिए ऐसे

अवसर नहीं मिल पाते जिससे वह कम्प्यूटर टी.वी. आदि से जुड़ा रहकर शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर रोगियों की कतार में शामिल हो रहा है। किशोर को माँ-बाप से दूर रहना स्वीकार है परन्तु कम्प्यूटर से आधा घण्टे दूर रहना स्वीकार नहीं है।

3. संवेगात्मक विकास— कैशोर्य जीवन में बालक अत्यन्त संवेगात्मक अवस्था में रहता है उसमें भावुकता, अस्थिरता, घबराहट भावों के उतार-चढ़ाव एवं अहं चरम सीमा पर होता है। किशोर संवेगात्मक संघर्षों के दौर में सफलता प्राप्ति के लिए परिवार के सहयोग की अपेक्षा करता है ऐसे में संयुक्त परिवार का परिवेश संवेगात्मक विकास के अनुकूल होकर उसे दिग्भ्रमित होने से बचाता है। संयुक्त परिवार के सहयोग से शिक्षक किशोर की आत्मप्रदर्शन भावना की परितुष्टि को सहजता से पूर्ण कर सकता है।

4. तर्कशक्ति एवं पठन-पाठन प्रवृत्ति का विकास— किशोरावस्था में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ जाती है। साहित्यिक और पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होने से किशोर में तर्कशक्ति का विकास होता है। वह जासूसी, रोमानी एवं काम भावना से सम्बन्धित सस्ता साहित्य पढ़ने में भी अधिक रुचि लेता है। अतः संयुक्त परिवार में उसके लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता तर्क करने एवं विविध विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। एकल परिवार में ऐसे अवसरों की संभावनाएँ न्यून रहती हैं। संयुक्त परिवार के किशोरों को अपने दृष्टिकोण के प्रदर्शन का समय विद्यालय परिवेश में भी सहजता से मिल जाता है।

5. कल्पना की बहुलता— कैशोर्य जीवन में बालक बहुत तरंगपूर्ण एवं कल्पनाशील हो जाता है। वह रंगीन दुनिया के दिवास्वप्नों की सुखद छाया में विश्राम लेना चाहता है। उसमें

दिवास्वप्नों एवं व्यर्थ के विचारों का बाहुल्य होता है। दिवास्वप्न संयुक्त परिवार में किशोर के लिए कहानी लेखन, कविता बनाने जैसे रचनात्मक कार्यों में परिणत होकर लाभदायक होते हैं। संयुक्त परिवार किशोर की परमार्थ भावना को भी माँ-बाप एवं परिवार के बुजुर्गों की सेवा में परिणत कर सकता है। एकल परिवार में किशोर एकाकीपन के कारण दिवास्वप्न मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जिससे वह अवसाद, कुण्ठा, आत्महीनता एवं चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है—वर्त के अनुसार 'सभी बालापचारी किशोर काल में दिवास्वप्न द्रष्टा होते हैं।'

6. सामाजिक विकास— कैशोर्य सामाजिक व्यवस्थापन का समय है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों के बहुत से पाठ पढ़ता है और बहुत सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है। वह सामाजिक परिस्थितियों में स्वयं को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। किशोर काल के प्रारम्भ में बालक-बालिकाओं की मित्रता तीव्र संवेगों के आधार पर होती है। उत्तर किशोर अवस्था में मित्रता का आधार व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं रुचि बन जाता है। इस काल की मित्रता में एक दूसरे के प्रति दृढ़ प्रेम एवं प्रगाढ़ भक्ति होती है। किशोर की मैत्री भावना के विकास विभिन्न अवस्थाओं को सही एवं मर्यादित दिशा संयुक्त परिवार में ही संभव है। किशोर अपने परिवार की सीमाओं में रहकर ही मित्रता एवं सामाजिक सरोकारों में भाग लेता है। संयुक्त परिवार का संस्कारित सामाजिक परिवेश किशोर की विद्यालयी शिक्षा को सुगम एवं आनन्ददायी बनाता है। एकल परिवार के कैशोर्य जीवन बंदिशों एवं मर्यादाओं का अभाव पाया जाता है जो कुसंगति का शिकार बनाता है इसके प्रभाव से किशोर घृणित कृत्यों में लिप्त होते हैं।

7. काम भावना का विकास— किशोर में काम भावना का विकास भी तीव्र गति से होता है। काम भावना का विकास स्वर्लैंगिक प्रेम, समान लिंगी प्रेम व विषमलिंगी प्रेम के रूप में तीन स्तर पर होता है। यह काम भावना उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है तथा व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। अतः किशोर-किशोरियों में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास संयुक्त परिवार के परिवेश एवं विद्यालयी परिवेश के सामंजस्य से संभव है। संयुक्त परिवार विविध अनुभवों का खजाना होता है। जिससे किशोर-किशोरियों की भ्रांतियों का निदानात्मक उपचार किया जा सकता है।

8. आत्मनिर्भरता का विकास— किशोर अवस्था में आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है। किशोर किसी नेता, ऐतिहासिक वीर एवं महापुरुष को अपना रोल मॉडल मानते हैं। संयुक्त परिवार में रोल मॉडल के चुनाव के लिए सही मार्गदर्शन मिल जाता है। विद्यालयी शिक्षक भी किशोर की रुचि के अनुसार आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकते हैं।

9. धार्मिक भावना का विकास— कैशोर्य जीवन में हृदय की सम्पूर्ण निष्ठा को किसी इष्ट के प्रति समर्पित करने की भावना विकसित होती है। यही भावना धार्मिक सिद्धान्तों को ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। इससे किशोर में धार्मिक चेतना आ जाती है और धर्म में उसकी अभिरुचि बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार का परिवेश किशोर के मन में धार्मिक भाव को पुष्ट करता है जिससे वह जीवन के बहुमुखी ज्ञान से परिचित होता है। वह परिवार के वयोवृद्ध लोगों के आचरण से नैतिक समस्याओं का समाधान पाता है।

अतः संयुक्त परिवार की गौरवमयी परम्परा किशोर-किशोरियों के समुचित विकास के लिए परम आवश्यक है। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यही संकल्प लेना है— “जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, माँगे मातृभूमि से यह वर।/तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें या न रहें॥”

—प्राध्यापक (हिन्दी)
रा.उ.मा.विद्यालय, सिंहासन (सीकर)

थियेटर इन एजुकेशन - एक नया अहसास

□ ओम जोशी

वर्तमान सामाजिक शैक्षणिक परिदृश्य में बच्चे जहाँ अपना बचपन भूल रहे हैं, युवा अपना लक्ष्य भेदने में असफल होते प्रतीत होते हैं और बुजुर्ग लोग तीव्र गति से घट रहे मानवीय मूल्यों से चिन्तित हैं। वहीं हमें अपने बचपन को पुनः स्मृति पटल पर लाने के लिए एक सफल कोशिश रही दिनांक 19 से 25 जनवरी, 2013 तक अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन राज्य संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित थियेटर इन एजुकेशन कार्यशाला।

सात दिवसीय इस कार्यशाला में सन्दर्भ व्यक्ति अभिषेक गोस्वामी एवं देवराज के निर्देशन में लगभग 40 शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने बीते बचपन में लौटने की कोशिश की। इस कार्यशाला में प्रथम दिन से ही परिचयात्मक गतिविधियाँ इस तरह से करवाई गई कि हमें एक दूसरे के नाम याद हो गए। खेल खेल में इतने क्रियाशील हम हो गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आम दैनिक जीवन में हम बच्चों की तरह वे सब गतिविधियाँ नहीं कर सकते हैं जो कि हमने इन सात दिनों में स्वयं की और सीखी। मसलन आँख बन्द करके संगीत सुनकर इतना मगन हो जाना कि उसमें बिना किसी को देखते हुए अपनी आंगिक क्रियाओं द्वारा संगीत की धुन के साथ थिरकते थिरकते खो जाना, वाकई बहुत खूबसूरत अनुभव रहा कल्पनालोक की तरह। एक गतिविधि जो स्थाई रूप से स्मृतिपटल पर है वह यह है कि अपने पैरों में तरह-तरह के रंग लगे होने का काल्पनिक अनुभव करते हुए सफेद रंग के आंगन को अपनी पगथलियों से रंग देना।

एक ऐसी काल्पनिक यात्रा 1000 किमी. की करवाई जिसमें विभिन्न प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियाँ थी। पहले समतल मैदान फिर ऊँची बर्फ की पहाड़ियाँ जहाँ का तापमान शून्य से 50 डिग्री नीचे हो और फिर पहाड़ों पर चढ़ना पूरी टीम को लेकर जिसमें दो माह के काल्पनिक बच्चे से 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति और महिलाएँ भी शामिल थीं। एक गाँव जिसको माइग्रेट कर 1000 किलोमीटर दूर जाना था और वह भी आपस में बात किए बिना स्लो मोशन में। बर्फीली

पहाड़ियों से उतरने के बाद तपता रेगिस्तान और गर्म-गर्म रेत के टीबे उन पर चलना। उसके बाद नदी को पार करना, वहाँ पर मात्र एक ही नाव रखी थी जिसमें अधिकतम तीन सवारियाँ ही बैठ सकती थी। नदी के बाद कीचड़, दलदल और फिर घना जंगल जहाँ जंगली जानवरों का डर। इस यात्रा में मुझे लीडर का रोल मिला था जिसको कि सबको सुरक्षित यात्रा कर मंजिल पर सफुल पहुँचाने की जिम्मेदारी थी।

इस तरह विभिन्न गतिविधियाँ जो कि मुख्यतः कल्पना और सृजनशीलता पर आधारित थीं। दो युगल जोड़ी का एक दूसरे का रोल करके आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत करने का अनुभव भी अद्भुत रहा। बच्चों के पारम्परिक खेलों को हमने बच्चे बनकर खेलें जिसमें सतोलिया, लुकाछिपी, मारदड़ी, राउण्डर, नीर-तीर, नेता नेता चाल बता आदि। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे 30 वर्ष पूर्व हम सब फ्लैश बैक में चले गए हों।

दरअसल इस कार्यशाला थियेटर इन एजुकेशन में बाल केन्द्रित गतिविधियाँ इसलिए करवाई गई कि जब तक हम स्वयं बच्चे बनकर अपना बचपन अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम नये बच्चों के साथ सृजनात्मक काम कैसे कर सकते हैं। इतने सारे इम्प्रोवाइजेशन करवाए गए कि फिर से 20 वर्ष पुराने अल्पावधि नाट्य प्रशिक्षण शिविर, ग्रीष्मकालीन नाट्य प्रशिक्षण शिविर और रंगचेतना शिविर याद आ गए। इस तरह की कार्यशालाएँ हालांकि मैंने पूर्व में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जवाहर कला केन्द्र, सी.सी.आर.टी., राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आदि के माध्यम से की हैं लेकिन इस बार जितना नया अनुभव हुआ इतना पूर्व में नहीं हुआ। अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन का यह एक सराहनीय प्रयास था जो कि बच्चों का बचपन खोलकर उन्हें इतना मुखरित कर देना कि वे बच्चे शिक्षण को ठीक तरह से कक्षा-कक्षा में समझ सकें और शिक्षण कार्य में सक्रिय सहभागिता ले सकें।

—वरिष्ठ अध्यापक
एमबीसी रा.उ.मा.वि., गाँधी चौक, बाड़मेर

नवीन प्रशासनिक भवन का शिलान्यास

□ सांग सिंह इन्दा

उन्तीस मार्च 2013 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उत्साह का माहौल, गाड़ियों की रेलमपेल, सर्वत्र हर्ष व उमंगयुक्त वातावरण शुभ समारोह का सूचक। सभी कार्मिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने में व्यस्त। ठीक 11.00 बजे समारोह के मुख्य अतिथि मानवीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा व उनके साथ ही राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला पधारे। निदेशालय पहुँचने पर अतिथिगण का भावभीना स्वागत किया गया।

अनन्तर सभी अतिथिगण निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवन के शिलान्यास स्थल पर पहुँचे। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला ने अन्य विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में यज्ञ व वैदिक मन्त्रोच्चार के साथ नए भवन की नींव रखी। यज्ञ व वैदिक मन्त्रोच्चार से वातावरण बड़ा ही सुरम्य व आध्यात्मिक बन गया। लगातार करतल ध्वनि के बीच मुख्य अतिथि व अध्यक्ष महोदय ने शिलापट्ट का अनावरण किया।

इस प्रकार छः करोड़ रुपये की लागत से 10 माह की अवधि में बनकर यह प्रशासनिक भवन तैयार होगा। कुल 33105.93 वर्गफिट के विशाल क्षेत्र में बनने वाला यह तीन मंजिला भवन, जिसकी प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल 11035.31 वर्गफिट है। अनन्तर खचाखच भरे पाण्डाल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंत्री महोदय ने अपने विभाग के कार्यों का उल्लेख करते हुए इस वर्ष होने वाली नई भर्तियों के बारे में बताते हुए कहा कि 4700 व्याख्याता, दस हजार वरिष्ठ अध्यापक, बीस हजार तृतीय श्रेणी अध्यापक, पाँच हजार शारीरिक शिक्षक, सात हजार से अधिक कनिष्ठ लिपिक व इतने ही सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह आँकड़ा पचास हजार से ऊपर

बैठता है।

शिक्षामंत्री महोदय ने बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2113 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं व 240 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। जल्दी दो हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार 1500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। एक हजार एक सौ माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। इस वर्ष 414 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय, 289 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा इसके अलावा 232 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले गए हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि संस्कृत शिक्षा के अनेक नये विद्यालय खोले गए हैं और काफी बड़ी संख्या में संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि राजीव गाँधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत दसवीं व बारहवीं की दस हजारवीं रैंक तथा प्रत्येक विद्यालय से कक्षा आठवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को लेपटॉप दिए जाएँगे। साढ़े तीन लाख छात्रों व छात्राओं को आकाश टेबलेट पीसी दिए जाएँगे। ये टेबलेट पीसी सरकारी विद्यालयों की आठवीं कक्षा में दूसरी रैंक से ग्यारहवीं रैंक प्राप्त करने वाले समस्त छात्रों व छात्राओं को दिए जाएँगे। मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा में नवाचार कर प्रदेश में शैक्षिक नवाचार के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का विकास करते हुए नये आयाम स्थापित किए गए हैं।

शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए

प्रयासों की सराहना करते हुए शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यालयों में प्रि-नर्सरी कक्षाएँ शुरू करवाने का आग्रह करते हुए विश्वास जताया कि शिक्षामंत्री उनके आग्रह पर अवश्य ध्यान देंगे, जिससे नौनिहालों का सर्वांगीण विकास हो सके।

आगन्तुक महानुभावों का स्वागत करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने विभागीय उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा कि विभाग में अल्पावधि में 1370 डीपीसी करवाकर 35147 कार्मिकों व अधिकारियों को पदोन्नति के माध्यम से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रविकुमार सुरपुर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने 29 मार्च 2013 को शिक्षा विभाग के लिए वास्तव में गुड फ्राइडे बताया। यह उल्लेखनीय है कि शिलान्यास दिवस 29 मार्च 2013 को गुड फ्राइडे था।

इस अवसर पर शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष राजेश व्यास ने बीकानेर के लिए सम्भाग स्तर पर अलग से शिक्षा उपनिदेशक का कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया। कर्मचारी नेता सुरेश व्यास ने निदेशालय स्तर पर कार्य की अधिकता को देखते हुए मानव संसाधन में वृद्धि करने की माँग की। वरिष्ठ लिपिक एवं व्यंग्य चित्रकार अनूप गोस्वामी ने मंत्री महोदय को उनका कैरीकेचर भेंट किया। समारोह के अन्त में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक श्री प्रेमसुख विशनोई ने आगन्तुक महानुभावों का आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन कर्मचारी नेता अविनाश व्यास ने किया।

—सहायक निदेशक
शिविरा प्रकाशन

राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ : संक्षिप्त परिचय

□ दीनदयाल शर्मा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर समूचे सारस्वत प्रदेश में ब्रह्मवर्त में बहने वाली वैदिक नदी, सरस्वती का बहाव क्षेत्र रहे हनुमानगढ़ जिले का इतिहास आठ हजार वर्ष से भी पुराना है। हनुमानगढ़ के सिलसिलेवार लिखित इतिहास के अभाव में यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है इसकी स्थापना कब हुई। 'सोलहवीं सदी में राजस्थान' के लेखक मनोहरसिंह राणावत ने मुंशी देवी प्रसाद के हवाले से लिखा है कि दशरथ पुत्र भरत ने भटनेर बसाकर यहाँ किला बनवाया और शहर का नाम भरतनेर रखा जो कालांतर में भटनेर हो गया।

सन् 1801 में बीकानेर के राजा सूरतसिंह ने भटनेर पर कब्जा किया परन्तु 1804 में भाटियों ने यह किला बीकानेर राजा से पुनः छीन लिया और क्षेत्र में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर महाराजा सूरतसिंह ने मिर्सर बदी दूज संवत् 1862 से बैसाख बदी चौथ संवत् 1862 तक किले को घेरे रखा तथा बैसाख बदी चौथ संवत् 1862 (ई.स. 1805) को भटनेर किले पर फतह हासिल कर ली। उस दिन मंगलवार था। महाराज सूरतसिंह ने किले के भीतर हनुमान जी का मंदिर बनवाया तथा भटनेर का नाम बदलकर हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया।

वर्तमान हनुमानगढ़ जिला पूर्व में श्रीगंगानगर जिले का एक उपखण्ड था। प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री बलिराम भगत के कर कमलों से 12 जुलाई 1994 को उद्घाटित होकर प्रदेश के 31वें जिले के रूप में प्रकाश में आया।

भौगोलिक स्थिति : हनुमानगढ़ जिला 29.5 डिग्री से 30.6 डिग्री अक्षांश उत्तर तथा देशान्तर 74.39 डिग्री से 75.30 डिग्री पूर्व मध्य में एवं समुद्र तल से 183.793 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। जिले के पूर्व-पश्चिम में

शस्य श्यामला भूमि है तो उत्तर-पूर्व का कुछ हिस्सा तथा पूर्व-दक्षिण का हिस्सा थार मरुस्थल के धोरों से आच्छादित है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 18 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुँच जाता है। सर्दियों में तापमान जमाव बिन्दु तक चला जाता है। जिले की औसत वर्षा 25.37 सेंटीमीटर है। हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर है। जिले से पंजाब व हरियाणा राज्यों तथा श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू जिलों की सीमाएँ लगती हैं।

भगवान श्रीकृष्ण, श्रीराम व उनकी सेनाओं के पाँव यहाँ पड़े थे। महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को जाती सेनाएँ यहाँ से गुजरी थीं। पड़ाव भी हुए होंगे उनके? मौहम्मद गौरी, तैमूर, गजनी, गोगा जी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाबर, अकबर, औरंगजेब, शेर खां, महमूद लोदी, चंगेज खाँ और अहमदशाह अब्दाली से लेकर महाराजा गंगासिंह के कदमों, उनकी सेनाओं, घोड़ों, हाथियों और ऊँटों के पांव, तीर-तरकश और मुगलिया तोपों का बारूद तथा अंग्रेजों का जुल्मो-सितम सब कुछ देखा हनुमानगढ़ के इस भटनेर दुर्ग ने। गुरुनानक की वाणियाँ, गुरु गोविन्द सिंह का शौर्य, मस्सा रंगड़ का सिर काट लेने भाई, सुज्जा सिंह-महताब सिंह को भूलकर भी नहीं भुला पाता यह शहर। उनकी वीरता की कहानियाँ बताते हैं यहाँ बने भव्य गुरुद्वारे। कभी सारस्वत प्रदेश सारस्वत ब्राह्मणों का बाटधान, लोहगढ़, भटनेर व तबरहिंद व सादुलगढ़ के नाम से पुकारा जाने वाला ये शहर अपना नाम हनुमानगढ़ धरवा कर ठेठ रेगिस्तान हो चले अपने दामन पर नहरों की हलचल पाकर सरज्ज होने लगा। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र कृषि को नए आयाम देने लगे तो शहर ने वैभव बटोरना आरम्भ कर दिया। कभी किले के भीतर रहने वाला यह शहर सरस्वती (घग्घर) नदी के दोनों ओर विस्तार खाने लगा। कॉलोनी-दर-कॉलोनी, सैक्टर-दर-सैक्टर,

आबादी-दर-आबादी तथा आजादी के बाद तहसील, मुख्यालय, पंचायत समिति, उपखंड एवं अतिरिक्त जिला मुख्यालय जैसे विशेषणों से नवाजे जा चुकने के बाद 12 जुलाई 1994 से जिला मुख्यालय का दर्जा पा गया और यँ आज यह राज्य का कृषि प्रधान सिरमौर जिला कहलाने लगा।

हनुमानगढ़ के इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, बलिदान, अपहरण, घोड़ों व साकों के किस्से भरे पड़े हैं। सभी लोग अपने-अपने धर्मों, मतों के साथ-साथ अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं। तभी तो यहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मजारों एवं पीरखानों की भरमार नजर आती है और नजर आती है इनको मानने वालों की सांझी भीड़। शिलापीर के यहाँ तो केवल मानव की मान्यता है धर्म की नहीं। टाउन के सरपालार जोहड़ के किनारे बनी इस स्थली को हिन्दू-सिक्ख शिलामाता और मुस्लिम शिलापीर कहते हैं। मगर प्रत्येक शुक्ल पक्ष के हर गुरुवार को यहाँ सभी धर्मों के लोग एकत्र होकर मन्तें माँगते हैं।

ऐसी गंगा-जमुनी संस्कृति और कहीं नजर नहीं आती। यही कारण है कि सभी लोग मिल-बैठकर अपने मसले हल करते हैं। आजादी का आंदोलन हो या किसान आंदोलन।

अकबर से लेकर महाराजा गंगासिंह तक के आशीर्वाद देने वाली रणचण्डी माँ महाकाली का मंदिर अपनी विशिष्टता के कारण पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष में दो बार मेला लगता है। नवरात्रा के यहाँ जुटी भीड़ में आप हिन्दू-मुस्लिम एवं सिक्खों को समान रूप से देख सकते हैं।

गरीब को भोजन बाँटना, प्यासों को पानी पिलाना, फौज की सेवा करना, पीड़ित क्षेत्रों को अन्न भेजना, राहत सामग्री संग्रहित करना व भेजना, विद्यालयों का विकास, कर्मशालाओं, प्याऊ का निर्माण, औषधालय बनाना, शिक्षा

के लिए विद्यालय, महाविद्यालय खोलना यहाँ के लोगों की मुख्य रुचियाँ हैं। जागरण, जगराता, राति जोगा, जुझमा, प्रभात फेरी, पैदल यात्राएँ, पैदल यात्रियों की सेवा-सुश्रुषा, भंडारा, लंगर, छबील लगाना, यहाँ के नागरिकों की आस्थाएँ हैं।

यह शहर देशभर की हर धड़कन पर धड़कता है, हर रोमांच पर रोमांचित होता है और देश के हर दुःख के साथ यकसां दुखी होता है तभी कोहला से लेकर चिस्तिरियाँ तक, सतीपुरा के रामसरा तक, गुरुसर से लेकर मक्कासर तक एक-सी खुशबू महकती है। एक सा राग गूँजता है कि दिलदारों का शहर है ये।

हनुमानगढ़ जिले के दर्शनीय स्थल : हनुमानगढ़ मूलतः कृषि प्रधान जिला है। यहाँ कपास, गेहूँ, चना, चावल, सब्जियों की फसलें तथा जिप्सम के असीम भंडार हैं। कृषि के साथ-साथ यहाँ प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान-पतन के दृश्य भी मौजूद हैं। सौ से अधिक पुरातिहासिक थेहड़ इसके दामन में प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष संजोये हैं। यहाँ की गंगा-जमुनी संस्कृति जाति-धर्म एवं सम्प्रदाय में समरसता रखती है। इस संस्कृति के प्रतीक स्थल तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल दर्शनीय है।

कालीबंगा : जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर इस गाँव के थेहड़ की खुदाई 1961 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता श्री बी.बी. लाल के निर्देशन में सर्व श्री बी.के. थापर, एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव तथा एस.पी. जैन आदि के सहयोग से कई चरणों में हुई। वैदिक सरस्वती नदी (घग्घर) के किनारे यह दो थेहड़ 12 मीटर ऊँचे तथा आधा किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे। विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं के अवशेषों की भाँति यहाँ भी अति प्राचीन सभ्य बस्ती के अवशेष मिले हैं। यहाँ खुदाई में अतिव्यवस्थित नगर के अवशेष सामने आए हैं जो योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ है। 30 सेमी. गुणा 15 सेमी. गुणा 8 सेमी. आकार की पक्की ईंटों से मकान बने हुए हैं। मकानों के फर्श पक्के व

कलात्मक हैं। गंदे पानी की निकासी हेतु पक्की नालियाँ, स्नानागार, देवालय, कुआँ, मृदभांड, मणके, हार, खिलौने, मूर्तियाँ व मोहरों के अवशेष मिले हैं। खुदाई में प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है कि यह मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। मूर्तियों, मृदभांडों व मोहरों पर लिखी ब्राह्मी लिपि को सैन्धव लिपि बताया गया जो आज भी अपठनीय है।

गोगामेड़ी : यह स्थान जिला मुख्यालय से 115 किमी. दूर है। यहाँ लोक देवता गोगा वीर की समाधि है जहाँ प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ला 15 से भाद्रपद शुक्ला 15 तक विशाल मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात व बिहार के लाखों लोग एक ही दिन में धोक लगाते हैं। वहाँ हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख जात-पाँत व धर्म को भूलकर आते हैं। हिन्दू-सिक्ख इन्हें 'गोगावीर' कहते हैं तो मुसलमान 'गोगापीर' व 'जाहरपीर' के नाम से पूजते हैं। गोगा जी चौहान वंश के राजपूत थे। चूरू जिले के ददरेवा के शासक गोगा जी के पिता का नाम झाँवर व माता का नाम बाँछल था। आप गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ की धूणी यानी गोरख टीला भी यहाँ स्थित है। जनश्रुतियों के अनुसार आप महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए जुझार हुए थे। साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक गोगामेड़ी मेला विश्व-विख्यात है।

भटनेर किला : हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय पर स्थित टाउन में यह किला देश के प्राचीनतम किलों में अपना अग्रणी स्थान रखता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्रीराम के भाई भरत ने इसे बनवाया था। परन्तु ज्ञात इतिहास के अनुसार शालीवाहन के शासक राजा अभय राव भाटी ने इसे 12वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया। इतिहासकारों के अनुसार पश्चिमी भारत की ओर से दिल्ली पर आक्रमण करने वाले विदेशी हमलावरों महमूद गजनवी, मौहम्मद गौरी, अहमदशाह अब्दाली, नादिरशाह, चंगेज खाँ व बाबर ने इस पर आक्रमण किए वहीं विश्व विजेता सिकन्दर की

सेना ने भी इसे अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास किए।

यह किला 52 बीघा भूमि पर बना हुआ है। जिसकी दीवारें 90 डिग्री के कोण के प्रारूप में बनाई गई हैं। इस पर 52 बुर्ज और 6 हजार 38 कंगूरे बने हुए हैं। प्रत्येक बुर्ज में एक कुआँ भी हुआ करता था— इसके अलावा भटिण्डा, सिरसा व हिसार को जाती सुरंगें भी थीं जो आजकल दृष्टिगोचर नहीं होती। किले के अन्दर हनुमानजी, करणी माताजी, शिवजी, ठाकुरजी व जैन मंदिर के अलावा मकबरे व सतियों की देवलियाँ हैं। मध्यकाल में इस किले पर भाटी राजवंश का शासन था।

अन्य किले : भटनेर के किले के अलावा हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा, गंधेली, जसाना, भूकरका, अजीतपुरा, फतेहगढ़ के छोटे किले व रावत राजवंशियों के बसाए रावतसर कस्बे के किले भी दर्शनीय हैं। जसाना की छतरियाँ भी अवलोकनीय हैं।

शिला माता : हनुमानगढ़ टाउन के बस स्टैण्ड के निकट साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रतीक शिला माता का मंदिर है। यहाँ प्रत्येक शुक्ल पक्ष के गुरुवार को मेला लगता है। एक ही दिन में हजारों लोग जिनमें हिन्दू, मुस्लिम व सिक्ख शामिल होते हैं, श्रद्धा से धोक लगाते हैं। मान्यता है कि शिला माता को दूध व नमक से स्नान कराने व गुरुवार (शुक्ल पक्षीय) को फेरी लगाने से खुजली, कोढ़ व मस्से ठीक हो जाते हैं। हिन्दू-सिक्ख इन्हें शिला माता व मुस्लिम भाई शिलापीर के नाम से पुकारते हैं। पूरे भारत के अलावा यहाँ पाकिस्तान से भी श्रद्धालु मन्त माँगने आते हैं।

भद्रकाली मंदिर : जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में हर वर्ष चैत सुदी अष्टमी एवं नवमी को विशाल मेला लगता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जनश्रुति के अनुसार सम्राट अकबर भी यहाँ माँ से आशीर्वाद माँगने व छज़र चढ़ाने के लिए आया था। बीकानेर रियासत के राजवंशी यहाँ माताजी को धोक लगाने आते हैं। इसे जिला प्रशासन पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रहा है।

इच्छापूर्ण हनुमानजी : हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन के ठीक बीच में सरस्वती नदी के तट पर जंक्शन की ओर मुख्य सड़क पर स्थित यह मंदिर जनश्रद्धा का केन्द्र है। यहाँ पर प्रति मंगलवार, शनिवार व पूर्णिमा को मेला लगता है। टाउन व जंक्शन के श्रद्धालुओं के अलावा दूरदराज से भी श्रद्धालु मन्नत माँगने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर हनुमानजी के समक्ष जो इच्छा रखते हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होती है।

भट्टेवाला पीर : जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित पीलीबंगा तहसील पर स्थित भट्टे वाले पीर बाबा की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है। हर बृहस्पतिवार को लोग पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने व मन्नत माँगने आते हैं। भट्टे की खुदाई के वक्त निकली इस मजार से अचानक आवाज आई थी कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। तब से इस जगह पर हिन्दुओं ने लाखों रुपये खर्च कर विशाल पीरखाना स्थापित किया। यहाँ हर गुरुवार को मेला लगता है। कहते हैं कि यहाँ माँगी गई हर मुराद पूरी होती है।

अन्य : उक्त दर्शनीय स्थलों के अलावा घग्घर नदी इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का हीरो हैड यानी मसीतां वाली, पल्लू का ब्रह्माणी मंदिर (अन्तिम आवरण देखें), नोहर का कबूतर साहब गुरुद्वारा, भभूता सिद्ध मन्दिर, हनुमानगढ़, जंक्शन के दुर्गा मन्दिर, रामदेव मन्दिर, मस्जिद, झूलेलाल मंदिर, शनि मंदिर, पीरखाना, सैक्टर 12 व पुराने भट्टे का हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर तथा गुरुद्वारा, गाँधीनगर की भव्य कल्याण भूमि, टाउन के मावड़ियां जी मंदिर, महावीर दल मंदिर, टाउन धान मंडी मंदिर, टाउन की मस्जिदें, रोड़ावाली, भादरा, नोहर व लज्जुवाली की भव्य मस्जिदें, नोहर का श्याम मंदिर, सूर्य मंदिर, नवां का पंचमुखी हनुमान मंदिर, रावतसर, संगरिया व कालीबंगा के संग्रहालय, टाउन का मुख्य गुरुद्वारा व भाई सुखसिंह-महताब सिंह गुरुद्वारा तथा रंगमहल, बड़ोपल, पल्लू, केसर देसर के थेहड़, थेहड़ी का नाथ सम्प्रदाय का नेत्र चिकित्सालय भी महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं।

-10/22, आर.एच.बी. कॉलोनी,
हनुमानगढ़ जं. 335512

शिक्षक की जिम्मेदारी

□ शंभूलाल अग्रवाल

शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षक राष्ट्रनिर्माता है तो विद्यार्थी राष्ट्र का भावी कर्णधार। शिक्षक को राष्ट्रनिर्माता की राष्ट्र ने जो पदवी दी है वह यदि सोचे तो उसके लिए एक चुनौती है। चुनौती इस मायने में कि वह इस पदवी के योग्य है या नहीं। यदि शिक्षक इस पदवी के अनुरूप नहीं उतरता तो वह समाज एवं राष्ट्र के विश्वास को ठेस पहुँचाता है। ऐसी गुरुतर एवं सम्मानजनक पदवी मिलने पर यदि शिक्षक उसके योग्य नहीं है तो उसे योग्य बनने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। राष्ट्र निर्माता के रूप में उसका कार्य है कि वह राष्ट्र के भावी कर्णधार-विद्यार्थी-जिन्हें उसे सौंपा है, उन्हें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त सच्चा राष्ट्र का कर्णधार बनाए। इसके लिए स्वयं शिक्षक को अपने आचरण को अच्छा बनाते हुए उन्हें अच्छे गुण देने होंगे। कथनी की अपेक्षा आचरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यदि एक शिक्षक विद्यार्थी को शराब नहीं पीने का उपदेश देता है तो जरूरी है कि वह स्वयं शराब नहीं पीए।

आजादी के पहले का जमाना और था, जब लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम कूट-कूट कर भरा था। देशवासी देश के लिए त्याग एवं बलिदान के लिए सदा तत्पर रहते थे। हमारे देश में भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, पं. रामप्रसाद बिसमिल, गाँधी, लाला लाजपत राय आदि जैसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को हँसते-हँसते न्यौछावर कर दिया था। आज जमाना उल्टा हो गया है। आज देश के तथाकथिक रक्षक ही भक्षक बनकर देश को लूटने में लगे हुए हैं। आज लोगों को देश की चिन्ता कम, अपनी चिन्ता ज्यादा है। यही कारण देश में भ्रष्टाचार सभी हदों को पार कर गया है। भ्रष्टाचार के कारण देश में महँगाई बढ़ रही है, विकास रुक रहा है और देश दुनिया में बदनाम हो रहा है। ऐसी स्थिति में देश

को उबारने में राष्ट्र निर्माता शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

शिक्षक को सम्मान देने के लिए हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन योग्य और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्र, राज्य, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर प्रशंसा तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाता है। शिक्षकों को दिया जाने वाला इस प्रकार का सम्मान उनकी जिम्मेदारी बढ़ाता है, कम नहीं करता। सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर व्यक्ति को फूलकर कुप्पा होने के स्थान पर आत्मनिरीक्षण कर यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो सम्मान उसे दिया गया है वह उसके योग्य है या नहीं। यदि वह अपने आप को उस सम्मान के योग्य नहीं पाता है तो उसे उसके योग्य बनने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

सामाजिक बुराइयों से स्थायी छुटकारा पाने के लिए लोगों में यह आत्मबोध पैदा करना जरूरी है कि वह सोचे कि जो काम वह कर रहा है वह सही नहीं है, गलत है, और उसे छोड़ दे। और आत्मबोध का गुण व्यक्ति में अच्छे नागरिक गुणों से पैदा हो सकता है। विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक गुण नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति आदि शिक्षक अपने अच्छे आचरण से पैदा कर सकता है। जो कार्य जन लोकपाल कानून द्वारा नहीं होगा वह कार्य अच्छे शिक्षक द्वारा अच्छे गुणों से युक्त विद्यार्थी तैयार करके किया जा सकेगा। ऐसे अच्छे गुणों वाले विद्यार्थी जब राष्ट्र के भावी कर्णधार बनेंगे तो देश का हित ही होगा। अतः आज देश भर में जो शिक्षक हैं, वे देश को बचाने के लिए अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए एक अच्छा काम देश के अच्छे और सच्चे कर्णधार बनाने का जरूर करें।

—सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य
स्कूल शिक्षा, आबूरोड

पुस्तक चर्चा

अवधू, अर्थ उधारा

□ अन्नाराम सुदामा

(मूलतः शिक्षक श्री अन्नाराम सुदामा का नाम साहित्य जगत में सुग्राह्य है। आपकी हिन्दी व राजस्थानी में लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मीरा पुरस्कार, सूर्यमल्ल मिस्सण पुरस्कार, केन्द्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक शीर्ष पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है।)



आशुतोष प्रकाशन,
गांधी प्याठ के पीछे,
गंगाशहर, बीकानेर-334001;
संस्करण : 2012;
पृष्ठ संख्या : 136;
मूल्य : 200 रुपये।

शुद्ध सात्विक भावों व सच्चिन्तन की निर्मल व अखूट हिमराशि से आच्छादित, अडिग निर्मलान्तःकरण रूप हिमालय से निःसृत होने वाली स्वान्तः सुखाय की कल्लोलिनी पाठकों के विशाल भूभाग में प्रसृत होकर जगद्धिताय का रूप ले लेती है, यही है सरस सबल काव्यनिर्झरिणी किं वा सारस्वती सृष्टि की प्रक्रिया। कहा गया है कि काव्य (कविता) व कामिनी की रसोत्पादकता इसी में है कि वह स्वप्रेरित होकर बाहें पसारकर प्रकट हों, किन्तु कामिनीरस रस है कि रसाभास है? अथवा कुछ अन्य ही? इस तत्त्व को उधारने का काम काव्य करता है। संसार रूप कामिनी या वधू का असल अर्थ अवधू ही उधारता है। यही सब घटित हुआ सहस्रवर्षों पूर्व, जो आज भी जनमानस में नवीन की भाँति रचा बसा हुआ है, जिसे 'भर्तृ-पिङ्गला-आख्यान' कहते हैं। इस आख्यान का वृक्ष, बीजरूप में इस पंक्ति में निबद्ध है—
“धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च।”

नारिकेल समान कोमल निर्मल हृदय काव्यकृदग्रगण्य हिन्दी व राजस्थानी में समान रूपेण अव्याहत गति से लेखनकर्मरत लब्धप्रतिष्ठ श्रीकृष्णोक्तनीतियों के रत्नों से आदृत फिर भी चरित्रेण सुदामा श्री अन्नाराम सुदामा का नवीन काव्य 'अवधू', 'अर्थ उधारा', अभी अभी 2012 में प्रकाशित होकर पाठकों के सम्मुख आया है, इसका कथानक भर्तृहरि, पिङ्गला व योगिराज गोरखनाथ रूप त्रिबिन्दुजन्य त्रिभुजात्मक आख्यान है, जो अन्त में गोरख व भर्तृरूप दो बिन्दुओं को मिलाती हुई सरल रेखा में बदल जाता है। यह गुरु की गरिमा ही है इसमें भी मुख्य बिन्दु भर्तृ ही रह जाता है, वह अमर योगी

में परिणत हो जाता है, भारतीय जनमानस के आकाश का ध्रुव बन जाता है।

इस काव्य (लम्बी व छन्दोमुक्त कविता) का शीर्षक है— 'अवधू, अर्थ उधारा'। इस शीर्षक के मूल में लेखक का जो मन्तव्य रहा हो, वह तो मुख्य व सर्वस्वीकार्य है ही। मुझे इसकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार से संगत होती हुई प्रतीत हो रही है।

प्रथम— भर्तृ अपने राज्य, समृद्धि व भोग को जो महत्त्व दे रहा था, जैसा समझ रहा था, वह वैसा था नहीं, रहने वाला नहीं, रहेगा नहीं, इस सच्चाई रूप अर्थ को अवधू यानी अवधूत गोरखनाथ ने उधारा अर्थात् प्रकट किया।
द्वितीय— अवधू: न अस्ति वधू: कामसामग्री अस्य असौ अवधू: गोरक्षनाथ:। अर्थात् संसार रूप कामादि जिसके लिए महत्त्वहीन है अथवा जिसके पत्नी नहीं है, ऐसा अवधू गोरखनाथ। उस अवधू ने भर्तृ की वधू का चरित्ररूप अर्थ उधारा = प्रकट किया। पिङ्गला की सच्चाई को सामने लाना ही अर्थ उधारना है।
तृतीय— भाषा शास्त्रीय विश्लेषण में नञ् के छः अर्थ परिलक्षित होते हैं— (i) तत्सादृश्य, (ii) तदभाव, (iii) तद्भिन्न, (iv) तदल्पता, (v) अप्राशस्त्य, (vi) विरोध।

यहाँ अवधू का विग्रह न अप्रशस्ता वधू: इति अवधू: ऐसा भी किया जा सकता है अर्थात् अप्रशस्त वधू (निन्द्यवधू) पिङ्गला में ही अपने चरित्र से संसार की वास्तविकता रूप अर्थ को उधारा। उसी के द्वारा अन्यथाप्रयुक्त अमरफल पुनः राजा तक पहुँचता है, और राजा को वह सब कुछ ज्ञात हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, भर्तृ की आँखें खुल जाती हैं, यही अप्रशस्तवधू के द्वारा

अर्थ (सच्चाई) उधारना है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कवि विषयवस्तु के उपस्थापन में सिद्धहस्त हैं। मालाकार मगधू की बीसवर्षीय सिद्धयोगा बेटी सुलोचना को सर्वप्रथम कथानकमुख पर उपस्थित करवाकर, उसके ज्ञानोपदेश व निर्भीकता के द्वारा मगधू के मन में संसारकल्याण की भावना व वास्तविक योगी की प्राप्ति की चाहना उत्पन्न कर, विभिन्न साम्प्रदायिक तथाकथित साधुओं, मठाधीशों की छद्म करतूतों के वर्णन ब्याज से उनकी ढोंगी प्रवृत्ति, विलासिता व अननुसरणीयता का सन्देश देकर खेत व गाय को सच्चा योगी बताते हुए, वीतरागभयक्रोध तपोमूर्ति गोरखनाथ के दर्शन करवाकर असल कथानक का प्रारम्भ करना पाठक को चमत्कृत किये बिना नहीं रहता। असल कथानक से पूर्व समाज की विडम्बनाओं, पथभ्रष्टता, अज्ञान निमग्नता आदि पर सतर्क सबलप्रहार करने की चेष्टा की गई है। यही है काव्य के शिवेतरक्षतिरूप प्रयोजन की ओर पाठक को उन्मुख करना। जो अभी अविवाहिता है अतः वधू नहीं है, ऐसी उस अवधू सुलोचना के द्वारा असल अर्थ उधारना भी काव्य में अवान्तर काव्यता है।

योगी गोरख द्वारा मगधू के अन्तर्द्वन्द्वात्मक जालों को काटकर जगत् के कल्याणार्थ भोगी राजा को योगी बनाने की नींव रखने हेतु अमरफल का मगधू के हाथ राजा के लिए भिजवाना, राजा के द्वारा रानी को फल देना तथा उसी फल का घूमकर वेश्या के हाथों पुनः राजा के सम्मुख आना, राजा का अप्रत्याशित घटनाओं से व्यथित व उद्विग्न होना, किसी नगरजन से गोरखनाथ के शिप्रावन में तपोरत होने की सूचना प्राप्त कर उसकी

शरण में जाना तथा भोगी से योगी बनने के बारहवर्षीय अन्तराल में सहज मानवीय वेगोद्वेगों का सटीक प्रस्तुतीकरण, अन्त में शिष्य की आत्मैक्यानुभूति की सिंहादिहिंस्र पशुओं के उपस्थापन से परीक्षा करना तथा सर्वान्त में महापरीक्षा के रूप में सहमुक्त व सहसुप्त पिङ्गला से ही भिक्षा मँगवाने का उपक्रम करना, वहाँ प्रतिकूल व उद्दीपनविभावों के बावजूद राजा का महापरीक्षा में सफल होना और अन्त में भर्तृ के द्वारा शतकत्रय लिखवाते हुए कथानक का समापन, एक सफल व सौदेश्यक कवि का प्रमाणीकरण है।

कवि की भावना भ्रष्टाचार व अत्याचार, शोषण, धार्मिक उन्माद से संरस्त जनसामान्य के साथ खड़ी नजर आती है, उसे वे अपनी विशिष्ट शैली से अभिव्यक्त करते हैं, एतदर्थ भाषा उनकी यथाप्रसिद्धि ही है। चूँकि कवि मूलतः राजस्थानी है, ग्राम्य परिवेश से जुड़े हुए रहे हैं, ग्राम्य परिस्थितियों को स्वयं जीया है अथवा अत्यधिक समीप से अनुभव किया है, अतः उनकी भाषा में वह सब कुछ दर्पण की भाँति झलकता है। इनकी भाषा में ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हिन्दीकाव्य में भी निषिद्धता की बाधा को नहीं देखता। कोड (हर्ष), नारली, पाघड़ी, घोटै घोटै नादियों आदि शब्दप्रयोगों को इस दिशा में प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा सकता है।

सुदामा जी की भाषा सहज व प्रवाहमयी है यद्यपि कर्तृकर्मोदि पदों का व्यत्यय जरूर देखने को मिलेगा, फिर भी वह काव्य के मूल उद्देश्य व रसानुभूति में बाधा खड़ी नहीं करता है, वस्तुतः इस कवि की भाषा की यह अपनी विशिष्टता है, पहचान बन गई है। सहज में ही यथाप्रसंग यथापेक्षित काव्योत्कर्षता के जनक अलंकार इनकी भाषा में खचित हो जाते हैं। उपमामूलक अलंकारों के तो कवि सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं, इनमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, अतिशयोक्ति आदि प्रमुख हैं। रूपक पदे पदे मिल जाते हैं, अन्य अलंकारों के भी सुन्दर प्रयोग देखने को इस काव्य में मिल रहे हैं। लोकोक्तियों, मुहावरों का अपने भाषायी सांचे में प्रयोग करने में सुदामा जी विशेष दक्ष हैं। जगह जगह शास्त्रीय सदुपदेशों की छाप स्पष्टतः दृष्टिगत होती है। इस काव्य में आपके बहुविषयक ज्ञान की पुष्टि होती है, कहीं कहीं भाषा में इतना दार्शनिक तत्त्व भर देते हैं कि पाठक भावविभोर हो जाता है।

पुस्तक के मुखपृष्ठ पर अंकित भर्तृ के संस्कृत पद्य का यह चरण 'धिक तां च मां च' की भावाभिव्यक्ति पुस्तक के पृष्ठ 76 पर देखिए— 'है मूल में धिक्कार इसे, /और धिक्कार है उसे भी/ओढ़ता अंधेरा मोह का/हूँ मैं भी तो वैसा ही/इसलिए धिक्कार है मुझे भी।'

कवि प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों की कल्पना कर मानवीकरण में भी अपनी कल्पनाशक्ति की पताका को और ऊपर ले जाते हैं— एक उदाहरण देखें— पृष्ठ 57 पर— 'चल रहे थे नाचते थिरकते/बाँटते सुगन्ध, झोंके पवन के।/देखा भूपाल ने/लिपटती कभी और होती अलग भी/मेहन्दी गेन्दे से उलझती।/चमेली मुस्कराती/भय छोड़ कांटों का/गले गुलाब के लग जाती।/भ्रमर दिन भर का थका/सूर्यास्त से तनिक पहले/कमलिनी के पास पहुँचा/वह हुई बड़ी राजी/ले अंक में उसे, /रात भर सोई रही।/बादली प्यार में डूबी/मिल मेघ से कभी/होती हो एकाकार, /आपा भूल जाती।'

अमानव में मानवीय घटनाओं का अतिदेश या आरोपण ही मानवीकरण है। वस्तुतः वहाँ वैसा होता नहीं है। राजा के साथ भी आगे कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है, सम्भवतः आगामी सम्पूर्ण घटना का संकेत इन पंक्तियों में मिल सकता है।

कथ्यप्रस्तुति में एक जगह पाठक ठिठक जाता है, जब मग्धू के मुँह से निर्दिष्ट-दिशा से भिन्न बातें कही जाती हैं। वह यह है कि गोरखनाथ राजा के लिए अमरफल देने का निर्देश करते हैं, जो कि मग्धू के हाथ भिजवाया गया है, किन्तु मग्धू वहाँ जाकर तर्कपूर्वक राजा को यह फल देने का निर्णय अपनी ओर से करता प्रतीत होता है। देखें पृष्ठ 53 पैरा नं. 2।

'मितं च सारं च वचो हि वाम्मिता' इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार कहना चाहिए यह काव्य (प्राचीन आख्यान) नवीन सन्दर्भ में भी कुछ नवाचार सिखाता है, आज महिलाओं का संरक्षण कैसे हो? यह बताता है स्वयं महिलाएँ सशक्त होकर यह कर सकती हैं परमुखापेक्षी नहीं हो। आज पदे पदे धर्म के नाम पर ढोंग, पाखण्ड चल रहा है, समाज को यह उनसे सावधान रहने का सन्देश भी देता है, बड़े सुन्दर ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से समाज का पथ प्रदर्शन करता है। निश्चय ही यह काव्य सार्वभौम, सार्वजनीन व सर्वहितकारी उपदेशों की मंजूषा है।

—डॉ. महावीर प्रसाद सारस्वत
राजकीय गंगा शार्दूल आचार्य संस्कृत कॉलेज, बीकानेर

रीत अर प्रीत; दीनदयाल शर्मा; बोधि प्रकाशन, एफ-77, सेक्टर 9, रोड नं. 11, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, बाईस गोदाम, जयपुर-302006; प्रथम संस्करण : 2012; पृष्ठ संख्या : 88; मूल्य : 70.00 रुपये।

शिक्षा विभाग में सेवारत ख्यातनाम बाल साहित्यकार श्री दीनदयाल शर्मा की राजस्थानी कविताओं की पुस्तक 'रीत अर प्रीत' में भाँति-भाँति की कविताओं का समावेश हुआ है, कवि ने शुरुआती कविताओं में आजकल शादी समारोहों में निभाई जाने वाली औपचारिकताओं और मेजबान के दिल की भावनाओं को सुन्दर तरीके से चित्रित किया है, 'रीत अर प्रीत' कविता इसका जीता जागता नमूना है। आज की पीढ़ी की मानसिकता और बेटी के मन की पीड़ा को 'जुवान बेटी' सशक्त रूप से दर्शाती है। 'मां' शीर्षक से कविताओं में कवि ने मां की भावनाओं और संस्कारों को उकेरा है। 'टाबर' शीर्षक में शामिल कविताओं में कवि ने बालमन की पवित्रता, बालमनोविज्ञान और बच्चों के मन की सरलता को दिल को छू लेने वाले तरीके से दर्शाया है, टाबर-8 'माया-कूट्यां नीं सुधरै टाबर, लाड में भौत हुवै ताकत' सशक्त तरीके से शारीरिक सजा देने वाले माता-पिता व शिक्षकों को सीख दे रही है।

प्रस्तुत पुस्तक में कवि ने परिवार, स्कूल, आज के परिवेश, मन की संवेदनशीलता को शामिल करते हुए विविध विषयों पर सटीक एवं मन को छू लेने वाली कविताएँ शामिल की है। 'कोयलो' कविता में मानव स्वभाव की पहचान कितनी कठिन है का सुन्दर चित्रण है। 'सळ्यां' वाकई सळ्यां हैं क्यों छोटी सी होते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हैं, एक नया रूप राजस्थानी कविताओं में कवि ने दर्शाया है।

कवि का लम्बा अनुभव, मायड़ भाषा राजस्थानी से मन का जुड़ाव, राजस्थानी परिवेश से जुड़ा होना और शिक्षक मन कविताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

यद्यपि कवि ने भूमिका में कुछ नहीं कहा है, पर एक बार पुस्तक की कविताओं को पढ़ना शुरू किया तो सारी कविताएँ पढ़े बिना मन नहीं भरेगा, सरल राजस्थानी भाषा, आम परिवेश का समावेश और पुस्तक की समुचित कीमत इसे पठनीय एवं संग्रहणीय बनाती है।

—पारसचन्द जैन, जि.शि.अ.
जनता कॉलोनी, देवली, टोंक (राज.) 304804

अजमेर

रा.उ.मा.वि., हरमाड़ा को डॉ. हीरालाल घसवा से 50,000 रुपये नकद, श्री गोविन्द काला से 5,100 रुपये नकद, श्री प्रवीण जैन से 11,000 रुपये नकद, श्रीमती सन्तोष शर्मा से 4,000 रुपये नकद, सर्वश्री योगेश शर्मा, अमिता जैन, नवल किशोर शर्मा से प्रत्येक से 2,100 रुपये नकद, सर्वश्री राजकपूर वर्मा, महावीर प्रसाद वर्मा, गुलराज मौर्य, गिरधर गोपाल स्वर्णकार, चांद देवी पुरोहित, रेखा गुलाबानी, कोमल अग्रवाल प्रत्येक से 1100-1100 रुपये नकद, श्री रामस्वरूप धांधा से 600 रुपये नकद, सर्वश्री सोहनलाल जी, इन्दिरा देवी, सुश्री गीता मेहरा, शरफुद्दीन से प्रत्येक से 500-500 रुपये नकद, श्रीमती सीता देवी से 200 रुपये नकद, श्री करतार चौधरी से 280 रुपये नकद, श्री रामदेव धांधा से 5 सीमेन्ट बैग, एक ट्राली पत्थर, एक ट्राली बजरी कुल लागत 3500 रुपये, श्री ब्रजराज काकड़ा से मार्बल पत्थर लागत 3,000 रुपये नकद, श्री छीतरमल टेलर से 4,000 रुपये नकद प्राप्त हुए।

अलवर

रा.मा.वि., चूला (बानसूर) को श्रीमती अशरफी देवी से 10 सीलिंग फैन् लागत 12,500 रुपये, विजय कुमार शर्मा से मरम्मत सड़क परिसर हेतु 11,000 रुपये नकद, श्री जले सिंह से 11 सेट फर्नीचर लागत 11,000 रुपये, डॉ. राजकुमार से एक माईक सैट लागत 13,000 रुपये। रा.बा.उ.प्रा.वि., नं. 1, बहरोड़ को जय क्लब बहरोड़ से 30 बच्चों की विद्यालय पोशाक, प्रधानाध्यापिका के सहयोग से 100 बच्चों की विद्यालय पोशाक, महेन्द्र सैनी, अशोक जैन, मुकेश अग्रवाल, रामकला नर्स, बसन्ती यादव (प्र.अ.) से 50 स्वेटर लागत 7500 रुपये, श्री राधाकृष्ण महेश्वरी (से.नि. प्राचार्य) से 30 स्वेटर लागत 4500 रुपये, श्री मोहर सिंह से 25 स्वेटर लागत 3700 रुपये, प्रीतम सिंह (पंजाबी सरदार जी) से 30 स्वेटर लागत 4500 रुपये, श्रीमती सन्तोष शर्मा (से.नि.अ.) से 1,000 लीटर की पानी की टंकी।

उदयपुर

रा.उ.मा.वि., परसाद (सराड़ा) को श्री गौतम मीणा द्वारा 910 छात्र-छात्राओं को मिठाई वितरित लागत 8000 रुपये, श्री हरीश चौबीसा से माँ शारदे की 86 तस्वीरें प्राप्त हुई जिसकी लागत 9,000 रुपये। रा.उ.मा.वि., कुथवास में श्री राकेश कुमार माहेश्वरी द्वारा 72,500 रुपये की लागत से एक 26x10 का बरामदा का निर्माण करवाया गया। श्री मोहनलाल रेगर (प्रधानाचार्य) के अनुरोध पर स्थानीय विद्यालय के स्टाफ ने अपने कुल वेतन की 10% राशि भेंट कर बरामदा निर्माण कराने में अपना सहयोग प्रदान किया। रा.मा.वि., मेहरों का गुड़ा को आ.के. मार्बल से पेयजल हेतु बोरिंग व सबमर्सिबल मशीन लागत 32,000 रुपये, मैडम अलमा (बेल्जियम) से विद्युत व्यवस्था हेतु 40,000 रुपये, श्री बाबूलाल गमेती (सरपंच अम्बेरी) विद्युत व्यवस्था हेतु 11,000 रुपये, श्री कनकमल जैन

से पानी की टंकी लागत 6,000 रुपये। रा.मा.वि., अड़िन्दा को श्री प्रभुलाल गुर्जर से माइक सैट मय दो स्पीकर बड़े (आहुजा कम्पनी) लागत 22,000 रुपये। रा.मा.वि., ठिकोड़ा (गोगुन्दा) को श्री विमलचन्द जैन से माइक सैट एक लागत 10,160 रुपये, श्री पूर्णा शंकर नागदा से टेपर बैन्च सात लागत 11,000 रुपये, श्री नाहर सिंह राजपूत से टेपर बैन्च 12 लागत 15,000 रुपये, श्रीमती भूकी बाई गमेती से लोहे का दरवाजा लागत 4,000 रुपये, श्रीमती जानी बाई दवे से बिजली व्यय हेतु 5100 रुपये, श्री भंवरलाल दवे से टेपर बैन्च दो लागत 2400 रुपये। रा.मा.वि., कठार को 'पार्श्वनाथ जैन नवयुवक मण्डल, कठार' से 50 स्टूल प्राप्त की जिसकी लागत 17,500 रुपये। रा.मा.वि., उमरड़ा को श्रीमती अर्चना जैन, नेमीचन्द जैन, ललिता सरणोत, नरेश जी सरणोत द्वारा 51 गर्म ऊनी स्वेटर गरीब छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए। रा.मा.वि., रानावाड़ा (असारीवाड़ा) को श्री विनोद कुमार नट से एक स्टेण्ड वाला पंखा लागत 1700 रुपये, श्री प्रतापसिंह सिसोदिया से एक सीलिंग पंखा लागत 1100 रुपये, सेवा मन्दिर संस्थान खेरवाड़ा (उदयपुर) द्वारा विद्यालय में द्यूबवेले मय मोटर, बालिकाओं के लिए एक शौचालय एवं मूत्रालय, एक वाटर हार्वोस्टिंग टैंक तथा पुस्तकालय के लिए बाल साहित्य की पुस्तकें एवं खेल सामग्री प्राप्त हुई। जिसकी कुल लागत 3,00,000 रुपये। रा.बा.मा.वि., देबारी (पं.स. गिर्वा) को श्री दुर्गासिंह देवड़ा (शा.शि.) से रंगाई-पुताई हेतु 20,000 रुपये का कार्य करवाया।

कोटा

रा.बा.मा.वि., रंगबाड़ी को श्री योगेन्द्र बलरिया (कार्यालय सहायक) से 12 दरीपट्टियाँ कुल लागत 1383 रुपये। श्री जे.सी.आई., कोटा स्टार द्वारा विद्यालय में बिजली फिटिंग, लाइट कनेक्शन, 11 सीलिंग फैन्, 200 ऊनी स्वेटर, 2 द्यूब लाइट सप्रेम भेंट। श्रीमती लीला बाई से 2 सीलिंग फैन्, बालाजी इन्स्टीट्यूट कोटा से 4 कुर्सियाँ कैब की प्राप्त हुई।

श्रीगंगानगर

रा.उ.प्रा.वि., 9-10 BNW, सादुल शहर को श्री हेतराम कस्वा (से.नि.अ.) व श्रीमती रुकमा देवी कस्वा (से.नि.अ.) से एक वाटर कूलर लागत 31,000 रुपये।

चूरू

रा.मा.वि., उडवाला को श्री खिराजाराम हुड्डा से 200 थाली लागत 5500 रुपये, श्री त्रिलोकाराम से 10 छत पंखे लागत 14000 रुपये, श्री अमराराम से एक प्रिन्टर लागत 10,000 रुपये, श्री हीराराम से एक माइक सैट लागत 10,000 रुपये, श्री जगदीश सिवल से पाँच टेबल बड़ी, श्री नारायण राम सारण से 10 कुर्सी (प्लास्टिक), सर्वश्री भंवराराम प्रजापत व श्रवणराम टांडी से प्रत्येक से 5-5 बड़ी दरी, श्री शिवकरण सिवल से एक बड़ी दरी प्राप्त हुई। रा.मा.वि., जीनरासर को श्री सीताराम शर्मा से एक छत पंखा व 31 किग्रा. लड्डू बच्चों को लागत

5000 रुपये, श्री राजकुमार रिणवा (स्थानीय विधायक) से 10 छत पंखे लागत 15,000 रुपये, श्री छोदराम भामू से 51 किग्रा. लड्डू, 50 बच्चों को टिफन, एक छत पंखा लागत 9000 रुपये, श्री ओमाराम भामू से 2100 रुपये नकद, श्री लालाराम कुल्हरी से 1500 रुपये नकद, श्री हरदेव दास स्वामी व श्रीमती अनिता चौधरी (सरपंच) से प्रत्येक से 500 रुपये नकद, श्री खीवाराम कुल्हरी (कुल्हरी स्टूडियो) द्वारा गणतंत्र समारोह की निःशुल्क 150 फोटो खींचकर बच्चों को दी, लागत 1100 रुपये। रा.मा.वि., लम्बोर बड़ी (राजगढ़) को श्री देवेन्द्र कुमार पूनियां से प्रधानाध्यापक मेज लागत 13,000 रुपये, श्री वेदप्रकाश ओला से एक आलमारी लागत 4500 रुपये, श्री महावीर सिंह फोगडिया से एक फोटो मशीन लागत 9,000 रुपये, श्री मेवासिंह फोगडिया से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 2500 रुपये, श्री धूपसिंह फोगडिया से दो पंखे लागत 3,000 रुपये, श्री सोमवीर राहड़ से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 2500 रुपये, श्री सूर्यप्रकाश मिश्र सी.ए. से मरम्मत हेतु 6100 रुपये, 74 पोशाक (ड्रेस) छात्र-छात्रों को लागत 15,000 रुपये, श्री दिनेश अग्रवाल सी.ई.ओ. से एक कम्प्यूटर लागत 25,000 रुपये, श्री मनसा माता ट्रस्ट से विद्यालय रंगरोगन हेतु 1,00,000 रुपये, श्री महावीर सिंह खददा से एक अलमारी लागत 5,000 रुपये, श्री सुबेदार काशीराम फोगडिया से एक पंखा लागत 1500 रुपये, श्री कृष्णा कुमार मीणा (पूर्व सरपंच) एक पंखा + एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 4000 रुपये, सर्वश्री रणधीर फोगडिया, मातुराम काली रावणा, विनोद कुमार शास्त्री, महिपाल फोगडिया, अखेराम फोगडिया से प्रत्येक से एक-एक पंखा तथा प्रत्येक की लागत 1500 रुपये, शिवनारायण जांगिड़ से एक अलमारी लागत 6300 रुपये, श्री बीरबल सिंह से एक अलमारी लागत 5000 रुपये, श्री रामकरण काली रावणा द्वारा पाँच कमरों की बिजली फिटिंग लागत 4000 रुपये, श्री ईश्वरसिंह बुडानिया द्वारा दो कमरों की बिजली फिटिंग लागत 2000 रुपये, श्री प्रतापसिंह फोगडिया व बलवान सिंह फोगडिया से तीन-तीन कमरों की बिजली फिटिंग प्रत्येक की लागत 2800 रुपये, श्री पृथ्वीसिंह सांखला से विद्यालय विकास हेतु 3100 रुपये नकद, श्रीमती सन्तोष फोगडिया (सरपंच) से विद्यालय विकास हेतु 1100 रुपये नकद, श्री मेवासिंह फोगडिया द्वारा एक लाख रुपये की लागत से जल मन्दिर का निर्माण व वाटर कूलर, मानसिंह राठौड़ से इनवर्टर मय बैटरी लागत 25,000 रुपये, सर्वश्री सुरेन्द्र फोगडिया, रणधीर फोगडिया से प्रत्येक से विद्यालय विकास हेतु 2100-2100 रुपये नकद, श्री धर्मपाल राहड़, प्रताप सिंह फोगडिया व कृष्णकुमार राहड़ से प्रत्येक से एक-एक बड़ी दरी तथा प्रत्येक की लागत 12500 रुपये, सर्वश्री काशीराम फोगडिया, रोहताश सिंह सांखला, चतरसिंह सांखला, पारसराम फोगडिया, राजू सिंह चौहान, चन्दगीराम डीलर, महावीर फोगडिया, रूपचन्द फोगडिया से प्रत्येक से 5-5 कुर्सी तथा प्रत्येक की लागत 2500 रुपये, श्री वेदप्रकाश राहड़ से माइक, स्पीकर सैट एक लागत 8,000 रुपये, श्री सुभाष चन्द्र राहड़ (से.नि.अ.) दो लेक्चर स्टेण्ड लागत 5000 रुपये, श्री सोमवीर काली रावणा से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत 2500 रुपये।

गाँव का कर्ज और इन्सान का फर्ज

तेरी मेरी व आर्थिक छीना झपटी के इस घोर कलियुग में कभी कभार ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती हैं जिनसे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही एक समाचार (दैनिक भास्कर : 31 मार्च 2013) के अनुसार दासण गाँव के प्रहलाद नारण पटेल इन दिनों स्वयं अपनी देखरेख में गाँव का पैसा लगाकर गाँव में सड़कों व नालियों की मरम्मत, सार्वजनिक स्थानों का जीर्णोद्धार, पेड़ों के चबूतरों का निर्माण जैसे ग्राम हितैषी काम करवा रहे हैं। अपनी निगरानी के साथ जरूरत पड़ने पर मजदूरों के साथ स्वयं मजदूर बनकर भी मदद करते हैं- अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन की तरह। भारत में अपने मुनीमों की देखरेख में पैसा लगाने वाले उदारमना धनपति कुबेरों की तो कमी नहीं है लेकिन प्रहलाद भाई जैसे मनीषी का मिलना दुर्लभ है।

महात्मा गाँधी के एकादश नियमों में एक है- अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात् संग्रह नहीं करना। संग्रह यानी धन व संसाधन जुटाना। धन और संसाधन अपने आप तो झोली में आकर गिरते नहीं होंगे। इनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पसीना बहाना होता है। धन का संग्रह नहीं करें, का आशय यह भी नहीं है कि मेहनत न कर भाग्य के भरोसे पड़े रहें या जो मेहनत करके अर्जित-संचित किया, उसे ग्रहण न करें अथवा फेंक दें। श्रीमद्भगवद्गीता दर्शन के मुताबिक धन के भी सात्विक, राजसी और तामसी तीन विवेचन हो सकते हैं। तामसी श्रेणी में धन संसाधन जुटाना तथा उसका व्यसन, जुआ, अथवा भाँति-भाँति के नाम नहीं गिना सकने योग्य कामों पर व्यय करना है। अर्थशास्त्र में व्यय शब्द बढ़ा सम्माननीय है। सोच विचार एवं पूर्ण नियोजन अनुसार मंगलकारी कामों/सामग्रियों में धन लगाना व्यय है जबकि नशा, जुआ, वेश्यागमन आदि पर लगाया धन उसका अपमान है। हमारी भाषा में इसे पैसा उड़ाना या पैसे को बहाना कहते हैं।

धन का राजसी उपयोग अपने शरीर पर होने वाले व्यय के पश्चात् बचे धन को भावी पीढ़ियों के लिये बचाकर रखना है। इसे बेटों-पोतों के लिए संचय करना कहते हैं। इस कोटि में आने वाले व्यक्ति सात पीढ़ियों की चिन्ता करते हैं। धन को दुर्लभ धातुओं यथा (सोना, चाँदी), जमीन-जायदाद नए-नए कारोबारों के रूप में विनियोजित (Invest) करते हैं। लोक मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में सौंप बनकर उस धन पर पहरा देते हैं। धन का सात्विक रूप बढ़ा सुखदायक है। इसमें व्यक्ति पूरी क्षमता व योग्यता से धनोपार्जन करता है। धन का उपयोग स्वयं एवं परिवार हित में करने के पश्चात् बचे हुए धन को परोपकार में लगा देता है। ऐसे सात्विक विचारधारा के व्यक्ति के न तो कोई दुर्व्यसन होता है और न ही बुरी आदतें। परिवार ही नहीं बल्कि पूरा परिवेश उसके लिए सुखदायक होता है। वह सबका हितैषी होता है और सब उसे अपने हितैषी लगते हैं।

पिछली दो शताब्दियों को आधार बनाकर विचार करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान के छोटे-छोटे गाँवों से जीवट के धनी व्यक्ति अपने गाँव छोड़कर देश के भिन्न-भिन्न भागों में गए तथा वहाँ हाडतोड़ मेहनत कर कारोबार स्थापित किए। मेहनत की नाव तथा उस पर लोक कल्याण की पतवार। सादा जीवन-उच्च विचार साधारण वेशभूषा-सादा सात्विक भोजन। काम व व्यवहार में पवित्रता। यह थी उनकी ताकत। हजारों किमी. दूर पसीने की गंगा बहाते हुए भी अपनी मातृभूमि को हृदय में संजोए रखना। ऐसे लोग जो कमाते हैं, उस पर अपना सर्वाधिकार न समझकर ट्रस्टी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त यही तो है।

ऊपर वर्णित प्रहलाद नारण पटेल का उदाहरण बढ़ा अद्भुत है। वे बारह वर्ष की कच्ची अवस्था में 50 रुपये के साथ गाँव छोड़ सूरत गए थे। संघर्ष किया और हीरा तराशना सीखा। जहाँ चाह वहाँ राह, ईश्वर ने साथ दिया। काम चल पड़ा। पैसा हाथ में आया तो टेक्सटाइल में हाथ आजमाया और आज 70 मशीनें एवं पाँच टीएफओ का अच्छा खासा कारखाना है। उनके 27 वर्ष का बेटा है जो करोबार सम्भालने लगा है। अतः वे गाँव का ऋण उतारने आ गए हैं। केवल धन से नहीं, तन और मन से भी। आश्रम व्यवस्था के अनुसार 50 वर्ष से बढ़ा होने पर घर बार उचित हाथों में सौंप कर घर से दूर रहकर समाज सेवा के माध्यम से समाज ऋण से मुक्त होना चाहिए। प्रलाद भाई जो कर रहे हैं, वह सच्चा वानप्रस्थ है। वे 53 वर्ष के हैं।

प्रहलाद भाई से उनकी इस समझ के बारे में पूछे जाने पर वे बताते हैं कि उनके गुरु ने शिक्षा दी थी कि अपनी कमाई का उपयोग केवल खुद पर करना रावणवृत्ति है। रावणवृत्ति यानी बुरी वृत्ति क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक जो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का काम ऐसे समाजोत्थानकारी कार्यों में यथा सामर्थ्य आहुति देने के लिए विद्यार्थियों के हृदय में लोकमंगल के उदात्त भाव भरना भी है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान में उदारमना भामाशाहों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा व अन्य परमार्थकारी कार्यों में अरबों रुपयों का सहयोग दिया व सतत दिया जा रहा है। प्रति वर्ष 28 जून, भामाशाह जयन्ती के दिन शिक्षा विभाग इन उदारमना सज्जनों को सम्मानित करता है। प्रहलाद भाई का उदाहरण सहयोग की इस विमलधारा में दानदाताओं को धन के साथ तन और मन से जोड़ने में भी अपील करता है। ऐसे उदात्त-करुणामय भाव भावी पीढ़ी, जो आज विद्यार्थियों के रूप में शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्जन कर रही है, के मन में अंकुरित करने का काम शिक्षा ही कर पाएगी जिसके दारोमदार आप और हम हैं।

—ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ सम्पादक
E-mail: opsaraswat58@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक डॉ. वीना प्रधान द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-334011 से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : डॉ. वीना प्रधान

चित्र समाचार



(बाएँ) टोंक : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोनवा के योगेन्द्र सिंह, व्याख्याता, चित्रकला की चित्र प्रदर्शनी के अवसर पर उन्हें प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार अर्पित करते जिला कलक्टर, टोंक श्री मुक्तानन्द अग्रवाल। (दाएँ) जयपुर : World Cup Basket Ball Championship, 2013 का आयोजन 28 मार्च से 4 अप्रैल 2013 तक साइप्रस में हुआ। इसमें प्रशिक्षक रहे श्री अखिलेश सिंह (कार्यालय जि.शि.अ. (मा.) प्रथम) को फेयर प्ले ट्रॉफी अवार्ड मिला। चित्र में निदेशक डॉ. विना प्रधान एवं अन्य खेल अधिकारियों के साथ श्री सिंह।



अजमेर : रा.उ.प्रा.वि., गाँधी भवन, अजमेर में आयोजित 'आओ देखो सीखो' प्रतियोगिता।



भीलवाड़ा : पक्षियों के लिए परिण्डे में जल डालते हुए सत्यनारायण शर्मा, जि.शि.अ. (मा. -II) चूरिया-मूरिया संस्था के सवस्य व शिक्षा अधिकारी।



बीकानेर : राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जयमलसर में रोटरी क्लब, बीकानेर के सौजन्य से विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर (मूल्य 270,000 रुपये) प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रोटरी इंटरनेशनल, अमेरिका से श्रीमती कार्नेलिया स्टॉकमैन विशेष रूप से उपस्थित हुईं। स्थानीय भामाशाह श्री शिवरतन राठी ने ग्यारह हजार रुपये भेंट किए। चित्र में (बाएँ) नए फर्नीचर पर बैठे उत्साहित बच्चे एवं (दाएँ) उत्सव में भगवान श्रीकृष्ण का रोल करने वाली बालिका के साथ भामाशाह एवं अधिकारी।



हमारी सांस्कृतिक धरोहर



श्री ब्रह्माणी माता का मन्दिर, पल्लू कोट

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 100 किमी. दूर हनुमानगढ़-किशनगढ़ मेगा हाई-वे पर स्थित पल्लू कोट श्री ब्रह्माणी माता के जगत प्रसिद्ध मन्दिर के कारण श्रद्धा एवं विश्वास का केन्द्र है। पल्लू का पुराना नाम कोट कलुर था। यहाँ 84 बीघा क्षेत्र में फैले विशाल किले के 52 बुर्ज तथा चारों दिशाओं में 4 मुख्यद्वार थे। मन्दिर में माँ ब्रह्माणी की लगभग सवा दो फुट ऊँची भव्य प्रतिमा है जिसके नेत्र स्वर्णजड़ित हैं। मूर्ति की स्थापना संवत् 1800 में की गई थी। लोकमान्यता है कि जिस त्रिशूल से ब्रह्माणी माता ने राक्षसीवृत्ति के सादुला का वध किया था, वह त्रिशूल आज भी ब्रह्माणी माता मन्दिर परिसर में स्थित भैरव मन्दिर में रखा है। मृत्यु से पहले क्षमायाचना कर लेने पर माँ के वरदान के कारण सादुला के दर्शन सबसे पहले किये जाते हैं। जनमानस में माँ ब्रह्माणी के प्रति अपार श्रद्धा व सम्मान है। यों तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्माणी मन्दिर में माँ के समक्ष मत्था टेकने आते रहते हैं, मगर नवरात्रि में लगने वाले मेले व जगराते तो दर्शकों का मन मोह लेते हैं।